उत्तर प्रदेश पुलिस

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

2010

करमवीर सिंह,
(आई०पी०एस०)

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
1, तिलक मार्ग, लखनऊ–226001

प्राक्कथन

वर्ष 1861 में नागरिक पुलिस का उद्भव हुआ था। उसके कुछ वर्षों के पश्चात पुलिस विभाग में वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट प्रकाशित होना प्रारम्भ हुआ था। इसके अर्न्तगत पुलिस विभाग के विभिन्न घटकों की उपलब्धियां एवं कार्यकलापों के साथ ही वर्ष भर के अपराध सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन किया जाता था। जिसका उपयोग शासन द्वारा भयमुक्त व अपराध मुक्त समाज की स्थापना में आवश्यक नीतियों के निर्धारण में किया जाता था। समय के साथ इसका स्वरूप परिवर्तित हो गया और आपराधिक आंकड़ों का रख–रखाव व संकलन राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो (SCRB)द्वारा पृथक रूप से किया जाने लगा।

वर्ष 1979 के बाद पुलिस मुख्यालय से वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट का प्रकाशन कतिपय कारणों से नहीं हुआ है। पुलिस जैसे संवेदनशील विभाग के वार्षिक कामकाज का संकलित ब्योरा नियमित रूप से तैयार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इससे विभाग को अपना स्वमूल्यांकन करने तथा नागरिकों को बेहतर सेवा देने का पथ प्रशस्त होगा साथ ही शासन को भी एक दृष्टि में पुलिस कार्यों की जानकारी मिल सकेगी।

मैं वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट के प्रकाशन पर अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, इलाहाबाद की भूरि–भूरि प्रशंसा करते हुए उनको व उनकी टीम को बधाई देता हूँ। साथ ही साथ पुलिस की समस्त इकाईयों के अधिकारीगण भी प्रशंसा के पात्र हैं, जिन्होने इस रिपोर्ट हेतु अपना योगदान दिया है।

(करमवीर सिंह)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ
10.07.2011

सुलखान सिंह,
(आई०पी०एस०)

अपर पुलिस महानिदेशक,
पुलिस मुख्यालय
उत्तर प्रदेश
1, सरोजनी नायडू मार्ग,
इलाहाबाद–211001

प्राक्कथन

पुलिस का तात्पर्य किसी भी देश या काल में शासनतंत्र के अभिन्न अंग के रूप में समाज को सुरक्षा प्रदान करने वाले संगठन से सामान्यतया होता है। किसी भी समाज के लिए उसकी निष्पक्ष पुलिस व्यवस्था श्लाघनीय होती है। ऐसी व्यवस्था का मूल्यांकन तभी संभव है जब वर्तमान के साथ–साथ उसके अतीत व विकास कम का अध्ययन हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु ब्रिटिश काल से ही पुलिस विभाग के विभिन्न घटकों के कार्यकलापों व वार्षिक आपराधिक आंकड़ों का संकलन कर प्रशासनिक रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता था।

सन् 1984–85 में उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय से पृथक होकर SCRB की स्थापना हुई, जिसके द्वारा आपराधिक आंकड़ों का संकलन कर NCRB को प्रेषित किया जाता था। राज्य स्तर पर अथवा विभाग स्तर पर इन आकड़ों का विश्लेषण करने व उससे प्राप्त निष्कर्षों की समीक्षा व परिशीलन करने की परिपाटी समाप्त हो चुकी है।

वर्तमान परिदृश्य में पुलिस विभाग के विभिन्न घटकों के मध्य कार्य गुणवत्ता, उपलब्धियों व सुझावों के परस्पर आदान प्रदान की आवश्यकता है। इन्ही उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट–2010 तैयार करने का निर्णय लिया गया।

उम्मीद है कि वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट का उपयोग विभाग अपनी कार्यशैली के सुधार, विभाग की गरिमा को गौरवान्वित करने तथा अपने आत्म आलोचन हेतु करेगा ताकि एक बेहतर व समग्र पुलिस बल का विकास हो सके।

इसके प्रकाशन हेतु विषय वस्तु के संकलन में लगी टीम पुलिस महानिरीक्षक श्री पी0वी0 रामाशास्त्री, पुलिस महानिरीक्षक श्री संजय तरडे, पुलिस उप–महानिरीक्षक,मुख्यालय, अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय एंव सहायकों को मैं बधाई देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुये वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट के प्रतिवर्ष प्रकाशन की शुभेच्छा भी करता हूँ।

08.7.11

इलाहाबाद
10.07.2011

(सुलखान सिंह)
अपर पुलिस महानिदेशक,
पुलिस मुख्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उ0प्र0 पुलिस वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट-2010

अनुक्रमणिका

क्र0 सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	1-3
2	पुलिस मुख्यालय - क्रिया-कलाप एवं उपलब्धियाँ	4-40
3	अपराध	41-46
4	कानून व्यवस्था सुप्रबन्धन	47-52
5	स्पेशल टास्क फोर्स (एस0टी0एफ0)	53-57
6	आतंकवाद निरोधक दस्ता (ए0टी0एस0)	58-60
7	पुलिस प्रशिक्षण संस्थान	61-62
8	सतर्कता अधिष्ठान	63
9	अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग	64-66
10	तकनीकी सेवायें	67-88
11	आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन	89-91
12	भ्रष्टाचार निवारण संगठन	92-93
13	यातायात प्रबन्धन	94-97
14	उ0 प्र0 अग्निशमन सेवा	98-99
15	राजकीय रेलवे पुलिस	100-101
16	उ0 प्र0 पुलिस रेडियो विभाग	102-104
17	प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस बल (पी0ए0सी0)	105-112
18	मानवाधिकार, लोक शिकायत, जनसूचना	113-114
19	सुरक्षा शाखा	115-116
20	विशेष अनुसंधान शाखा (सहकारिता)	117
21	खाद्य प्रकोष्ठ	118
22	विशेष जाँच प्रकोष्ठ	119-120
23	विशेष अनुसंधान दल (एस0आई0टी0)	121
24	उ0 प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड	122-123

अध्याय (1)

प्रस्तावना

विश्व के सातवें बड़े देश भारत (क्षेत्रफल के आधार) के 236,286 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल एवं 19.95 करोड़ जनसंख्या (Census 2011) वाले राज्य का नाम उ0प्र0 है, जिसके पास भारत देश ही नहीं अपितु विश्व का सबसे बड़ा पुलिस बल है, जोकि उ0प्र0 के 72 जनपदों, 33 पी0ए0सी0 वाहिनियों व अन्य इकाईयों में 3.79 लाख (लगभग) कर्मियों के स्वीकृत नियतन के साथ शान्ति व्यवस्था एवं विधि के राज्य को सुप्रबन्धित करता है।

सन् 1860 के पुलिस कमीशन, जिसकी अध्यक्षता श्री एच0एम0 कोर्ट ने की थी, की संस्तुतियों के आधार पर निर्मित 1861 के पुलिस एक्ट के माध्यम से वर्तमान पुलिस व्यवस्था का सृजन व संचालन हो रहा है।

स्वतन्त्रता के पश्चात् श्री बी0एन0 लाहिड़ी उ0प्र0 के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक हुए। अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था के प्रबन्धन में सराहनीय कार्य करने एवं नये आयामों को स्थापित करने वाले उ0प्र0 पुलिस बल को 13 नवम्बर, 1952 में कलर प्रदान किया गया। इस प्रकार का सम्मान पाने वाला उ0प्र0 पुलिस बल भारत देश का प्रथम पुलिस बल है। अपने इस मान की कसौटी पर खरा उतरते हुए उ0प्र0 पुलिस द्वारा धार्मिक सद्भाव, सौहार्द, शान्ति, अपराध–नियंत्रण एवं विधि की स्थापना करते हुए जनता में कानून का राज्य स्थापित करने का महत्वपूर्ण व सतत् प्रयास कर राज्य के विकास में महती भूमिका निभाई है। इस उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु उ0प्र0 पुलिस बल ने विशिष्ट इकाईयों की स्थापना की है।

भारतीय जनमानस की सुरक्षा व देश की अखण्डता व प्रभुता के रक्षार्थ अबतक उ0प्र0 पुलिस के 22,500 बीर कर्मियों व अधिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। भारत सरकार द्वारा बीर–बहादुरों को सम्मानित करते हुए उ0प्र0 पुलिस को विभिन्न नागरिक सम्मानों व पदकों से विभूषित कर हमारे बल की भूरि–भूरि प्रशंसा व उत्साहबर्धन किया गया है।

वर्तमान परिदृष्य में उ0प्र0 पुलिस बल विभिन्न इकाईयों में संगठित होकर कार्य कर रहा है। इसकी प्रमुख इकाईयां निम्नवत् हैं:–

1–मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, लखनऊ एवं उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद 2– राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो 3– अभिसूचना 4– सतर्कता 5– राजकीय रेलवे 6– भ्रष्टाचार निवारण संगठन 7– अग्निशमन 8– प्रशिक्षण 9– अभियोजन 10– विधि ज्ञान प्रयोगशाला 11– राज्य सशस्त्र पुलिस बल (पी0ए0सी0) 12– यातायात 13– मानवाधिकार 14– पुलिस तकनीकी सेवायें 15– ए0टी0एस0 16– एसटीएफ 17– एसआईटी 18– आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग 19– सुरक्षा 20– रेडियो 21–अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग 22–विशेष जांच 23–रूल्स एवं मैनुअल

उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में कानून व विधि सम्मत राज्य की स्थापना को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल को 18 परिक्षेत्रों में निम्नानुसार संगठित किया गया है।

पुलिस महानिदेशक

परिक्षेत्र		क्र. सं.	जनपद का नाम	पद
पुलिस महानिरीक्षक	मेरठ	1	मेरठ	डीआईजी
		2	गाजियाबाद	एसएसपी
		3	गौतमबुद्धनगर	एसएसपी
		4	बुलन्दशहर	एसएसपी
		5	बागपत	एसपी
पुलिस उप महानिरीक्षक	सहारनपुर	6	सहारनपुर	एसएसपी
		7	मुजफ्फरनगर	एसएसपी
पुलिस उप महानिरीक्षक	बरेली	8	बरेली	डीआईजी
		9	बदायूं	एसएसपी
		10	पीलीभीत	एसपी
		11	शाहजहांपुर	एसपी
पुलिसमहानिरीक्षक	मुरादाबाद	12	मुरादाबाद	डीआईजी
		13	बिजनौर	एसपी
		14	ज्योतिबाफूलेनगर	एसपी
		15	रामपुर	एसपी
पुलिस महानिरीक्षक	कानपुर	16	कानपुरनगर	डीआईजी
		17	रमाबाईनगर (कानपुर देहात)	एसपी
		18	फतेहगढ़	एसपी
		19	इटावा	एसएसपी
		20	कन्नौज	एसपी
		21	औरैया	एसपी
पुलिस उप महानिरीक्षक	अलीगढ़	22	अलीगढ़	एसएसपी
		23	महामायानगर (हाथरस)	एसपी
		24	एटा	एसएसपी
		25	कांशीराम नगर	एसपी
पुलिस महानिरीक्षक	आगरा	26	आगरा	डीआईजी
		27	मथुरा	एसएसपी
		28	मैनपुरी	एसपी
		29	फिरोजाबाद	एसपी
पुलिस महानिरीक्षक	लखनऊ	30	लखनऊ	डीआईजी
		31	खीरी	एसपी
		32	सीतापुर	एसपी
		33	हरदोई	एसपी
		34	उन्नाव	एसपी
		35	रायबरेली	एसपी
पुलिस उप महानिरीक्षक	फैजाबाद	36	फैजाबाद	एसएसपी
		37	बाराबंकी	एसपी
		38	सुल्तानपुर	एसपी
		39	अम्बेडकरनगर	एसपी
		40	छत्रपति साहूजी महाराजनगर (अमेठी)	एसपी

परिक्षेत्र		क्र. सं.	जनपद का नाम	पद
पुलिस महानिरीक्षक	इलाहाबाद	41	इलाहाबाद	डीआईजी
		42	प्रतापगढ़	एसपी
		43	फतेहपुर	एसपी
		44	कौशाम्बी	एसपी
पुलिस उप महानिरीक्षक	झांसी	45	झांसी	एसएसपी
		46	जालौन	एसपी
		47	ललितपुर	एसपी
पुलिस उप महानिरीक्षक	चित्रकूट	48	चित्रकूट	एस
		49	बांदा	एसपी
		50	हमीरपुर	एसपी
		51	महोबा	एसपी
पुलिस महानिरीक्षक	गोरखपुर	52	गोरखपुर	डीआईजी
		53	महराजगंज	एसपी
		54	देवरिया	एसपी
		55	कुशीनगर	एसपी
पुलिस उप महानिरीक्षक	बस्ती	56	बस्ती	एसपी
		57	सिद्धार्थनगर	एसपी
		58	संतकबीरनगर	एसपी
पुलिस उप महानिरीक्षक	देवीपाटन (गोण्डा)	59	गोण्डा	एसपी
		60	बहराइच	एसपी
		61	बलरामपुर	एसपी
		62	श्रावस्ती	एसपी
पुलिसमहानिरीक्षक	वाराणसी	63	वाराणसी	डीआईजी
		64	जौनपुर	एसपी
		65	गाजीपुर	एसपी
		66	चन्दौली	एसपी
पुलिस उपमहानिरीक्षक	आजमगढ़	67	आजमगढ़	एसपी
		68	बलिया	एसपी
		69	मऊ	एसपी
पुलिस उप महानिरीक्षक	मिर्जापुर	70	मिर्जापुर	एसपी
		71	सोनभद्र	एसपी
		72	सन्तरविदास नगर	एसपी

सन् 1863 में पुलिस महानिरीक्षक की नियुक्ति पुलिस अधिनियम 1861 के अन्तर्गत की गयी। तब से उनका प्रधान कार्यालय इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। 16 मार्च–1937 को

इस मुख्यालय का एक हिस्सा इलाहाबाद से लखनऊ स्थानान्तरित किया गया। लखनऊ स्थानान्तरण हो जाने के बाद पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश अपने इलाहाबाद स्थित प्रधान कार्यालय का कार्यभार अधीनस्थ को सौंप कर स्थायी तौर से लखनऊ में स्थापित हुए हैं।

वर्तमान में मुख्यालय स्तर पर पुलिस का संगठन निम्नवत् है :–

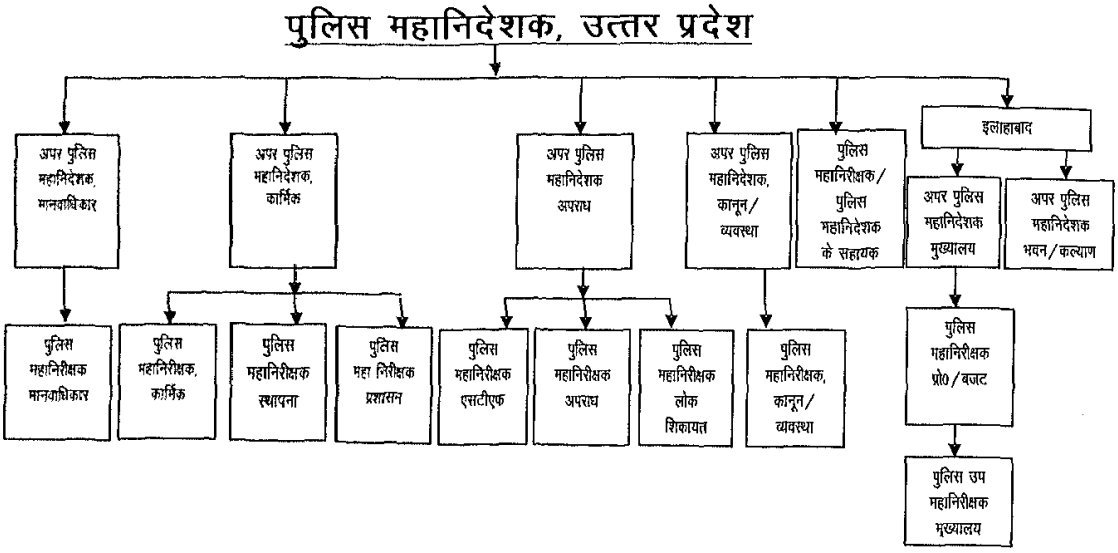

अध्याय–(2)

पुलिस मुख्यालय–क्रिया–कलाप एवं उपलब्धियां

उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन का प्रधान कार्यालय " उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय" कहलाता है जो गत 148 वर्ष से इलाहाबाद में स्थित है । इस में 700 पुलिस कर्मी विभिन्न पदों पर अपर पुलिस महानिदेशक, के नियन्त्रण में कार्य करते हैं ।

उपलब्ध पुलिस गजट के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पहले पुलिस मुख्यालय को पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर–पश्चिमी प्रान्त व अवध का प्रधान कार्यालय कहा जाता था । फरवरी 1858 में लार्ड कैनिंग द्वारा राजधानी का स्थानान्तरण आगरा से इलाहाबाद कर दिया गया। वर्ष 1863 में पुलिस महानिरीक्षक, की नियुक्ति पुलिस अधिनियम् 1861 के अन्तर्गत की गयी ।

इलाहाबाद के राजधानी बन जाने के कारण ईस्ट इण्डिया कम्पनी के पतन से पूर्व उनकी पहल पर क्वींस रोड (वर्तमान सरोजनी नायडू मार्ग) पर आयताकार रूप में दो मंजिला चार भव्य सैण्ड स्टोन में निमार्णाधीन थे । सड़क के पश्चिम वाले दो भवनों में प्रान्तीय सचिवालय व महालेखाकार, उ0प्र0 का कार्यालय और पूरब की ओर भवनों में उच्च न्यायालय व राजस्व परिषद के कार्यालय प्रस्तावित थे ।

जिस भवन में उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय स्थित है वह उपरोक्त में से एक भव्य भवन हैं जो कि नवम्बर 1916 में उच्च न्यायालय के अपने वर्तमान भवन में स्थानान्तरित हो जाने के कारण रिक्त कर दिया गया था ।

उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की रीढ़ माने जाने वाले पुलिस मुख्यालय के कार्य को सुचारू रूप से संचालन हेतु उसे कार्मिक एवं मुख्यालय नामक दो मुख्य शाखाओं में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय में अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों एवं लिपिकीय संवर्ग के सेवा सम्बन्धी सभी मामले, राजपत्रित अधिकारियों के अवकाश, वेतन–पर्ची आदि के मामले निपटाऐ जाते हैं। राजपत्रित एवं आइ0पी0एस0 के सेवा संबंधित प्रकरण लखनऊ स्थित मुख्यालय से निष्पादित किये जाते हैं। इन कार्यों के सुगम और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विषयवार अलग–अलग अनुभागों को आवंटित किया गया है। अनुभागों द्वारा मुख्यतः निम्नलिखित विषय व्यवहृत किया जाता है।

पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद का संगठन

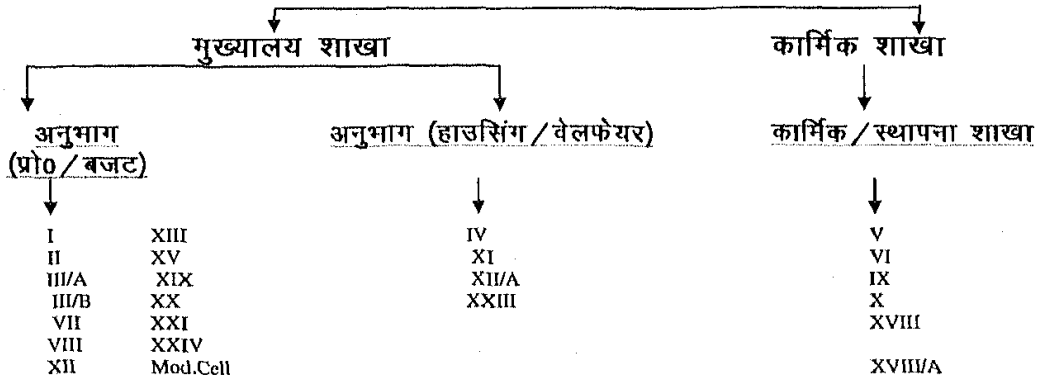

पुलिस मुख्यालय में वर्दी व्यवस्था, नियतन में वृद्धि, बजट, पेंशन, मोटर–वाहन, टाइपराइटर, फैक्स मशीन, टेलीफोन एवं कम्प्यूटर के क्रय, भवन निर्माण/मरम्मत, अस्त्र–शस्त्र का क्रय एवं स्टेशनरी आदि की व्यवस्था से सम्बन्धित कार्यों का निस्तारण किया जाता है।

वर्दी वस्तुओं का क्रय उद्योग निदेशालय, कानपुर के माध्यम से भण्डार क्रय नियमों के अर्न्तगत किया जाता है । वर्दी वस्तुयें उ0प्र0 पुलिस केन्द्रीय भण्डार कानपुर में रखी जाती है तथा वहीं से वितरण किया जाता है । वहां पर अपर पुलिस अधीक्षक, स्तर के एक अधिकारी नियुक्त हैं जो उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय के सीधे पर्यवेक्षण में कार्य करते हैं ।

अस्त्र –शस्त्र उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा जनपद/इकाई को आवंटित किये जाते हैं । इनका भण्डारण वितरण सेन्ट्रल रिजर्व सीतापुर द्वारा किया जाता है ।

वित्तीय प्राविधानों के अनुरूप बजट के आवंटन/व्यय पर नियंत्रण रखने के लिये पुलिस मुख्यालय में वित्त नियंत्रक नियुक्त हैं । विभागीय आडिट के लिये एक लेखाधिकारी, 03 सहायक लेखाधिकारी एवं 13 आडीटर हैं जो विभिन्न जनपद/इकाइयों में जाकर योजनाबद्ध तरीके से आडिट करते हैं।

1. बजट

वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये शासन द्वारा कुल रू0 7444.72 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया । अवमुक्त अनुदान पुलिस मुख्यालय द्वारा जनपदों/इकाईयों को आवंटित किया गया । पुलिस विभाग से सम्बन्धित विगत पांच वर्षों का व्यय विवरण निम्नवत् है ।

वित्तीय वर्ष	वास्तविक व्यय (करोड़ में)	वृद्धि का प्रतिशत
2005–2006	2764.05	9.97
2006–2007	3210.70	16.15
2007–2008	3506.17	9.20
2008–2009	4227.89	20.58
2009–2010	5879.28	39.01

अनुदान सं0–26,गृह विभाग (पुलिस) के अधीन वित्तीय वर्ष 2005–06 में अनुदान की स्थिति एवं वास्तविक व्यय का विवरण

(हजार रूपयों में)

मानक मद	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान		पुनर्विनियोग		कुल अनुदान (कालम 2+3+4+5–6)	समर्पण	अन्तिम अनुदान कालम 7–8	वास्तविक व्ययव्यय
		प्रथम	द्वितीय	(+)	(-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01–वेतन	12286234	4890	4422	137004	94384	12338166	48723	12289443	12289443
02–मजदूरी	6724	0	0	0	0	6724	148	6576	6576
03–महंगाई भत्ता	7382854	2006397	2829	1783958	2379286	8796752	49833	8746919	8746919
04–यात्रा व्यय	895232	0	0	899570	0	1794802	16280	1778522	1778522
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	75944	0	0	5000	15082	65862	12115	53747	53747
06–अन्य भत्ते	1656176	790	565	81077	8218	1730390	8249	1722141	1722141
07–मानदेय	25	0	0	90	0	115	6	109	109

08–कार्यालय व्यय	198981	894	4445	4484	0	208804	727	208077	208077
09–विद्युत देय	239699	0	0	189319	0	429018	1994	427024	427024
10–जलकर / जलप्रभार	12923	0	0	5031	0	17954	969	16985	16985
11–लेखन सामग्री / छपाई	38626	0	0	11073	2100	47599	442	47157	47157
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	20100	2538	6452	35337	0	64427	4866	59561	59561
13–टेलीफोन पर व्यय	62696	102	56	0	0	62854	1330	61524	61524
14–मोटर गाड़ियों का कय	260005	250000	31521	155515	47763	649278	216645	432633	432633
15–गाड़ियों का अनुरक्षण / पी0ओ0एल0	326082	0	700	250001	0	576783	100	576683	576683
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवायें	7255	0	0	1000	0	8255	3086	5169	5169
17–किराया, उपशुल्क एवं कर	18076	0	0	2991	0	21067	881	20186	20186
18–प्रकाशन	500	0	0	0	0	500	0	500	500
19–विज्ञापन बिकी / विख्यापन व्यय	450	0	0	0	0	450	0	450	450
20–सहायकअनु0अंशदान / राज सहायता	8847	0	0	0	0	8847	7807	1040	1040
21–छात्रवृत्ति / छात्रवेतन	1	0	0	4481	0	4482	368	4114	4114
23–गुप्त सेवा व्यय	5632	0	0	0	0	5632	0	5632	5632
24–बृहत् निर्माण कार्य	1411265	39958	77210	1151	1151	1528433	1287721	240712	240712
25–लघु निर्माण कार्य	49629	0	0	0	0	49629	20616	29013	29013
26–मशीनें और सज्जा,उपकरण,संयंत्र	776549	753937	5001	1356	891992	644851	29157	615694	614019
29–अनुरक्षण	56844	0	0	15576	0	72420	2951	69469	69469
31–सामग्री और सम्पूर्ति	6501	0	0	0	0	6501	1	6500	6500
34–अवमूल्यन	1	0	0	0	0	1	1	0	0
39–औषधि तथा रसायन	2192	0	0	0	1356	836	836	0	0
42–अन्य व्यय	64422	1000	0	32700	1000	97122	7106	90016	90016
43–वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान	9205	0	0	0	0	9205	9205	0	0
44–प्रशिक्षण व्यय	43092	0	0	0	24632	18460	5050	13410	13410
45–अवकाश यात्रा व्यय	51368	0	0	0	41440	9928	4917	5011	5011
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफटवेयर	100000	100000	0	0	155515	44485	20405	24080	24080
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण / स्टेशनरी	1652	0	0	0	0	1652	3	1649	1649
48–पूंजीगत व्यय के लिये सहायक अनुदान	20000	0	0	0	0	20000	0	20000	20000
49–चिकित्सा व्यय	16581	0	0	47205	0	63786	1344	62442	62442
योग–मतदेय	2611236 3	3160506	133201	3663919	3663919	29406070	1763882	27642188	27640513
भारित	5050	0	0	1068	1068	5050	449	4601	4601

अनुदान सं0–26,गृह विभाग (पुलिस) के अधीन वित्तीय वर्ष 2006–07 में अनुदान की स्थिति एवं वास्तविक व्यय का विवरण

(हजार रू0 में)

मानक मद	मूल अनुदान	2006–2007 हेतु प्रावधानित अनुदान				कुल अनुदान 2+3+4+5–6	समर्पण	अन्तिम अनुदान	वास्तविक व्यय
		अनुपूरक अनुदान		पुनर्विनियोग					
		प्रथम	द्वितीय	(+)	(–)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01–वेतन	12871338	140000	0	29273	175884	12864727	125541	12739186	12739186
02–मजदूरी	8034	0	0	45	0	8079	778	7301	7301
03–मंहगाई भत्ता	5913069	0	640495	2311345	3322369	5542540	62743	5479797	5479797
04–यात्रा व्यय	1338000	0	0	52783	70000	1320783	2209	1318574	1318574
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	76502	0	0	19776	1084	95194	3374	91820	91820
06–अन्य भत्ते	1818103	0	0	66521	8593	1876031	10872	1865159	1865159
07–मानदेय	24	0	0	49	0	73	2	71	71
08–कार्यालय व्यय	234742	0	0	19583	0	254325	12595	241730	241730
09–विद्युत देय	320115	0	0	399371	0	719486	3585	715901	715901
10–जलकर/ जलप्रभार	12930	0	0	60	0	12990	862	12128	12128
11–लेखन सामग्री/ फार्मों की छपाई	44486	0	0	169	0	44655	1947	42708	42708
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	30407	0	0	10	0	30417	11572	18845	18845
13–टेलीफोन पर व्यय	73346	0	0	75	9500	63921	2340	61581	61581
14–मोटर गाड़ियों का क्रय	240007	0	500000	0	0	740007	11923	728084	728084
15–गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	509518	0	0	147490	0	657008	4044	652964	652964
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	7655	0	0	1133	27	8761	974	7787	7787
17–किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	18498	0	0	4769	0	23267	666	22601	22601
18–प्रकाशन	500	0	0	0	0	500	0	500	500
19–विज्ञापन, बिक्री/ विख्यापन व्यय	1050	0	0	0	0	1050	692	358	358
20–सहायक अनुदान,अंशदान/ राजसहायता	14861	100000	10000	0	58024	66837	21891	44946	44946
21–छात्रवृत्ति/छात्रवेतन	2000	0	0	23385	0	25385	0	25385	25385

23–गुप्तसेवा व्यय	6032	0	0	8000	0	14032	0	14032	14032
24–वृहत् निर्माण कार्य	1280002	1	100000	103873	103873	1380003	1031586	348417	348417
25–लघु निर्माण कार्य	30945	0	0	0	0	30945	337	30608	30608
26–मशीने और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र	920772	0	0	0	0	920772	445552	475220	475220
29–अनुरक्षण	77283	0	0	0	0	77283	925	76358	76358
31–सामग्री और सम्पूर्ति	6601	0	0	0	0	6601	59	6542	6542
34–अवमूल्यन	1	0	0	0	0	1	1	0	0
38–अन्तरिम सहायता	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39–औषधि तथा रसायन	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42–अन्य व्यय (मतदेय)	124099	2400	0	707663	0	834162	8011	826151	826151
43–वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान	9800	0	0	0	0	9800	0	9800	9800
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	39868	0	0	0	15832	24036	8769	15267	15267
45–अवकाश यात्रा व्यय	46062	0	0	409	38722	7749	3698	4051	4051
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	100001	0	0	0	0	100001	87027	12974	12974
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	6901	0	0	673	0	7574	355	7219	7219
48–पूंजीगत व्यय के लिये सहायक अनुदान	20000	0	0	73452	0	93452	0	93452	93452
49–चिकित्सा व्यय	50000	0	0	31073	0	81073	3015	78058	78058
50–मंहगाई वेतन	6335669	0	0	9093	206165	6138597	107180	6031417	6031417
योग	32589221	242401	1250495	4010073	4010073	34082117	1975125	32106992	32106992
योग–भारित	5500	1027	0	0	0	6527	2726	1315	1315

अनुदान सं0–26,गृह विभाग (पुलिस) के अधीन वित्तीय वर्ष 2007–08 में अनुदान की स्थिति एवं वास्तविक व्यय का विवरण

(हजार रू0 में)

मानक मद	मूल अनुदान	2007–2008 हेतु प्रावधानित अनुदान				कुल अनुदान 2+3+4+5–6	समर्पण	अन्तिम अनुदान कालम 7–8	वास्तविक व्यय
		अनुपूरक अनुदान		पुनर्विनियोग					
		प्रथम	द्वितीय	(+)	(–)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01–वेतन	13533038	0	0	90329	250318	13373049	18143	13354906	13354906
02–मजदूरी	7309	0	0	0	493	6816	166	6650	6650

03–महगाई भत्ता	7712022	0	0	43489	213127	7542384	14619	7527765	7527765
04–यात्रा व्यय	1393411	0	0	230930	350	1623991	3570	1620421	1620421
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	77858	0	0	517	0	78375	1293	77082	77082
06–अन्य भत्ते	1904130	0	0	106666	9611	2001185	4579	1996606	1996606
07–मानदेय	1073	0	0	0	800	273	151	122	122
08–कार्यालय व्यय	249492	0	0	3523	87616	165399	2803	162596	162596
09–विद्युत देय	321718	0	0	13547	13604	321661	1430	320231	320231
10–जलकर/ जलप्रभार	12970	0	0	7350	169	20151	420	19731	19731
11–लेखन सामग्री/ फार्मों की छपाई	44708	0	0	24753	1782	67679	233	67446	67446
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	28172	0	0	3851	130	31893	76	31817	31817
13–टेलीफोन पर व्यय	72915	0	0	9522	766	81671	2591	79080	79080
14–मोटर गाड़ियों का क्रय	164352	0	0	141011	0	305363	375	304988	304988
15–गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	554764	0	0	289507	729	843542	842	842700	842700
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	13754	0	0	0	5035	8719	1720	6999	6999
17–किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	18603	0	0	10039	11	28831	505	28326	28326
18–प्रकाशन	500	0	0	0	0	500	0	500	500
19–विज्ञापन, बिक्री/ विख्यापन व्यय	1050	0	0	0	0	1050	455	595	595
20–सहायक अनुदान,अंशदान/ राजसहायता	226261	0	0	10200	167100	69361	7023	62338	62338
21–छात्रवृत्ति/छात्रवेतन	25400	0	0	0	25356	44	0	44	44
23–गुप्तसेवा व्यय	8632	0	0	2000	0	8632	0	8632	8632
24–वृहत् निर्माण कार्य	785542	510000	0	31	31	1295542	186082	1109460	1109460
25–लघु निर्माण कार्य	30394	0	0	0	0	30394	1728	28666	28666
26–मशीने और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र	738489	0	0	960	139872	599577	144708	454869	454869
29–अनुरक्षण	77167	0	0	4399	0	81566	2151	79415	79415
31–सामग्री और सम्पूर्ति	6501	0	0	0	0	6501	1	6500	6500

34–अवमूल्यन	1	0	0	0	0	1	1	0	0
38–अन्तरिम सहायता	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39–औषधि तथा रसायन	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42–अन्य व्यय (मतदेय)	363453	0	0	11899	57835	317517	13503	304014	304014
43–वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान	11695	0	0	0	0	11695	2334	9361	9361
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	39728	0	0	47	18087	21688	6190	15498	15498
45–अवकाश यात्रा व्यय	41182	0	0	94	34088	7188	3579	3609	3609
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का कय	100001	0	0	0	0	100001	99514	487	486
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का कय	7548	0	0	475	100	7923	50	7873	7872
48–पूंजीगत व्यय के लिये सहायक अनुदान	1	0	0	0	0	1	1	0	0
49–चिकित्सा व्यय	61502	0	0	46784	800	107486	1169	106317	106317
50–मंहगाई वेतन	6425768	0	0	39946	106754	6358960	6632	6352328	6352328
51–वर्दी व्यय	22149	0	0	42730	35	64844	1091	63753	63753
	35081453	**510000**	**0**	**1134599**	**1134599**	**35591453**	**529728**	**35061725**	**35061723**
योग–26	**35081453**	**510000**	**0**	**1134599**	**1134599**	**35591453**	**529728**	**35061725**	**35061723**
योग–भारित	**6527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6527**	**3694**	**2833**	

अनुदान सं0–26,गृह विभाग (पुलिस) के अधीन वित्तीय वर्ष 2008–09 में अनुदान की स्थिति एवं वास्तविक व्यय का विवरण

(हजार रू0 में)

मानक मद	2008–2009 हेतु प्रावधानित अनुदान						समर्पण	अन्तिम अनुदान (7–8)	वास्तविक व्यय
	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान		पुनर्विनियोग		कुल अनुदान 2+3+4+5–6			
		प्रथम	द्वितीय	(+)	(–)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01–वेतन	13898103	0	3922414	4011899	3957051	17875365	-3858993	21729338	21729338
02–मजदूरी	7504	0	186	60	30	7720	875	6570	6570
03–महगाई भत्ता	10306790	0	0	4387	46989	10264188	2572614	7687679	7687679
04–यात्रा व्यय	1287016	0	400000	60225	76025	1671216	21453	1648663	1648663
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	78355	0	0	2485	413	80427	2047	78378	78378
06–अन्य भत्ते	1994852	0	0	118010	235	2112627	-71154	2183262	2183262
07–मानदेय	1075	0	0	0	0	1075	7	17	17
08–कार्यालय व्यय	127506	0	0	6800	100	134206	1400	131956	131956
09–विद्युत देय	323368	0	0	9123	549	331942	1039	330763	330763
10–जलकर/ जलप्रभार	13067	0	0	1	10	p	530	12493	12493

11–लेखन सामग्री / फार्म की छपाई	39851	0	0	21794	79	61566	402	60609	60609
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	33722	0	0	3220	6389	30553	444	29439	29439
13–टेलीफोन पर व्यय	63515	0	0	150	1122	62543	1740	60402	60402
14–मोटर गाडियों का क्रय	190007	0	0	113369	0	303376	543	302832	302832
15–गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	600001	0	254946	8500	989	862458	8800	853584	853584
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	15284	0	0	6500	308	21476	884	5592	5592
17–किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	20323	0	0	11000	991	30332	1254	28578	28578
18–प्रकाशन	600	0	0	1500	0	2100	1509	491	491
19–विज्ञापन, बिक्री / विख्यापन व्यय	1051	0	0	1	0	1052	324	727	727
20–सहायक अनुदान,अंशदान / राजसहायता	217067	0	0	0	173024	44043	5073	33264	33264
21–छात्रवृत्ति / छात्रवेतन	30000	0	0	0	29815	185	104	81	81
23–गुप्तसेवा व्यय	6632	0	0	0	0	6632	10	6622	6622
24–वृहत् निर्माण कार्य	1902002	147500	0	396516	387516	2058502	739023	1319477	1319477
25–लघु निर्माण कार्य	30000	0	0	0	0	30000	244	29756	29756
26–मशीने और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	799169	18726	0	8120	9000	817015	91850	724915	724915
29–अनुरक्षण	77168	0	100000	783	0	177951	5498	172453	172453
31–सामग्री और सम्पूर्ति	6501	0	0	0	0	6501	293	6208	6208
34–अवमूल्यन	1	0	0	0	0	1	1	0	0
38–अन्तरिम सहायता	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39–औषधि तथा रसायन	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42–अन्य व्यय (मतदेय)	108094	0	0	13714	8230	113578	9489	102379	102379
43–वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान	12901	0	1556	0	0	14457	1556	0	0
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	35720	0	0	14876	3465	47131	2348	44783	44783
45–अवकाश यात्रा व्यय	41382	0	0	1200	33070	9512	6032	3430	3430
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफ्टवेयर का क्रय	105602	0	0	1500	105000	2102	2	1500	1500
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	7737	0	0	450	0	8187	170	7866	7866
48–पूंजीगत व्यय के लिये सहायक अनुदान	1	0	0	0	0	1	0	0	0
49–चिकित्सा व्यय	62118	0	0	45946	761	107303	1083	106220	106220
50–महंगाई वेतन	6606181	0	0	3194	24117	6585258	2161316	4422182	4422182
51–वर्दी व्यय	150132	0	0	0	45	150087	3636	146451	146451
योग–26	**39200398**	**166226**	**4679102**	**4865323**	**4865323**	**44032668**	**1713446**	**42278960**	**42278960**
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
योग–भारित	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

अनुदान सं0–26,गृह विभाग (पुलिस) के अधीन वित्तीय वर्ष 2009–10 में अनुदान की स्थिति एवं वास्तविक व्यय का विवरण

(हजार रू0 में)

मानक मद	मूल अनुदान	2009–2010 हेतु प्रावधानित अनुदान				कुल अनुदान 2+3+4+5–6	समर्पण	अन्तिम अनुदान (7–8)	वास्तविक व्यय
		अनुपूरक अनुदान		पुनर्विनियोग					
		प्रथम	द्वितीय	(+)	(–)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01–वेतन	41028429	0	990312	1304954	1881894	41441801	228647	41213154	41169942
02–मजदूरी	7630	1	0	177	0	7808	3	7805	7404
03–महंगाई भत्ता	6655064	0	415026	1133176	2098	8201168	73941	8127227	8097153
04–यात्रा व्यय	1482404	0	0	39000	60782	1460622	68111	1392511	1389110
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	84958	0	0	500	0	85458	1889	83569	83067
06–अन्य भत्ते	3997345	0	20094	49764	1122195	2945008	21255	2923753	2915074
07–मानदेय	101	0	0	0	0	101	1	100	23
08–कार्यालय व्यय	171386	1	0	57278	0	228665	479	228186	166923
09–विद्युत देय	358673	0	171735	153137	0	683545	6861	676684	675744
10–जलकर/ जलप्रभार	14253	0	35112	9115	0	58480	4818	53662	53626
11–लेखन सामग्री/ फार्मों की छपाई	65229	1	0	65927	0	131157	217	130940	81607
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	41229	1	0	0	0	41230	15145	26085	23514
13–टेलीफोन पर व्यय	89106	1	0	800	0	89907	18908	70999	70447
14–मोटर गाड़ियों का क्रय	222758	0	0	3835	0	226593	83325	143268	87241
15–गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	974125	1	0	0	0	974126	19255	954871	953797
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	11886	0	0	9730	0	21616	2745	18871	7370
17–किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	23864	0	0	12600	0	36464	1842	34622	30522
18–प्रकाशन	5700	0	0	0	0	5700	558	5142	42
19–विज्ञापन, बिक्री/ विख्यापन व्यय	2052	0	0	0	0	2052	50	2002	1001
20–सहायक अनुदान,अंशदान/ राजसहायता	227637	0	0	0	5000	222637	172997	49640	43364
21–छात्रवृत्ति/छात्रवेतन	30000	0	0	0	27066	2934	272	2662	2662
23–गुप्तसेवा व्यय	6632	0	0	0	0	6632	0	6632	6632
24–वृहत् निर्माण कार्य	2390000	76160	0	7889	7889	2466160	744216	1721944	595813
25–लघु निर्माण कार्य	30001	0	0	0	0	30001	0	30001	29400
26–मशीने और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र	939284	50000	0	2500	0	991784	611480	380304	357854
29–अनुरक्षण	86976	1	0	0	0	86977	3	86974	86774
31–सामग्री और सम्पूर्ति	8001	0	0	0	0	8001	0	8001	8001
34–अवमूल्यन	1	0	0	0	0	1	0	1	1

35–अन्तर्लेखा संकर्मण	0	138132	0	0	0	138132	0	138132	138132
38–अन्तरिम सहायता	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39–औषधि तथा रसायन	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42–अन्य व्यय (मतदेय)	1015584	300002	0	849294	653791	1511089	156382	1354707	1322706
43–वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान	19708	0	0	0	0	19708	0	19708	3118
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	56730	0	0	27262	27748	56244	5668	50576	46826
45–अवकाश यात्रा व्यय	42640	0	0	534	14959	28215	18073	10142	9092
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	3302	0	0	2000	0	5302	500	4802	202
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	9660	0	0	5700	0	15360	68	15292	14290
48–पूंजीगत व्यय के लिये सहायक अनुदान	23544	0	0	0	0	23544	0	23544	0
49–चिकित्सा व्यय	76654	0	0	66888	0	143552	23	143529	143029
50–महंगाई वेतन	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51–वर्दी व्यय	173962	0	0	26	332	173656	1816	171826	171339
योग–26 (मतदेय)	**60376508**	**564301**	**1632279**	**3802086**	**3803754**	**62571430**	**2259548**	**60311868**	**58792793**
योग–भारित	**6527**	**0**	**0**	**1668**	**0**	**8195**	**527**	**2220**	**2567**

अनुदान सं0–26,गृह विभाग (पुलिस) के अधीन वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान की स्थिति एवं वास्तविक व्यय का विवरण

(हजार रू0 में)

मानक मद	मूल अनुदान	2010–2011 हेतु प्राक्धानित अनुदान				कुल अनुदान 2+3+4+5–6	समर्पण	अन्तिम अनुदान	वास्तविक व्यय
		अनुपूरक अनुदान		पुनर्विनियोग					
		प्रथम	द्वितीय	(+)	(–)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01–वेतन	44652161	75524	0	526342	894393	44359634	218251	44141383	44141383
02–मजदूरी	47753	11345	0	1530	0	60628	24074	36554	36554
03–महंगाई भत्ता	11877134	25433	0	344496	2000	12245063	39544	12205519	12205519
04–यात्रा व्यय	1482465	45039	0	25700	70410	1482794	23876	1458918	1458918
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	85338	10121	0	3878	926	98412	1639	96773	96773
06–अन्य भत्ते	4259804	6288	0	21343	567015	3720420	138825	3581595	3581595
07–मानदेय	103	0	0	0	0	103	2	101	101
08–कार्यालय व्यय	255275	104038	0	704732	35445	1028600	51074	977526	977526
09–विद्युत देय	388514	207104	0	64646	0	660264	2636	657628	657628
10–जलकर/ जलप्रभार	18383	600	0	0	0	18983	951	18032	18032
11–लेखन सामग्री/ फार्मों की छपाई	101459	23197	0	10700	0	135356	1191	134165	134165
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	45597	12760	0	102823	0	161180	26113	135067	135067
13–टेलीफोन पर व्यय	89605	950	0	4316	804	94267	15595	78672	78672

14–मोटर गाड़ियों का क्रय	422757	52287	0	578252	85041	968255	131985	836270	836270
15–गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	981788	4229	0	129000	64000	1051017	20096	1030921	1030921
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	19539	300	0	6328	1123	25044	1510	23534	23534
17–किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	45765	2399	0	32775	0	80939	1896	79043	79043
18–प्रकाशन	2601	0	0	0	0	2601	285	2316	2316
19–विज्ञापन, बिक्री/ विख्यापन व्यय	2052	0	0	0	0	2052	100	1952	1952
20–सहायक अनुदान,अंशदान/ राजसहायता	227637	0	0	0	15000	212637	151260	61377	61377
21–छात्रवृत्ति/छात्रवेतन	30000	0	0	0	8016	21984	17930	4054	4054
23–गुप्तसेवा व्यय	6165	34709	0	0	0	40874	0	40874	40874
24–वृहत् निर्माण कार्य	3755100	588579	0	100785	502673	3941791	2334465	1607326	1607326
25–लघु निर्माण कार्य	35000	0	0	0	0	35000	361	34741	34741
26–मशीने और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र	1147552	785946	0	311571	0	2245069	1088259	1156810	1156810
29–अनुरक्षण	183567	0	0	4074	0	187641	186	187455	187455
31–सामग्री और सम्पूर्ति	8001	0	0	0	0	8001	0	8001	8001
34–अवमूल्यन	1	0	0	0	0	1	0	1	1
35–अन्तलेखा संक्रमण	127500	0	0	0	0	127500	0	127500	127500
38–अन्तरिम सहायता	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39–औषधि तथा रसायन	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42–अन्य व्यय (मतदेय)	1290813	7484	0	554400	1025200	827497	35390	792107	792107
43–वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान	21916	0	0	0	0	21916	0	21916	21916
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	371415	3500	0	0	293456	81459	12234	69225	69225
45–अवकाश यात्रा व्यय	42924	500	0	100	8460	35064	3827	31237	31237
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	506	100	0	26170	0	26776	1548	25228	25228
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	12350	10817	0	10000	0	33167	8	33159	33159
48–पूंजीगत व्यय के लिये सहायक अनुदान	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49–चिकित्सा व्यय	101724	500	0	10000	0	112224	1196	111028	111028
51–वर्दी व्यय	206019	79486	0	0	0	285505	4640	280865	280865
योग–26 (मतदेय)	72346483	2093235	0	3573961	3573961	74439718	4350947	70088873	70088873
योग–भारित	7500	0	0	0	0	7500	794	6706	6706

अनुदान सं0–26,गृह विभाग (पुलिस) के अधीन वित्तीय वर्ष 2011–12 के बजट में विभिन्न मदों में प्राविधान का विवरण

(हजार रूपयों में)

01–वेतन	39377049
02–मजदूरी	51353
03–मंहगाई भत्ता	20445838
04–यात्रा व्यय	1366056
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	87943
06–अन्य भत्ते	4534743
07–मानदेय	50078
08–कार्यालय व्यय	261917
09–विद्युत देय	518493
10–जलकर/ जलप्रभार	18912
11–लेखन सामग्री/ फार्मों की छपाई	95364
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	149475
13–टेलीफोन पर व्यय	65889
14–मोटर गाड़ियों का कय	422757
15–गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	834501
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	20629
17–किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	58854
18–प्रकाशन	1101
19–विज्ञापन, बिक्री/ विख्यापन व्यय	1552
20–सहायक अनुदान,अंशदान/ राजसहायता	227950
21–छात्रवृत्ति/छात्रवेतन	30000
23–गुप्तसेवा व्यय	40874
24–वृहत् निर्माण कार्य	3885000
25–लघु निर्माण कार्य	35000
26–मशीने और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र	1477017
29–अनुरक्षण	184277
31–सहायता अनुदान–सामान्य वेतन	20076
34–अवमूल्यन	1
35–पूँजीगत व्यय के सहायक अशंदान	0
38–अन्तरिम सहायता	0
39–औषधि तथा रसायन	0
42–अन्य व्यय (मतदेय)	718447
43–सामग्री और सम्पूर्ति	8001
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	374915
45–अवकाश यात्रा व्ययं	52524
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का कय	606
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का कय	13493

48–अन्तलेखा संकमण	136565
49–चिकित्सा व्यय	130874
51–वर्दी व्यय	239197
योग–26 (मतदेय)	75937321
योग–भारित	7500

2. भवन

आलोच्य अवधि में आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु रू0 5049.90 लाख की स्वीकृति जारी की गयी । इससे 746 आवासीय भवन एवं 640 जवानों हेतु बैरक का निर्माण कराया गया । अनावासीय भवनों के अन्तर्गत 10 थाना भवन, 11 महिला थाना भवन, 01 चौकी भवन एवं विभिन्न जनपद इकाईयों में 38 विविध निर्माण यथा रेडियो काम्पलेक्स, अस्पताल, अभिलेखागार, पुस्तकालय, वाच टावर, ओवर हेड टैंक/ट्यूबवेल एवं बाउण्ड्रीवाल आदि के निर्माण कराये गये ।

उक्त अवधि में आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत आवासीय भवनों के निर्माण की रु0 3594.50 लाख एवं अनावासीय भवनों की रु0 1455.40 लाख की स्वीकृतियां जारी की गयी है जिसका विवरण निम्नवत् है:–

2 (1) आवासीय भवन

क.सं.	भवन का प्रकार	संख्या
1–	श्रेणी–I	597
2–	श्रेणी–II	65
3–	श्रेणी–III	84
4–	बैरक	640 जवानों हेतु

2 (2) अनावासीय भवन

क.सं.	भवन का प्रकार	संख्या
1–	थाना भवन प्रशासनिक	10
2–	महिला थाना भवन प्रशासनिक	11
3–	चौकी भवन प्रशासनिक	01
4–	बाउन्ड्रीवाल	02
5–	रेडियो काम्प्लेक्स	01
6–	अस्पताल	01
7–	जिम्नेजियम हाल	01
8–	कम्पोजिट कन्ट्रोलरूम	01
9–	अभिलेखागार	01
10–	पुस्तकालय	01
11–	मोर्चा	04
12–	वाचटावर	01
13–	क्वार्टर गार्द	01

14–	बुलेटप्रूफ आब्जरवेशन टावर	01
15–	ओवर हैड टैंक/ट्यूबवेल	02
16–	अन्य कार्य	21

2(3) वर्ष–2000 से 2010 तक की अवधि में निर्मित आवासीय एवं अनावासीय भवनों का विवरण

वर्ष–2000

आवासीय		अनावासीय	
स्वीकृत भवनों की संख्या	निर्मित भवनों की संख्या	स्वीकृत भवनों की संख्या	निर्मित भवनों की संख्या
1424	1424	प्रशासनिक भवन–12	12
		चौकी–29	29
		बैरक–150 व्यक्ति	150

वर्ष–2001

आवासीय		अनावासीय	
स्वीकृत भवनों की संख्या	निर्मित भवनों की संख्या	स्वीकृत भवनों की संख्या	निर्मित भवनों की संख्या
3678	3678	प्रशासनिक भवन–32	32
		चौकी–7	7
		बैरक–692 व्यक्ति	692

वर्ष–2002

आवासीय		अनावासीय	
स्वीकृत भवनों की संख्या	निर्मित भवनों की संख्या	स्वीकृत भवनों की संख्या	निर्मित भवनों की संख्या
2158	2158	प्रशासनिक भवन–4	4
		चौकी–10	10
		बैरक–1300 व्यक्ति	1300

वर्ष–2003

आवासीय		अनावासीय	
स्वीकृत भवनों की संख्या	निर्मित भवनों की संख्या	स्वीकृत भवनों की संख्या	निर्मित भवनों की संख्या
1510	1510	प्रशासनिक भवन–36	36
		चौकी–5	5

वर्ष–2004

आवासीय		अनावासीय	
स्वीकृत भवनों की संख्या	निर्मित भवनों की संख्या	स्वीकृत भवनों की संख्या	निर्मित भवनों की संख्या
645	645	प्रशासनिक भवन–9	9
		चौकी–9	9

वर्ष–2005

आवासीय		अनावासीय	
स्वीकृत भवनों की संख्या	निर्मित भवनों की संख्या	स्वीकृत भवनों की संख्या	निर्मित भवनों की संख्या
432	432	प्रशासनिक भवन–66	66
		चौकी–8	8
		बैरक–207 व्यक्ति	207

वर्ष–2006

आवासीय		अनावासीय	
स्वीकृत भवनों की संख्या	निर्मित भवनों की संख्या	स्वीकृत भवनों की संख्या	निर्मित भवनों की संख्या
1389	1389	प्रशासनिक भवन–11	11
		चौकी–4	4
		बैरक–1690 व्यक्ति	1690
		महिला थाना–1	1
		यातायात कार्या0–1	1
		बहुउद्देशीय हाल–1	1
		इन्ट्रोगेशन रूम–61	61

वर्ष–2007

आवासीय		अनावासीय	
स्वीकृत भवनों की संख्या	निर्मित भवनों की संख्या	स्वीकृत भवनों की संख्या	निर्मित भवनों की संख्या
614	486 (शेष निर्माणाधीन)	प्रशासनिक भवन–7	7
		चौकी–1	1
		बैरक–320 व्यक्ति	320
		व्यायामशाला–1	1

वर्ष–2008			
आवासीय		अनावासीय	
स्वीकृत भवनों की संख्या	निर्मित भवनों की संख्या	स्वीकृत भवनों की संख्या	निर्मित भवनों की संख्या
534	299 (शेष निर्माणाधीन)	प्रशासनिक भवन–16	16
		बैरक–225 व्यक्ति	225
वर्ष–2009			
आवासीय		अनावासीय	
स्वीकृत भवनों की संख्या	निर्मित भवनों की संख्या	स्वीकृत भवनों की संख्या	निर्मित भवनों की संख्या
492	4 (शेष निर्माणाधीन)	प्रशासनिक भवन–8	8
		बैरक–100 व्यक्ति	100
वर्ष–2010			
आवासीय		अनावासीय	
स्वीकृत भवनों की संख्या	निर्मित भवनों की संख्या	स्वीकृत भवनों की संख्या	निर्मित भवनों की संख्या
746	3 (शेष निर्माणाधीन)	प्रशासनिक भवन–1	1

2.4 पुलिस विभाग में विभिन्न श्रेणी के आवासीय भवनों/बरकों की मानक के अनुसार आवश्यकता, उपलब्धता तथा कमीं का विवरण (दिनांक 30.04.2011 की स्थिति)

क्र. सं.	विवरण	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी
1	2	3	4	5
1	श्रेणी–I (कान्सटेबिल/चतुर्थ श्रेणी)	153231	46574	106657
2	श्रेणी–II (हेड कान्सटेबिल/समकक्ष)	70525	7488	63037
3	श्रेणी–III (निरीक्षक/ उप निरीक्षक/समकक्ष)	26062	7929	18133
4	श्रेणी–IV/V (अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक)	1611	364	1247
5	पुलिस अधीक्षक आवास	72	64	8
6	पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक आवास	18	16	2
7	बैरक– क्षमता प्रति व्यक्ति	142758	60581	82177

3. पदों का सृजन

शासनादेश संख्या 4147/6–पु–1–08–120/08 दिनांक 11.12.2008 द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार पदों का विवरण निम्नवत है:–

1— <u>एन0सी0आर0 क्षेत्र के जनपदों के नियतन में वृद्धि—</u>

वर्तमान में एन0सी0आर0 के 10 जनपदों में कुल 207 थाने है । इन थानों पर मानक के अनुसार जनशक्ति देने पर कुल उपलब्ध पुलिस बल व रैंक पर अनुपात निम्नवत है :—

पद	वर्तमान उपलब्धता	वृद्धि
निरीक्षक	65	145
उ0नि0	1070	471
हे0कां0	1778	5123
कान्स0	11147	19376
कान्सोल आपरेटर	—	486
योग	**14654**	**25601**

2— <u>नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नियतन में वृद्धिः—</u>

वर्तमान में नक्सल प्रभावित इन 3 जनपदों में कुल 46 थाने है । इन्हीं थानों पर संदर्भित मानक के अनुसार जनशक्ति देने पर कुल उपलब्ध पुलिस बल व रैंकवार अनुपात निम्नवत् है :—

पद	वर्तमान उपलब्धता	वृद्धि
निरीक्षक	9	37
उ0नि0	215	314
हे0कां0	230	1506
कान्स0	1658	5976
कान्सोल आपरेटर	—	98
योग	**2112**	**7931**

3— <u>उ0प्र0 नेपाल सीमा के जनपदों में नियतन में वृद्धिः—</u>

उ0प्र0 नेपाल सीमा के 7 जनपदों में थानों पर संदर्भित मानक के अनुसार जनशक्ति देने पर कुल उपलब्ध पुलिस बल निम्नवत है :—

पद	वर्तमान उपलब्धता	वृद्धि
निरीक्षक	27	85
उ0नि0	620	558
हे0कां0	665	3465
कान्स0	4004	12826
कान्सोल आपरेटर	—	241
योग	**5316**	**17175**

4— <u>प्रदेश के शेष 51 जनपदों में नियतन में वृद्धिः—</u>

वर्तमान में प्रदेश के इन 51 जनपदों में कुल 1014 थाने है तथा जनसंख्या 122280852 है । इन थानों पर निर्धारित मानक के अनुसार जनशक्ति देने पर कुल उपलब्ध पुलिस बल निम्नवत् है :—

पद	वर्तमान उपलब्धता	वृद्धि
निरीक्षक	252	747

उ0नि0	4432	5648
हे0कां0	3420	30601
कान्स0	31946	112913
कम्प्यूटर आपरेटर		2327
योग	**40050**	**152236**

5 **महिला थाना:-**

वर्तमान में प्रदेश में कुल 12 महिला थाना यथा आगरा, इलाहाबाद, झांसी, लखनऊ, फैजाबाद,बरेली, मुरादाबाद,मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर नगर, इटावा (हेवरा) जनपदों मे है । महिलाओं पर अत्याचार, अपराधिक गतिविधियों आदि पर अंकुश लगाने हेतु प्रदेश के प्रत्येक जनपद मे महिला थाना स्थापित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है । अतः इस हेतु प्रदेश के 59 जनपदों में महिला थाना स्थापना हेतु 1039 कार्मिकों की आवश्यकता है । पदवार एवं अतिरिक्त व्ययभार विवरण निम्नवत् है:-

महिला थाना

पद	री0पी0	कान्स0 चालक	योग
कान्सटेबिल	596	39	635
हेड कान्सटेबिल	129	0	129
उ0नि0	154	0	154
निरीक्षक	3	0	3
चतुर्थ श्रेणी			118
योग			**1039**

6- **उपरोक्तानुसार एनसीआर जनपद/नक्सल प्रभावित जनपद/नेपाल सीमावर्ती जनपद/शेष 51 जनपदों एवं महिला थानों हेतु कुल प्रस्तावित पदों का विवरण:-**

पद	ना0पु0	कान्ा0 चालक	योग
कान्सटेबिल	151726	39	151765
हेड कान्सटेबिल	40824	0	40824
उ0नि0	7145	0	7145
निरीक्षक	1017	0	1017
क0 आपरेटर	3152	0	3152
चतुर्थ श्रेणी			118
योग			**204021**

अतः उपर्युक्तानुसार ना0पु0 के कुल 204021 अस्थायी पद जिसमें आरक्षी के 151726 आरक्षी चालक के 39 हेड कान्ा0 के 40824 उपनिरीक्षक के 7145 निरीक्षक के 1017 कम्प्यूटर आपरेटर के 3152 एवं चतुर्थ श्रेणी के 118 पदों की शासनादेश के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

वर्ष 2010 में शासन द्वारा विभिन्न श्रेणी/संवर्गों के कुल 2127 पदों का सृजन किया गया। इसके अतिरिक्त 29 जनपदीय मुख्यालय मे जनपदीय महिला थानों की स्थापना , 27 नये

अग्निशमन केन्द्रों को स्थापना एवं उ0प्र0 विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा वाहिनी का गठन तथा जनपद काशीराम नगर में नगर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी ।

4. अस्त्र–शस्त्र

पुलिस विभाग में उपलब्ध शस्त्रों की स्थिति

श्रेणी	अस्त्र–शस्त्र का प्रकार	जनपद	जीआरपी	प्रशिक्षण	अन्य	पीएसी	योग	केन्द्रीय रिजर्व
RIFLE	.303" RIFLE NO.1	39986	1916	1228	15	4711	47856	4328
	.303" RIFLE NO.4	11861	128	237	0	1983	14209	1
	7.62 BOLT ACTION	6822	19	170	12	460	7433	341
	7.62 SLR	5596	35	506	22	12421	18580	0
	5.56 INSAS RIFLE	3612	166	80	0	20013	23871	30
	SUB TOTAL	**67877**	**2264**	**2221**	**49**	**39588**	**111999**	**4700**
	AK 47	1545	24	100	413	808	2890	0
CARBINE	.45" CMT	490	1	108	0	450	1049	0
	STEN 9MM	1768	49	204	0	1787	3808	0
	CARBINE 9MM	5613	37	255	60	1598	7563	0
	SUB TOTAL	**7871**	**111**	**667**	**473**	**4643**	**15310**	**0**
LMG	.303" GUN MACHINE BRAIN	113	0	46	0	766	925	0
	7.62 GUN MACHINE	58	0	0	0	30	88	0
	LMG 5.56 MM INSAS	0	0	0	0	145	146	0
	SUB TOTAL	**171**	**0**	**46**	**0**	**942**	**1159**	**0**
GF RIFLE	.303" RIFLE G.F.	40	0	20	0	806	866	0
	PROJECTOR 7.62 SLR	78	0	102	2	655	837	0
	2"/51mm MORTAR OML	34	0	18	0	193	245	0
	SUB TOTAL	**152**	**0**	**140**	**2**	**1654**	**1948**	**0**
REVOLVER/ PISTOL	.455" REVOLVER	403	45	7	3	7	465	0
	.38" REVOLVER	6517	232	142	118	756	7595	0
	PISTOL 9MM	10671	209	365	395	575	12215	1866
	G-LOCK PISTOL	1861	17	26	788	642	3334	0
	SUB TOTAL	**19282**	**503**	**540**	**1304**	**1980**	**23609**	**1866**
SIGNAL LIGHT	PRO. MINI FLAIRE	2630	68	86	11	1123	3938	124
	VLP 1"	1107	40	19	0	536	1702	5
	SUB TOTAL	**3757**	**108**	**105**	**11**	**1659**	**5640**	**129**
	.22" RIFLE NO.2	660	0	391	0	301	1352	0
	.22" SPORTING GUN	17	0	0	0	0	17	0
MISC. ARMS	ANTI RIOT GUN	1057	10	31	0	355	1455	17
	TEAR GAS GUN	861	5	90	0	569	1525	0
	DBBL GUN	44	0	0	0	31	75	0
	SUB TOTAL	**1962**	**15**	**121**	**0**	**955**	**3053**	**17**
	GRAND TOTAL	**101072**	**3001**	**3840**	**1839**	**51421**	**162718**	**6712**

एम्युनिशन(2006–07)

क0सं0	एम्युनिशन का नाम	आपूर्ति संख्या	जहां से आपूर्ति प्राप्त हुई है
1	7.62 एमएम बीडीआर बाल	790000	ओ0एफ0 बरनगांव
2	5.56 एमएम इंसास बाल	148657	ओ0एफ0 बरनगांव
3	9 एमएम बाल	300000	ओ0एफ0 जबलपुर
4	वीएलपी इल्यू	1479	डेहू रोड, पुणे
5	वीएलपी रेड	23	"
6	वीएलपी ग्रीन	1229	"
7	303 ब्लैंक बाल	482000	ए0एफ0 खड़की
8	कैण्डिल स्मोक	900	ओ0एफ0 खमरिया
9	टी0एस0 ग्रिनेड	2000	बीएसएफ टेकनपुर
10	थ्री वे ग्रिनेड	2000	"
11	टू इन वन सेल	2500	"
12	टी0एस0 सेल (ई)	300	"
13	हैण्ड ग्रिनेड एचई 36	1000	ए0एफ0 खड़की
14	डेटोनेटर 36 04से0 डिले	6864	"
15	डेटोनेटर 07 से0 डिले	6074	ओ0एफ0 जबलपुर
16	बाम्ब 51 एमएम एचई	870	ए0एफ0 खड़की
17	51 एमएम मोर्टार बाम्ब इल्यू	659	डेहू रोड, पुणे

एम्युनिशन(2007–08)

बजट उपलब्ध न होने के कारण उक्त वित्तीय वर्ष में क्रय नहीं किया गया।

एम्युनिशन (2008–09)

क0सं0	एम्युनिशन का नाम	आपूर्ति संख्या	जहां से आपूर्ति प्राप्त हुई है
1	5.56 एमएम इंसास बाल	199945	ए0एफ0 खड़की
2	9 एमएम बाल	99956	ए0एफ0 खड़की
3	303 बीडीआर बाल	27038	ओ0एफ0 खमरिया
4	कैण्डिल स्मोक	1000	"
5	टू इन वन सेल	1164	बीएसएफ टेकनपुर
6	डाईमार्कर ग्रिनेड	452	"
7	स्टीगर ग्रिनेड	354	"
8	7.62 एमएम सीटीएन बाल	945000	ओ0एफ0 बरनगांव
9	5.56 एमएम सीटीएन बाल	350600	ए0एफ0 खड़की

10	9 एमएम बाल	1000000	"
11	कार्टेज सिंगनल लाल	500	डेहू रोड, पुणे
12	कार्टेज सिंगनल हरा	500	"
13	कार्टेज सिंगनल सफेद	500	"
14	22आरएफ बाल	49937	ए0एफ0 खड़की
15	38 रिवाल्वर बाल	400000	ए0एफ0 खड़की
16	बीडीआर बाल	200000	ओ0एफ0 खमरिया
17	कैण्डिल स्मोक	2000	"
18	डेटोनेटर 04से0 डिले	2000	ए0एफ0 खड़की
19	51 एमएम मोर्टार बम स्मोक	510	डेहू रोड, पुणे
20	51 एमएम मोर्टार बम इल्यू	504	"
21	51 एमएम मोर्टार बम एचई	500	ए0एफ0 खड़की
22	इंसास बाल	1268000	ओ0एफ0 बरनगांव
23	7.62 बीडीआर बाल	487000	"
24	9 एमएम बाल	155000	ए0एफ0 खड़की
25	38 बोर रिवाल्वर बाल	67000	"
26	303 बीडीआर बाल	783000	ओ0एफ0 खमरिया
27	प्लास्टिक पिलेट्स	256	गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर
28	कैण्डिल स्मोक	2230	ओ0एफ0 खमरिया

एम्युनिशन (2009–10)

क0सं0	एम्युनिशन का नाम	आपूर्ति संख्या	जहां से आपूर्ति प्राप्त हुई है
1	22 आरएफ बाल	10158	ए0एफ0 खड़की
2	303 ब्लैंक बाल	26111	"
3	303बीडीआर बाल	410043	ओ0एफ0 खमरिया
4	303 बाल सीटीएन	6857	ओ0एफ0 खमरिया
5	7.62 एमएम बीडीआर बाल	179487	ओ0एफ0 बरनगांव
6	5.56 एमएम इंसास बाल	888888	ए0एफ0 खड़की
7	9 एमएम बाल	228571	ए0एफ0 खड़की
8	38 बोर रिवाल्वर बाल	77936	ए0एफ0 खड़की
9	51 एमएम मोर्टार बम इलू	146	डेहू रोड पुणे
10	51 एमएम बम ग्रीन	155	डेहू रोड पुणे
11	51 एमएम बम रेड	155	डेहू रोड पुणे
12	51 एमएम मोर्टार बम एचई	150	डेहू रोड पुणे

13	51 एमएम मोर्टार बम स्मोक	170	डेहू रोड पुणे
14	वीएलपी सफेद	200	डेहू रोड पुणे
15	वीएलपी रेड	184	डेहू रोड पुणे
16	वीएलपी ग्रीन	267	डेहू रोड पुणे
17	7.62 एमएम रायफल ग्रिनेड	220	ओ0एफ0 खमरिया
18	हैण्ड ग्रिनेड विद डेटोनेटर	500	ओ0एफ0 खमरिया
19	9 एमएम बाल	38090	ए0एफ0 खड़की
20	9 एमएम बाल	234350	ए0एफ0 खड़की

एम्युनिशन (2010–11)

क0सं0	एम्युनिशन का नाम	आपूर्ति संख्या	जहां से आपूर्ति प्राप्त हुई है
1	7.62 एमएम एके–47 बाल	33291	ओ0एफ0 बरनगांव
2	5.56 एमएम इंसास बाल	85214	"
3	7.62 एमएम एके–47 बाल	59818	"
4	7.62 एमएम बीडीआर बाल	97112	"
5	टीएस सेल (ई)	5500	बीएसएफ टेकनपुर
6	टीएस ग्रिनेड	1000	"
7	स्टेन सेल	200	"
8	स्टेन सेल (ई)	2000	"
9	डाईमार्कर ग्रिनेड	1500	"
10	7.62 एमएम बीडीआर बाल	915638	ओ0एफ0 बरनगांव
11	5.56 एमएम सीटीएन बाल	645131	"
12	एके–47 बाल	60491	"
13	स्लैब डेमुलेशन	3000	हाई एक्सप्लोसिव फैक्ट्री खड़की

वर्ष 2010–11 में आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत रू0 25.88 करोड़ से निम्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र एवं विभिन्न प्रकार के कारतूस क्रय किये गये :–

1– 5.56 एसएम इन्सास राइफल 3807 अदद
2– 9 एमएम पिस्टल 2000 अदद
3– 5.56 एमएम ब्रेनगन एलएमजी 65 अदद
4– 5.56 एमएम कार्बाइन मशीन 100 अदद

5. टेण्टेज

उ0प्र0 पुलिस व पीएसी बल के लिये धनराशि रू0 34.21 लाख से विभिन्न प्रकार के 355 अदद टेण्ट क्रय किये गये ।

उत्तर प्रदेश पुलिस हेतु स्वीकृत वाहनों का मेकवार विवरण

क0सं0	वाहन का मेक	नियतन
1	अम्बेसडर कार	381
2	टाटा इंडिगो	11
3	टाटा इन्डिका विस्टा	2
4	टाटा सफारी	2
5	बुलेट प्रूफ कार	46
6	मारूति स्वीफ्ट डिजायर	20
7	मारूति एस्टीम	20
8	मारूति अल्टो	6
9	मारूति एस्टिलो	5
10	मारूति वैगनार	2
11	मारूति जेन	2
12	मारूति बैन	4
13	हुण्डई आई–10	2
14	इनोवा	2
15	टवेरा	30
16	टोयटा लैण्ड कूजर प्राडो	8
17	टोयटा क्वालिस	47
18	महिन्द्रा बोलेरो	438
19	महिन्द्रा स्कार्पियो	14
20	मारूति जिप्सी	839
21	मारूति चेतक	282
22	बुलेट प्रूफ जिप्सी	49
23	डीजल जीप	2176
24	टाटा सूमो	38
25	बी0पी0 महिन्द्रा रक्षक	3
26	टाटा स्पेशियो	296
27	टाटा –एसीई एचटी	1

28	एम्बुलेन्स (हल्के वाहन)	119
	योग हल्का वाहन	**4845**
29	एम्बुलेन्स (मीडियम वाहन)	66
30	टाटा–207	402
31	बुलेट प्रूफ टाटा–407	6
32	बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर	15
33	सादा ट्रैक्टर	2
34	मध्यम वाहन	348
35	माइन्स प्रूफ वाहन	6
36	बज्र वाहन	146
योग मीडियम वाहन		**991**
37	वाटर कैनन	6
38	केन (रिकवरी वैन)	64
39	ट्रक/प्रिजन वैन	1077
40	बडी बस	319
	योग भारी वाहन	**1466**
41	स्कूटी	36
42	मोटर साइकिल 100 सीसी	700
43	मोटर साइकिल 100 से 150 सीसी	3089
44	मोटर साइकिल 180 सीसी	250
45	मोटर साइकिल 225 सीसी	55
46	मोटर साइकिल 350 सीसी	815
	योग मोटर साइकिल	**4945**
	कुल योग–	**12247**

05 वर्षों में नये तथा निष्प्रयोज्य के सापेक्ष कय किये गये वाहनों का वर्षवार विवरण

वाहन का मेक	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	5 वर्षों का योग
आधुनिकीकरण योजना/सामान्य बजट से नये वाहन						
स्टाफ कार	8	14	0	6	17	45
मारूति ओमनी	0	3	0	0	1	4
मारूति चेतक	105	0	0	0	0	105
मारूति जिप्सी	140	0	19	10	9	178
डीजल जीप	265	0	0	71	0	336
टाटा सूमो ग्रेण्ड	0	0	0	2	13	15
बोलेरो	0	0	0	14	2	16
स्कार्पियो	0	10	0	0	4	14
टवेरा	0	0	0	14	4	18

टाटा एसीई एचटी	0	0	0	0	1	1
बीपी अम्बेसडर कार	0	0	14	0	0	14
बीपी मारूति जिप्सी	0	0	1	0	0	1
बी0पी0 हल्का वाहन/बीपी ट्रुपकैरियर	0	0	0	0	0	0
बीपी महिन्द्रा रक्षक	0	0	3	0	0	3
मीडियम वाहन	0	0	0	6	1	7
बाम्ब ट्रक	0	0	0	0	0	0
एम्बुलेन्स	0	0	0	0	2	2
मिनी बस	4	0	2	0	20	26
टाटा 207	*289*	*0*	*0*	*0*	*2*	*291*
बज्र वाहन	0	5	27	34	20	86
बी0डी0एस0वाहन	0	0	0	6	0	6
बड़ी बस	4	0	0	23	13	40
ट्रक	0	0	0	0	4	4
प्रिजनवैन	0	0	0	5	0	5
रिकवरी वैन	45	0	0	0	0	45
मोटर साइकिल	3281	50	3	41	334	3709
योग–	**4141**	**82**	**69**	**232**	**447**	**4971**
निष्प्रयोज्य के सापेक्ष						
अम्बेसडर कार	44	54	41	0	95	234
मारूति जिप्सी	0	74	61	0	185	320
डीजल जीप	*92*	*300*	*269*	*0*	*0*	*661*
टाटा स्पेशियो	0	0	6	0	0	6
बोलेरो	42	11	0	0	491	544
बीपी अम्बेसडर कार	0	0	5	0	6	11
बी0पी0 ट्रुपकैरियर	0	0	0	0	0	0
मीडियम वाहन	23	40	4	0	64	131
एम्बुलेन्स	2	1	2	0	6	11
मिनी बस	4	4	0	0	3	11
बज्र वाहन	0	2	0	0	32	34
ट्रैक्टर	0	0	0	0	1	1
बड़ी बस	5	23	17	0	47	92
ट्रक	4	29	51	0	86	170
प्रिजनवैन	14	16	1	0	34	65
मोटर साइकिल	0	0	163	0	369	532
योग–	**230**	**554**	**620**	**0**	**1419**	**2823**
कुल योग	**4371**	**636**	**689**	**232**	**1866**	**7794**

6. आधुनिकीकरण

वर्ष 2010 की उपलब्धियॉं

(1)– भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार आधुनिकीकरण योजना 2010–11 का प्रस्ताव जनपदों/इकाइयों से एकत्र कराकर दिनांकः 1.2.2010 को उ0प्र0 शासन को भारत सरकार नई दिल्ली को भेजने हेतु प्रेषित किया गया। मदवार विवरण निम्नांकित हैः–

6. (1) निर्माण कार्य

(लाख रू. में)

क्रसं.	मद	केन्द्रांश	राज्यांश	योग
1	आवासीय भवन	2405.75	699.00	3104.75
2	अनावासीय भवन	2415.75	1007.50	3423.25
	योग	**4821.50**	**1706.50**	**6528.00**

6. (2) उपकरण

क्रसं.	मद	केन्द्रांश	राज्यांश	योग
1	एफ.एस.एल/एफ.पी.बी	113.40	25.00	138.40
2	प्रशिक्षण	27.74	0.00	27.74
3	संचार	2356.94	575.30	2932.24
4	दंगा निरोधक	372.22	0.00	372.22
5	पुलिस उपकरण	764.36	116.20	880.56
6	वाहन	865.00	90.00	955.00
7	शस्त्र	917.84	900.00	1817.84
	योग	**5417.50**	**1706.50**	**7124.00**
	कुल योग	**10239.00**	**3413.00**	**13652.00**

6. (3) अन्य उपलब्धियां

आधुनिकीकरण के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि

(लाख रूपयें में)

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	वाहन	अस्त्र–शस्त्र	संचार उपकरण	पुलिस उपकरण	एफ. एस.एल.	योग
1	3973/6–पु–7–2009–2(2)/2009 दि0 18.2.2010	0.00	0.00	123.46	2002.02	0.00	**2125.48**
2	1264/6–पु–7–2010–2(15)/2007 दि0 23.3.2010	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	**0.49**
3	1895/6–पु–7–2010–2(41)/07टी.सी. दि0 10.5.10	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**327.00**
4	2294/6–पु–7–2010–2(41)/07टी.सी. दि0 10.5.10	0.00	0.00	0.00	2075.05	0.00	**2075.05**
5	2444/6–पु–7–2010–33/19/19/2002 दि0 22.7.10	0.00	0.00	9.55	0.00	0.00	**9.55**
6	3457/6–पु–7–2010–34/2/2010टी.सी. दि0 10.8.10	0.00	0.00	0.00	457.73	0.00	**457.73**
7	3997/6–पु–7–2010–126/2010 दि0 21.8.10	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	**700.00**
8	4033/6–पु–7–2010–119/2010 दि0 27.9.2010	0.00	0.00	0.00	96.90	0.00	**96.90**
9	3994/6–पु–7–2010–(61)/2010 दि0 5.10.2010	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	**4.50**
10	4842/6–पु–7–2010–2(2)2009 दि0 6.10.2010	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**240.00**

11	3713/6-पु-7-2010-2(2)2009 दि0:6.10.2010	0.00	1173.55	123.46	3411.89	216.00	**4924.90**
12	4247/6-पु-7-2010-101/93 दि0:4.11.2010	330.87	0.00	0.00	0.00	0.00	**330.87**
13	5504/6-पु-7-2010-79/2008 दि0:26.11.2010	0.00	0.00	0.00	8.27	0.00	**8.27**
	योग	**897.87**	**1173.55**	**256.47**	**8756.85**	**216.00**	**11300.74**

आधुनिकीकरण योजना के अर्न्तगत वर्ष 2010 में शासन द्वारा स्वीकृत मुख्य उपकरणों का विवरण

क्रसं.	स्वीकृत उपकरण नाम	स्थान जहाँ के लिये स्वीकृत है	संख्या	धनराशि (लाख रू. में)
1	बुलेटप्रूफ जैकेट	जनपदो हेतु	4326	778.68
2	बाम्ब सूट	जनपद/जीआरपी हेतु	16	224.00
3	एक्सप्लोसिव डिटेक्टर विद वेपर ट्रेसर	जनपद/जीआरपी हेतु	7	315.00
4	एन0एल0जे0डी0	जनपद/जीआरपी हेतु	16	160.00
5	पार्टेबुल एक्सरे व्यू सिस्टम	जनपद/जीआरपी हेतु	16	224.00
6	इण्टरसेप्टर मय पूर्ण उपकरण	कामन वेल्थ गेम-2010	3	105.00
7	पीटी जेड कैमरा	कामन वेल्थ गेम-2010	96	321.60
8	फिक्स्ड कैमरा	कामन वेल्थ गेम-2010	168	278.20
9	केनेक्टीविटी हेतु ब्राड बैण्ड सर्विलान्स सिस्टम	कामन वेल्थ गेम-2010		800.00
10	इण्टीग्रेटेड वाइस एण्ड डाटा कम्यूनिकेशन सिस्टम	कामन वेल्थ गेम-2010	1	220.00
11	डीएफएमडी मल्टी जोन	कामन वेल्थ गेम-2010	50	200.00
12	आप्टिकल फाइवर एवं आईपी तकनीक युक्त 12 हाई रिजोल्यूशन एवं उच्च आप्टिकल पावर जूम डोम कैमरों तथा वाल डिस्पले पैनल	मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 के आवास संख्या-5 हेतु		457.73
13	वायरलेस बेस्ड पीए सिस्टम(मय सहवर्ती उपकरण)	जनपदो हेतु	700	700.00
14	वज्र वाहन	जनपदों हेतु	20	240.00
15	बाम्ब सूट	जनपद/जीआरपी हेतु	11	154.00
16	एक्सप्लोसिव डिटेक्टर विद वेपर ट्रेसर	जनपद/जीआरपी हेतु	3	135.00
17	एन0एल0जे0डी0	जनपद/जीआरपी हेतु	10	100.00
18	पोर्टेबुल एक्सरे व्यू सिस्टम	जनपद/जीआरपी हेतु	9	126.00
19	बुलेटप्रूफ जैकेट	जनपदों हेतु।	7100	1278.00
20	एम.पी. के सीरीज सब मशीन गन	कमाण्डो यूनिट हेतु	493	887.40
21	एम.पी.के. सीरीज सब मशीन गन	जनपदों/इकाइयों हेतु	100	130.00
22	बुलेट प्रूफ जैकेट	जनपदों/इकाइयों हेतु	510	102.00
23	थर्मल इमेजर	जनपदों/इकाइयों हेतु	10	100.00
24	जी.आई.एस. एवं जी.पी.एस. उपकरण तथा वेहिकल ट्रैकिंग सिस्टम युक्त नियंत्रण कक्ष की स्थापना	11 जनपदों हेतु	4	440.00

25	सी.सी.टी.वी. सिस्टम	जनपदों हेतु	45	186.75
26	नाइटविजन गागल्स	कमाण्डो यूनिट हेतु	70	143.50
27	नाइटवेपन साइट 802	नक्सल प्रभावित जनपदों हेतु	100	200.00
28	बी.पी.ट्रुप कैरियर	एटीएस टीम हेतु	2	105.79
	योग			***9117.65***

7. वर्दी

वित्तीय वर्ष 2010–11 में वर्दी वस्तुओं के क्रयार्थ रू0 5.34 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ जिसके सापेक्ष रू0 3.92 करोड़ का भुगतान किया गया ।

भर्ती किये जा रहे 35,844 रिक्रूट आरक्षियों को निः शुल्क देय 15 वर्दी वस्तुओं को क्रय करके प्रदान की गयी तथा रू0 1200/– प्रति वर्ष की दर से वर्दी प्रतिपूर्ति भत्ता भी प्रदान किया गया ।

शासन द्वारा वर्ष 2005 से ग्रेटकोट के स्थान पर पुलिस जवानों को जैकेट प्रदान करने का प्रावधान किया गया, जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु प्रथम चरण में 60000 अदद जैकेट का क्रय उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0, कानपुर के माध्यम से करके उ0प्र0 पुलिस केन्द्रीय भण्डार, कानपुर में भण्डारण कर पुलिस मुख्यालय के निदेशानुसार वितरण की कार्यवाही की गयी।

श्रीरामजन्म भूमि/बाबरी मस्जिद प्रकरण में मा0 न्यायालय के संभावित निर्णय के दृष्टिगत कानून व्यवस्था प्रबन्धन हेतु विभिन्न शासनादेशों द्वारा निम्नानुसार दंगा निरोधक उपकरण स्वीकृत किये गये हैं :–

क्र0 सं0	प्रयोजन	बाडी प्रोटेक्टर	हेल्मेट	लाठी	पाली कार्बोनेट शील्ड	टार्च
1	पुलिस/ पीएसी हेतु	114106	117177	157501	111159	35000
2	पीआरडी/पीवीडी हेतु	20000	20000	20000	–	20000
3	होमगार्ड्स विभाग हेतु	40000	40000	80000	–	80000

शासन द्वारा स्वीकृत उपरोक्त दंगा निरोधक उपकरणो का क्रय वित्तीय वर्ष 2010–11 में ही किया गया तथा इस लिये उनका क्रय पुलिस मुख्यालय स्तर से किया गया। हेल्मेट का क्रय डीजीएस एण्ड डी दर अनुबन्ध पर अनुमोदित फर्मो से तथा अन्य समस्त दंगा निरोधक उपकरण उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0, कानपुर के माध्यम से क्रय किये गये

इन उपकरणों के निरीक्षण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 केन्द्रीय भण्डार कानपुर की अध्यक्षता में विशेषज्ञ सहित 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया । जिनके द्वारा फर्म के माध्यम से दंगा निरोधक उपकरणों का सर्व प्रथम भौतिक निरीक्षण कराने के बाद लैब टेस्ट कराया गया और लैब टेस्ट में उपयुक्त पाये जाने के उपरान्त नियमानुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद ही भार पर लिया गया है। तत्पश्चात पुलिस मुख्यालय से निर्देश प्राप्त होने पर जनपदों इकाईयों को इनका आवंटन किया जा रहा है। इस प्रकार समस्त कार्मिकों को उक्त दंगा निरोधक उपकरण शत प्रतिशत उपलब्ध हो जायेंगे।

उपरोक्त के अतिरिक्त मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष्य में शवों को ले जाने हेतु 1000 अदद मैटेलिक सेल (ताबूत) क्रय कर सेन्ट्रल स्टोर कानपुर में एकत्रित कराये गये। क्रय किये गये ताबूत को अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय की अध्यक्षता में गठित कमेटी जिसमें मैटेलिक एवं काष्ठ (लकड़ी) विशेषज्ञ थे, सैम्पुल के अनुसार निरीक्षण कर भार पर लिया गया, तत्पश्चात जनपदों को वितरित किया गया।

8. पेंशन

1.1.2010 से 31.12.2010 तक प्राप्त पेंशन प्रकरणों की स्थितिः–

कुल प्राप्त पेंशन प्रकरण–	5034
निस्तारित पेंशन प्रकरण–	5025
शेष पेंशन प्रकरण–	09
दिनांक 01.01.2010 को अनुभाग में लम्बित पेंशन प्रकरणों की संख्या–	188

1.1.2010 से 31.12.2010 तक प्राप्त पदवार पेंशन प्रकरणों की स्थितिः–

कान्स0–	1867	(साधा0/पारि0पेंशन–1823, असा0पेंशन–44)
हेड कान्स0–	1993	(साधा0/पारि0पेंशन–1989, असा0पेंशन–5)
उप निरीक्षक–	1065	(साधा0/पारि0पेंशन–1053, असा0पेंशन–12)
निरीक्षक–	109	(साधा0/पारि0पेंशन–106, असा0पेंशन–3)
योग–	5034	

सबसे पुराने पेंशन प्रकरणों का विवरणः–

क0सं0	पत्रावली संख्या	विवरण/निस्तारित न होने का कारण
1	चार–3837–2009	49वीं वाहिनी पीएसी मऊ/आजमगढ़ से से0नि0हे0का0 भूपति यादव के विरूद्ध मु0अ0सं0–740/2008 धारा–353/504/506 भादवि, थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ में अभियोग पंजीकृत है जो विचाराधीन मा0 न्यायालय है ।
2	चार–104–2010	जनपद महराजगंज से से0नि0 कान्स0 गणेश यादव के विरूद्ध मु0अ0सं0–481/2007 धारा 323/224 भादवि थाना शाहपुर, जनपद गोरखपुर में अभियोग पंजीकृत है जो विचाराधीन मा0 न्यायालय है ।
3	चार–3114–2010	जनपद देवरिया से से0नि0 हे0कान्स0 श्याम सुन्दर के विरूद्ध मु0अ0सं0–857/94, धारा 147/148/149/302/34/506 भादवि थाना कोतवाली जनपद बस्ती में अभियोग पंजीकृत है जो विचाराधीन मा0 न्यायालय है।
4	चार–3037–2010	जनपद मऊ से से0नि0 हे0का0 केदारराम यादव के विरूद्ध मु0अ0सं0–3386/2009 धारा 223/224 भादवि, थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ में अभियोग पंजीकृत है जो विचाराधीन मा0 न्यायालय है ।
5	चार–3037–2010	जनपद मऊ से से0नि0 का0चालक बाबूराम यादव के विरूद्ध मु0अ0सं0–316/98 धारा 385/409/120 भादवि व 3/7 ई0सी0एक्ट थाना कैंट जनपद वाराणसी में अभियोग पंजीकृत है। अन्तिम रिपोर्ट विचाराधीन मा0 न्यायालय है ।

9. कल्याणकारी योजनायें

1. आलोच्य अवधि में विशेष जोखिम भरे कार्य के दौरान एवं सकिय सेवा करते समय मृत 18 पुलिस कर्मियों के आश्रितों को कुल रू0 73.30 लाख की अनुग्रह धनराशि के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की गयी।
2. कल्याण निधि शीर्षक के अन्तर्गत अनुमोदित मदों पर व्यय करने हेतु जनपदों/इकाईयों को रू0 144.87 लाख का अनुदान आवंटित किया गया ।
3. सुख सुविधा निधि शीर्षक के अन्तर्गत अनुमोदित मदों पर व्यय करने हेतु जनपदों एवं इकाईयों को 220.32 लाख का अनुदान आवटित किया गया ।
4. पुलिस कर्मियों की चिकित्सा पर हुये व्यय के परिप्रेक्ष्य में कुल 798 पुलिस कर्मियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु कुल रू0 693.00 लाख की धनराशि शासन एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।
5. उ0प्र0 पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायत संस्थान, लखनऊ से 7 शहीद पुलिस कर्मियों के आश्रितों को कुल रू0 9.50 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी ।

10. प्राइवेट फण्ड

उक्त के अतिरिक्त प्राइवेट फण्डों से पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्न सुविधायें प्रदान की गयीः–

1. जीवन रक्षक निधि के अन्तर्गत 112 पुलिस कर्मचारियों व उनके परिवार को उनके उपचार हेतु रू0 162.14 लाख की आर्थिक सहायता अग्रिम के रूप में प्रदान की गयी ।
2. पुलिस बेनीफिट फण्ड के अन्तर्गत 67 मृतक पुलिस कर्मचारियों के लाभार्थियों को सहायता के रूप में कुल रू0 2.68 लाख का अनुदान स्वीकृत किया गया ।
3. जीवन बीमा योजना के अन्तर्गत 378 मृतक पुलिस कर्मियों के आश्रितों को सहायता के रूप में कुल रू0 446.00 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है ।

11. पदक एवं सम्मान चिन्ह

गणतंत्र दिवस/स्वतंत्रता दिवस 2010 के अवसर पर उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के लिये अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह/सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह तथा विशिष्ट सेवाओं के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक तथा सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस पदक निम्न प्रकार प्रदान किया गया है:–

11. (1) राष्ट्रपति का पुलिस पदक

गणतंत्र दिवस–2010 के अवसर पर

1. श्री कन्हैया लाल मीणा, आई0पी0एस0।
2– श्री भगवत प्रसाद त्रिपाठी, आई0पी0एस0।
3– श्री इन्दजीत सिंह रावत, पुलिस उपाधीक्षक।

स्वतंत्रता दिवस–2010 के अवसर पर ।

1– श्री रामदेव, आई0पी0एस0।
2– श्री आलोक प्रसाद, आई0पी0एस0।
3– श्री मिथलेश सिंह, पुलिस उपाधीक्षक।

11. (2) पुलिस पदक

गणतंत्र दिवस–2010 के अवसर पर 34 पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को

स्वतंत्रता दिवस–2010 के अवसर पर 34 पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को

11. (3) उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह

गणतंत्र दिवस–2010 के अवसर पर 25 अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को

स्वतंत्रता दिवस 2010–के अवसर पर 24 अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को

11. (4) सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह

गणतंत्र दिवस–2010 के अवसर पर 107 अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को

स्वतंत्रता दिवस 2010–के अवसर पर 100 अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को

12. आडिट

वर्ष 2010 में निस्तारित कार्यों का विवरणः–

1	सम्प्रेक्षित कार्यालयों की संख्या	169
2	निर्गत सम्प्रेक्षित प्रतिवेदनों की संख्या	189
3	निस्तारित प्रतिवेदन	22
4	आन्तरिक सम्प्रेक्षा की निस्तारित आपत्तियों की संख्या	1685
5	वर्ष में वसूल/समायोजित धनराशि	63699452.78
6	प्री–आडिट के निस्तारित मामलों की संख्या	75
7	निस्तारित प्रतिवेदन की संख्या	05
8	महालेखाकार के निस्तारित आपत्तियों की संख्या	18
9	वित्तीय परामर्श देकर निस्तारित अन्य अनुभागों की पत्रावलियां	231

13. नियुक्तियां एवं प्रोन्नतियां

13. (1) आई0पी0एस0!/पी0पी0एस0 अधिकारी–नियुक्ति/पदोन्नति/प्रशिक्षण

1	वर्ष में नये आई0पी0एस0 अधिकारियों की नियुक्ति	12
2	वर्ष में नये आई0पी0एस0 अधिकारियों की ए0एस0पी0 के पद पर नियुक्ति	04
3	वर्ष में आई0पी0एस0 अधिकारियों की पदोन्नति	87
4	वर्ष में पदोन्नति पाये अधिकारियों की पदवार संख्या	डीजी– 10 एडीजी–12 आईजी–18 डीआईजी–14 सेलेक्सन ग्रेड–10 कनिष्ट प्रशासनिक ग्रेड–15 पुलिस अधीक्षक–08

5	वर्ष में पी0पी0एस0 संवर्ग के अधिकारियों का प्रशिक्षण	95
6	वर्ष में पी0पी0एस0 संवर्ग के अधिकारियों का प्रशिक्षण	21
7	वर्ष में नये पी0 पी0एस0 अधिकारियों की नियुक्ति	30

13. (2) जिला कार्यकारी बल (नागरिक पुलिस)

क0सं0	विषय	अपेक्षित कार्यवाही
1.	उपनिरीक्षक,ना0पु0 / हे0कान्स0 ना0पु0 / कान्स0 ना0पु0	स्थापना सम्बन्धी समस्त कार्यवाही
2.	पदनाम 1–उपनिरीक्षक, ना0पु0 2–हे0कान्स0 ना0पु0 3–कान्स0 ना0पु0	नियतन उपलब्धता रिक्ति अधिकता 17898 8097 9801 0 52184 10079 42105 0 219316 73743 145573 0
3.	विभाग द्वारा सम्पादित कार्यों / किया कलापों एवं उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण	1. 794 निरीक्षक ना0पु0 / प्रतिसार निरीक्षक / दलनायकों की संयुक्त वरिष्ठता सूची निर्गत की गई। 2. दिनांक 17.06.2010 को उ0प्र0 एवं उत्तराखण्ड के मध्य कार्मिकों के विभाजन के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड निवास नई दिल्ली में राज्य परामर्शी समिति की आयोजित बैठक से सम्बन्धित अभिलेख आदि तैयार कराये गये । 3. आरक्षी नागरिक पुलिस से मुख्य आरक्षी ना0पु0 के पद पर वरिष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़कर पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु कुल 6084 रिक्तियों का अधियाचन दिनांक 24.06.2010 को तैयार कराकर भिजवाया गया । उक्त रिक्तियों के सापेक्ष आरक्षी ना0पु0 की वरिष्ठता सूची तैयार कराकर दिनांक 15.10.2010 को प्रेषित किया गया । 4. वाद संख्या–117 / शि0आर0 / 2006 राजेश कुमार, संतोष कुमार पटेल व योगेन्द्र कुमार बनाम पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं सचिव, पुलिस / पी0ए0सी0 भर्ती बोर्ड उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद से सम्बन्धित प्रकरण में समय–समय पर जाकर प्रभावी पैरवी करायी गयी । 5. उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली–2008 में यथा संशोधन हेतु प्रस्ताव तैयार कराकर शासन को भिजवाया गया। फलस्वरूप शासनादेश दिनांक 14.01.2011 द्वारा चतुर्थ संशोधन निर्गत किया गया ।

		6. निर्देश याचिका संख्या–26/2007 विनोद कुमार आर्या बनाम राज्य व अन्य में पारित मा0 अधिकरण के निर्णय दिनांकित 26.11.2008 के विरूद्व मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में स्टेट रिट संख्या–1875(एस/बी)2010 उ0प्र0 शासन बनाम विनोद कुमार आर्या दाखिल करायी गयी। 7. विभिन्न श्रेणी के पुलिस कर्मियों द्वारा अदम्य साहस एवं शौर्य प्रदर्शित करने वाले लगभग 30 कर्मियों को एक रैंक ऊपर आउट आफ टर्न प्रमोशन हेतु जनपदों से प्राप्त प्रस्तावों को समिति के समक्ष प्रस्तुत कराया गया । 8. विभिन्न सेवा सम्बन्धी मामलों में माननीय न्यायालयों में दाखिल रिट याचिकाओं/विशेष अपीलों/ अवमानना याचिकाओं में प्रतिशपथ–पत्र तैयार कराया गया। 9. निर्देश याचिका संख्या–883/2008 सुन्दर सिंह सोलंकी बनाम राज्य व अन्य में माननीय न्यायाधिकरण लखनऊ द्वारा पारित निर्णय के विरूद्व विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल किये जाने हेतु अभिलेख आदि तैयार कराये गये । 10. विभिन्न सेवा सम्बन्धी मामलों में माननीय उच्च न्यायालय/लोक सेवा अधिकरण आदि द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में कुल 45 प्रत्यावेदन निस्तारित कराये गये। 11. 11 उपनिरीक्षकों को निरीक्षक, 04 हेड कान्स0 को उपनिरीक्षक एवं 16 कान्स0 को हेड कान्स0 के निःसंवर्गीय पद पर आउट आफ टर्न प्रोन्नति प्रदान की गयी।

14. (1) **सशस्त्र पुलिसबल**

नियतन –	32765
उपलब्धता –	25791
रिक्ति –	6974

14. (2) भर्ती एवं प्रोन्नति से सम्बन्धित पदवार संख्या एवं सूचनाएं तथा विशेष कार्यों का विवरण

(ए) आलोच्य अवधि में आरक्षी ना0पु0 के नये सृजित 35000 पदों के सापेक्ष अधियाचन पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ को भेजा गया था। भर्ती बोर्ड द्वारा कुल–35844 (844 पदों पर मान0 न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में भर्ती बोर्ड द्वारा चयन किया गया) रिक्रूट आरक्षियों के पद पर चयन किया गया, जिनमें से चरित्र सत्यापन के उपरान्त कुल–34404 रिक्रूट आरक्षियों को विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में 09 माह के गहन प्रशिक्षण हेतु भेजा गया है। इनका गहन प्रशिक्षण दिनांक–10.02.11 से आरम्भ है।

(बी) इसी परिप्रेक्ष्य में आरक्षी ना0पु0 के 35000 नये सृजित पदों के सापेक्ष द्वितीय चरण की भर्ती के संबंध में अधियाचन पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के अनुमोदन से उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड को भेजा गया है, जिस पर चयन की कार्यवाही भर्ती बोर्ड द्वारा प्रचलित है।

(सी) आलोच्य अवधि में दिनांक–01.07.2006 से 30.06.2009 तक हुई 1012 रिक्तियों के सापेक्ष 50 प्रतिशत वरिष्ठता के आधार पर आरक्षी स0पु0 को मुख्य आरक्षी स0पु0 के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु वर्षवार–505 रिक्तियों का अधियाचन एवं वरिष्ठता सूची पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को प्रेषित की गई थी, जिसकी चयन प्रकिया प्रचलित है।

(डी) आलोच्य अवधि में उ0नि0 स0पु0/प्लाटून कमाण्डर रैंकर के 203 रिक्तियों के सापेक्ष चयन/प्रोन्नति की कार्यवाही सम्पादित करने हेतु अधियाचन पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 के माध्यम से उ0प्र0 पुलिस एवं भर्ती पदोन्नति बोर्ड को भेजा गया है। चयन की कार्यवाही प्रचलित है। इसके अतिरिक्त रिक्तियों को कुशल खिलाड़ी कोटे के तहत नियानुसार आरक्षित किया गया है।

(ई) आलोच्य अवधि में 122वे रिजर्व ड्राइवर कोर्स में गठित चयन समिति द्वारा चयनित 147 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षणोपरान्त आरक्षी चालक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी।

(एफ) शासन द्वारा नव गठित विशेष परिक्षेत्र बल सुरक्षा वाहिनी में आरक्षी के नव सृजित 848 पदों पर होमगार्ड स्वयं सेवकों में से पात्र एवं उपयुक्त 794 अभ्यर्थियों को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा चयनित किया गया है। अनुपलनब्ध शेष 54 आरक्षित पदों भूतपूर्व सैनिक एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पद को अग्रेनीत किया गया। वाहिनी में अन्य सृजित पदों के सापेक्ष सेवा स्थानान्तरण के आधार पर चयन करके नियुक्ति प्रदान की गयी।

(जी) चयनित 35844 रिक्रूट आरक्षियों को उच्च गुणवत्तायुक्त गहन प्रशिक्षण देने के निमित्त प्रशिक्षण निदेशालय की मांग के अनुसार प्रशिक्षण स्टाफ में 832 मुख्य आरक्षी आई0टी0आई0 एवं 375 मुख्य आरक्षी/आरक्षी पी0टी0आई0 तथा 103 उपनिरीक्षक स0पु0/प्लाटून कमाण्डर एवं सेवानिवृत्त व 239 उ0नि0 कर्मियों एवं 392 सेवारत उ0नि0 ना0पु0 को पैडागाजी कोर्स कराकर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थानों में अस्थाई नियुक्ति प्रदान की गई।

14. (3) उ0प्र0 पुलिस समूह 'घ' सेवानियमावली–2009 का आलेख तैयार कर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय के माध्यम/अनुमोदन से शासन को भेजा गया। शासन की अधिसूचना दिनांक–28.08.2009 द्वारा उक्त नियमावली प्रख्यापित की गई। फलस्वरूप पुलिस बल के चतुर्थ श्रेणी कर्मी पुलिस एक्ट 1861 की धारा–2 सपठित धारा–146 (2) के तहत पुलिस बल के सदस्य हो गये हैं।

14. (4) उ0प्र0 परिवहन शाखा कर्मचारी सेवा नियमावली–2009 का अंग्रेजी रूपान्तरण पत्र संख्या–दस–एम0टी0से0नि0–2009 दिनांक–03.06.2010 द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना उ0प्र0 लखनऊ को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय के अनुमोदनोपरान्त प्रख्यापन हेतु शासन को प्रेषित किये जाने हेतु भेजा गया।

14. (5) उ0प्र0 पुलिस समूह 'घ' (तकनीकी स्टाप) सेवा नियमावली–2009 का आलेख पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय के माध्यम से शासन को प्रेषित की गयी है, जो शासन स्तर पर प्रख्यापनाधीन है।

14. (6) उ0प्र0 पुलिस आरमोरर संवर्ग कर्मचारी सेवा नियमावली–2009 का आलेख पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के अनुमोदनोपरान्त पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक–25.05.2010 द्वारा शासन को भेजी गयी है। नियमावली शासन स्तर पर प्रख्यापनाधीन है।

14. (7) आलोच्य अवधि में शासन द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में गठित पुलिस स्थापना बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त सशस्त्र पुलिस संवर्ग में भिन्न–भिन्न अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण आदेश निर्गत किये गये हैं।

14. (8) पुलिस कर्मियों द्वारा सेवा सम्बन्धी विभिन्न मांगों यथा, स्थानान्तरण, पुलिस में भर्ती, चयन एवं पदोन्नति, वरिष्ठता निर्धारण, समयमान वेतन निर्धारण आदि को लेकर लगभग 850 रिट याचिकाएं योजित हुई, जिसमें मान0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराये जाने हेतु जनपदों/इकाइयों को निर्देशित किया गया। मुख्यालय से सम्बन्धित रिटों में अनुभाग स्तर से प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराने की कार्यवाही की गयी।

14. (9) शासनादेश संख्या–2055/6–पु–209–1100 (85)09 दिनांक–11.12.2009 यथासंशोधित शासनादेश संख्या–849/6–पु–2–10–1100(85)09 दिनांक–30.08.2010 द्वारा उ0प्र0 पुलिस बल में नियुक्त समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को निहित शर्तों के अधीन राजपत्रित अवकाश के दिनों में राजकीय कार्य सम्पादित करने के एवज में जिला कार्यकारी पुलिस बल, मिनिस्टीरियल संवर्ग के कर्मियों की भांति वित्तीय वर्ष में एक माह के वेतन के समतुल्य अतिरिक्त वेतन/मानदेय की सुविधा प्रदान की गई है।

15. मिनिस्टीरियल संवर्ग

	पदनाम पुलिस मुख्यालय संवर्ग	नियतन	उपलब्धता	रिक्ति	अधिकता
15(1)	1–नि0(एम)/ओएस	23	06	17	–
	2–नि0(एम)/सीए	18	15	03	–
	3–एसआई(एम)/आशुलिपिक	100	90	10	–
	4–एसआई(एम)	333	261	72	–
	5–एएसआई(एम)	209	174	35	–
	6–कान्स0(एम)	06	34	–	28
	7–ए0ई0/जे0ई0	03	02	01	–

	8–सम्प्रेक्षक	04	02	02	–
	9–वरि0आडिटर	14	08	06	–
	10–लेखाकार	14	09	05	–
	11–हे0कान्स0	04	03	01	–
	12–कान्स0	04	03	01	–
	13–का0चालक	03	04	–	01
	14–चतुर्थ श्रेणी	50	50	–	–
	जिला पुलिस संवर्ग				
	1–एसआई(एम)/आशुलिपिक	512	152	60	–
	2–एसआई(एम)	300	150	150	–
	3–एएसआई(एम)	1780	2152	–	372
	4–कान्स0(एम)	128	74	54	–
	5–उर्दू अनुवादक	1515	1038	–	–
		(उ0प्र0/उत्तरा0)			
15(2)	विभाग द्वारा सम्पादित कार्यो/कियाकलापो एवं उपलब्धियो का संक्षिप्त विवरण	1. पुलिस मुख्यालय/जिला पुलिस संवर्ग के बैकलाग सीधी भर्ती परीक्षा–2003 के चयनित 165 कान्स0(एम) में से 97 को जिला/इकाई आवंटन एवं नियुक्ति आदेश निर्गत 2. पुलिस मुख्यालय संवर्ग के मुख्य आरक्षी/ आरक्षी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के एसीपी स्वीकृति के बारे में कमेटी के माध्यम से निर्णय लेकर त्वरित कार्यवाही की गयी 3. विभाग–18 की 30 महत्वपूर्ण रिट याचिकाओं में परीक्षणोपरान्त प्रस्तरवार टिप्पणी एवं संक्षिप्त इतिहास पर हस्ताक्षर किये गये जिसमें मा0 न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र तैयार कर दाखिल किया गया 4. लिपिक संवर्ग की सेवा नियमावली में शासन द्वारा की गयी पृच्छा का प्रस्ताव तैयार करके भेजा गया 5. जन सूचना सम्बन्धी कार्यो के पर्यवेक्षण का कार्य 6. विभाग–18 के कार्यो का सामान्य पर्यवेक्षण का कार्य 7. एसआई(एम)/आशुलिपिक एवं सम्प्रेक्षक /लेखाकार की एसीपी स्वीकृत करके वेतन निर्धारण किया गया। 8. जिला पुलिस संवर्ग के एसआई(एम) की अनन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक:07.01.2010 द्वारा जारी किया गया। 9. जिला पुलिस संवर्ग के एएसआई(एम) की अनन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक:31.03.2010 द्वारा जारी किया गया। 10. जिला पुलिस संवर्ग के एसआई(एम)/ आशुलिपिक की अनन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक:09.12.2009 द्वारा जारी किया गया।			

15(3)—.वर्ष 2010 में दण्डित किए गये उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों का पदवार विवरणः—

कर्मियों का पद नाम	सेवा से निकाले गये कर्मियों की संख्या	अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर्मियों की संख्या	कुल निलम्बित कर्मियों की संख्या	लाईन हाजिर कर्मियों की संख्या	अन्य रूप से दण्डित कर्मियों की संख्या					
					परिनिन्दा प्रविष्टि/अर्थ दण्ड	सत्यनिष्ठा का रोका जाना	क्षुद्र दण्ड	प्रत्यावर्तित	वेतन वृद्धि का रोका जाना	आदेश कक्ष में दण्डित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
निरीक्षक	1	.	29	50	241	11	.	3	9	.
उप निरीक्षक	5	2	565	638	1880	109	1	23	80	1
मुख्य आरक्षी	8	4	246	209	455	18	164	12	12	432
आरक्षी	127	28	2316	1654	1381	142	1957	135	111	3882
लिपिक	1	.	92	1	299	16	1	4	3	.

16. मृतक आश्रित भर्ती

वर्ष 2010 में अब तक 389 मृतक आश्रितों को आरक्षी के पद पर, 117 मृतक आश्रितों को चतुर्थ श्रेणी के पद पर एवं 70 मृतक आश्रितों को उ0नि0ना0पु0 के पद पर सेवायोजन हेतु अनुमोदन आदेश सम्बन्धित परिक्षेत्र को निर्गत किया गया ।

(1) कुल मृतक आश्रित के प्राप्त/निस्तारित एवं अनिस्तारित प्रकरणों की संख्या

क्र0 सं0	आवेदित पद	कुल प्राप्त प्रकरणों की संख्या	अनिस्तारित	निस्तारित
1	उपनिरीक्षक	256	241	15
2	एस0आई0(एम)/आशुलिपिक	123	123	—
3	कान्स0(एम)	—	—	—
4	कान्सटेबिल	225	72	153
5	चतुर्थ श्रेणी	85	19	66

17. भर्ती किये गये 35000 रिकूट्स की प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था

उपरोक्त के अलावा 35,000 भर्ती किये गये रिकूट्स की प्रशिक्षण व्यवस्था हेतु जनपदों, पी0ए0सी0 वाहिनियों तथा प्रशिक्षण संस्थानों मं निम्नलिखित कार्य भी कराये गयेः—

(1)	बैरक(बंकबेड सहित क्षमता—50 आरक्षी	66
(2)	क्लासरुम(क्षमता—50आरक्षी	108
(3)	मेस(क्षमता— 50 आरक्षी	114
(4)	स्नानागार/शौचालय	149
(5)	जलापूर्ति	133
(6)	जनरेटर	104
(7)	बंकबेड	4666

अध्याय–(3)

अपराध

प्रदेश में अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त, भयमुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त एवं विकासयुक्त समाज की स्थापना एवं कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने के लिए वर्तमान सरकार कटिबद्ध है। अपराधों पर पूर्ण नियंत्रण शासन की प्रमुख वरीयताओं में है।

वर्तमान सरकार के गठन के तुरन्त बाद व्यापक शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि अपराध पंजीकरण में हीला हवाली की जाती है और अपराध पंजीकृत नहीं किये जाते हैं। अतः विशेष अभियान चलाकर पुराने ऐसे प्रकरणों में, जिसमें अपराध पंजीकृत नहीं किये गये थे, लगभग 10000 अपराधों का पंजीकरण कराया गया था।

अपराधों का सहज पंजीकरण, पुलिस द्वारा पंजीकृत अपराधों में त्वरित कार्यवाही एवं अभियुक्तों के विरूद्व सफल अभियोजन पर बल दिया गया है, फलस्वरूप आम जनता में निर्भीक रूप से अपराध पंजीकरण कराने का वातावरण बना है एवं अपराधों पर अंकुश लगाने में सफलता प्राप्त हुई है।

वर्ष 2010 में प्रमुख अपराधों में अपराधियों के विरूद्व कार्यवाही का प्रतिशत 95 रहा है। वर्ष 2010 में प्रदेश के कुख्यात अपराधियों द्वारा अपराध से अर्जित 1 अरब 54 करोड़ रूपये की सम्पत्ति के जब्तीकरण की कार्यवाही की गई है। वर्ष में 4424 कुख्यात अपराधियों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निरूद्व किया गया है तथा 13819 पेशेवर अपराधियों के विरूद्व गिरोहबन्द अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है।

इन प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 2010 में वर्ष 2009 की तुलना में हत्या, बलवा, गृह भेदन, रोड होल्डअप, दहेज मृत्यु तथा बलात्कार के अपराधों में कमी आयी है। वर्ष 2010 में भादवि के कुल 159796 अभियोग पंजीकृत किये गये, जबकि वर्ष 2009 में 160875 अभियोग पंजीकृत किये गये थे। इस प्रकार वर्ष 2009 की तुलना में वर्ष 2010 में कुल अपराधों में एक प्रतिशत की कमी आयी है।

3.1 अनु0जाति/जनजाति उत्पीड़न सम्बन्धी अपराध

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख व्यूरो द्वारा प्रकाशित "काईम इन इण्डिया–2009" के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के विरूद्व हुए अपराध का अपराध दर 3.8 रहा है। अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न सम्बन्धी अपराध शीर्षकों में वर्ष 2009 की तुलना में वर्ष 2010 की अवधि में सभी अपराध शीर्षकों में कमी आयी है। यह कमी हत्या में 2.2 प्रतिशत, आगजनी में 30 प्रतिशत, बलात्कार में 2 प्रतिशत, गंभीर चोट में 17 प्रतिशत एवं अन्य हस्तक्षेपीय अपराध में 17.2 प्रतिशत एवं कुल अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में 16 प्रतिशत की कमी आयी है।

इस वर्ष प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अपराधों में 94 प्रतिशत अभियुक्तों के विरूद्व पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई है साथ ही प्रदेश में उत्पीड़न के उपयुक्त मामलों में कठोर कानून के अन्तर्गत अभियुक्तों के विरूद्व कार्यवाही भी की गयी है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उत्पीड़न से सम्बन्धित अपराधों की विवेचना निर्धारित अवधि के अन्दर गुण–दोष के आधार पर पूर्ण कराये जाने हेतु जनपद/परिक्षेत्र

स्तर पर प्रभावी ढंग से कार्यवाही की जा रही है। उत्तर प्रदेश में विवेचनाओं के निस्तारण का प्रतिशत 92 का रहा है।

वादों में प्रभावी पैरवी तथा उत्पीड़ित व्यक्ति को त्वरित न्याय दिलाने के लिए प्रदेश में 40 जनपदों में विशेष न्यायालयों का गठन शासन द्वारा पूर्व में किया जा चुका है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लम्बित अभियोगों के त्वरित निस्तारण के लिए शासन द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 50 फास्ट ट्रेक न्यायालयों को भी वादों के निस्तारण के लिए अधिकृत किया गया है। इस प्रकार जिलों में विशेष न्यायालय है और इसके अतिरिक्त फास्ट ट्रेक न्यायालय भी कार्यरत है।

राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 के वादों के माननीय न्यायालयों में प्रभावी पैरवी हेतु अभियोजन संवर्ग के अभियोजकों को विशेष लोक अभियोजक भी नियुक्त किया गया है।

3.2 महिला सम्बन्धी अपराध

महिला सम्बन्धी अपराधों में वर्ष 2009 की तुलना में वर्ष 2010 में दहेज मृत्यु में 7 प्रतिशत, बलात्कार में 17 प्रतिशत, शीलभंग में 2.4 प्रतिशत, छेड़खानी में 17.2 प्रतिशत, चैन स्नैचिंग में 1.1 प्रतिशत एवं महिला उत्पीड़न में 8 प्रतिशत की कमी आयी है। महिलाओं के विरूद्व हुए अपराधों पर पुलिस द्वारा नियन्त्रण हेतु निरन्तर प्रयास किया गया है।

उ0प्र0 में महिलाओं के विरूद्ध हुए अपराधों में अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही का प्रतिशत 94.1 रहा है एवं अभियोगों के निस्तारण का प्रतिशत 91.9 रहा है।

प्रदेश के जनपदों में शासनादेश के अन्तर्गत महिला थानों की स्थापना, महिला हेल्प लाइन की व्यवस्था, पारिवारिक परामर्श केन्द्र का संचालन एवं प्रदेश स्तर पर महिला सहायता प्रकोष्ठ की स्थापना कुछ ऐसे कदम हैं, जिनके सुपरिणाम महिलाओं के विरूद्व हुए अपराधों पर अंकुश लगाने में मिले हैं।

प्रदेश पुलिस द्वारा इस ओर सतत सजगता एवं सतर्कता बरतने हेतु शासनादेश जारी कर त्वरित कार्यवाही की व्यवस्था की गयी है। महिलाओं के विरूद्ध हुए अपराधों के नियमित अनुश्रवण के निर्देश दिये गये हैं। जिनका अनुपालन सख्ती से किया जा रहा है। गंभीर घटनाओं में अभियुक्तों के विरूद्ध गुण्डा एक्ट, गैगस्टर एक्ट एवं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करायी गयी है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में महिलाओं से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाया जा सका है।

3.3 राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो

कार्यालय राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो,उत्तर प्रदेश पुलिस का एक अभिन्न एवं महत्वपूर्ण अंग है। इस ब्यूरो द्वारा प्रादेशिक स्तर पर गम्भीर प्रकृति के अपराधों एवं अपराधियों के अभिलेखों का रखरखाव एवं उसका पुस्तकीकरण किया जाता है। इस अपराधिक अभिलेख के आधार पर यह ब्यूरो पुलिस विभाग के अधिकारियों को आवश्यक सूचनायें उपलब्ध कराता है। दिनांक 01–01–2010 से 31–12–2010 तक की अवधि में इस ब्यूरो द्वारा किये गये कियाकलापों/उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नवत् हैः–

3.4 आलोच्य अवधि में कार्यालय राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा जनपदों/राजकीय रेलवे पुलिस में नियुक्त उपनिरीक्षकगण ना0पु0 को मैनुअल समस्त एक सप्ताह का डीसीआरबी प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु भिन्न–भिन्न तिथियों में परिक्षेत्रवार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। वर्ष–2010 की अवधि में प्रदेश के कुल–82 उपनिरीक्षक ना0पु0 को एक सप्ताह का डीसीआरबी प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

3.5 वर्ष–2010 में विलुप्त/गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश एवं खोज हेतु निम्नलिखित मीडिया द्वारा प्रसारण कार्य सम्पादित किया गया।

3.5(1) दूरदर्शन

विलुप्त/गुमशुदा व्यक्तियों के 3071 विवरण वर्ष–2010 तैयार कर दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित किये जाने की कार्यवाही की गयी ताकि इन विलुप्तों का पता लग सके।

3.5(2) आकाशवाणी–

विलुप्त/गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश हेतु 4363 विवरण तैयार करके आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित किये जाने की कार्यवाही वर्ष–2010 में की गयी।

3.5(3) बेबसाइट

वर्ष–2010 में 4608 अज्ञात शवों का विवरण एवं विलुप्त व्यक्तियों एवं बच्चों के 4464 विवरण तलाश हेतु बेबसाइट पर प्रसारित किये जाने हेतु भेजे गये।

3.6 आधुनिकीकरण योजनाओं के अन्तर्गत सूचनाओं का कम्प्यूटरीकरणः–

कम्प्यूटर अनुभाग द्वारा माह के दोनों पक्षों की एफसीआर की फीडिंग एवं दैनिक मूलक कर्तव्यों के निस्तारण सम्बन्धी कार्य के अतिरिक्त वर्ष में 56 जनपद के 76 कर्मियों को सीसीआईएस एमएलआई सिस्टम लोड करने का का भी व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। आईआईएफ फीडिंग के पश्चात एससीआरबी के सरवर पर कुल फार्मो की संख्या–6,50,425 है तथा जनपदों के सरवर पर सूचना के आधा पर कुल आई0आई0एफ0 की संख्या–6,50,425 है।

उल्लेखनीय है कि राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो का सम्बन्ध शासकीय नीतियों तथा किसी अन्य कार्यकम के कियान्वयन से नहीं है। इस ब्यूरो द्वारा केवल गम्भीर प्रकृति के अपराध आकडों/अपराधिों के अभिलेखों का संग्रहण एवं रख–रखाव किया जाता है।

3.7 आलोच्य अवधि में निम्न विषय पर शोध कार्य पूर्ण किया गयाः–

उत्तर प्रदेश में बालको के साथ घटित अपराध से सम्बन्धित समीक्षात्मक अध्ययन (वर्ष–2005 से 2009 तक)

उपरोक्त विषय पर अध्ययन हेतु जनपदों, परिक्षेत्रों से सूचनाओं को मगॉकर अध्ययनोंपरान्त रिपोर्ट तैयार की गयी जिसमें घटनाओं का समावेश करके आख्यायें शासन/पुलिस प्रशासन के उच्चाधिकारियों को भेजी गयी है।

प्रमुख अपराधों के पांच वर्षीय तुलनात्मक ऑकडे

दिनांक 01.01.2010 से 31.12.2010 तक

क0 सं0	अपराध शीर्षक	2010	2009	2008	2007	2006
1	डकैती	170	152	111	137	135
2	लूट	2007	1717	1552	1662	1782
3	हत्या	4114	4355	4348	4831	5390
4	बलवा	3745	3842	4114	4149	4057
5	गृहभेदन	4073	4340	4485	4383	4060
6	रोड होल्ड अप	0	2	4	3	5
7	फिरौती के लिए अप0	57	57	58	85	118
8	दहेज हत्या	2052	2205	2213	2101	1886

9	बलात्कार	1290	1552	1696	1637	1382
10	कुल भा0दं0वि0	159796	160875	161082	142964	128233

नक्शा महिला उत्पीडन सम्बन्धी अपराध ऑकडा पांच वर्षीय
दिनांक 01.01.2010 से 31.12.2010 तक

क0 सं0	अपराध शीर्षक	2010	2009	2008	2007	2006
1	दहेज हत्या	2052	2205	2213	2101	1886
2	बलात्कार	1290	1552	1696	1637	1382
3	शीलभंग	2660	2726	3029	2674	2182
4	अपहरण	4903	4643	4336	3556	2691
5	छेडखानी	2077	2508	3519	2962	2741
6	महिला उत्पीडन	7468	8087	8545	7800	5657
योग		**20450**	**21721**	**23338**	**20730**	**16539**

अनुसूचित जाति/जन जाति उत्पीडन सम्बन्धी पांच वर्षीय अपराध
दिनांक 01.01.2010 से 31.12.2010 तक

क0 सं0	अपराध शीर्षक	2010	2009	2008	2007	2006
1	हत्या	219	224	225	313	328
2	आगजनी	26	37	44	66	54
3	बलात्कार	280	285	331	339	255
4	गम्भीर चोट	299	359	403	436	423
5	अन्य हस्तक्षेपीय अप0	4543	5486	5907	5474	3996
6	कुल अनु0जाति/जनजाति /अ0नि0अधि0 के अभियोग	5367	6391	6910	6628	5056

अधिनियम के अर्न्तगत पंजीकृत अभियोगों का पांच वर्षीय
तुलनात्मक आंकडे दिनांक 01.01.2010 से 31.12.2010 तक

क0सं0	अपराध शीर्षक	2010	2009	2008	2007	2006
1	शस्त्र अधिनियम	49248	52419	47309	41748	39184
2	जुआ अधिनियम	12100	13498	11992	9340	8220
3	एन0डी0पी0एस0अधिनियम	12953	14135	13869	10939	11347
4	आबकारी अधिनियम	71860	73863	63150	46415	40202
5	गुण्डा अधिनियम	28654	36714	30426	26982	11816
6	गैगस्टर अधिनियम	5027	6706	5846	4792	2177

7	राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम	439	840	768	904	411
8	धारा 109 दं.प्र.सं.	26161	29041	27520	21300	18002
9	धारा 110 दं.प्र.सं.	171983	158610	108361	110638	45931
10	आवश्यक वस्तु अधिनियम	1827	1941	2077	1605	1267
11	अन्य अधिनियम	2027492	2054127	1681479	1286205	1084565

ग्रामीण एवं डकैतों के साथ मुठभेड़

क0सं0	शीर्षक	2010	2009	2008	2007	2006
1						
2	मृतक डकैतो की संख्या	12	19	25	18	58
3	बन्दी डकैतों की संख्या	11	13	30	21	50
4	मृतक ग्रामीणों की संख्या	0	0	3	0	2
5	घायल ग्रामीणों की संख्या	2	0	3	0	12

फिरौती हेतु अपहरण के पॉच वर्षीय तुलनात्मक आंकडें

क0सं0	शीर्षक	2010	2009	2008	2007	2006
1	पंजीकृत अपराधों की संख्या	57	57	60	85	109
2	अपहृत व्यक्तियों की संख्या	68	63	71	85	156
3	पुलिस/जनता द्वारा बरामद व्यक्तियों की संख्या	54	55	68	67	131
4	स्वयं वापस आये व्यक्तियों की संख्या	8	6	1	9	15
5	बरामद हेतु शेष व्यक्तियों की संख्या	6	2	2	9	10

पुलिस एवं डकैतों/आतंकवादियों के साथ मुठभेड़

क्र0सं0	शीर्षक	2010		2009		2008		2007		2006	
		आतंकवादियों/नक्स0 से	डकैतों से	आतंकवादियों/नक्स0 से	डकैतों से	आतंकवादियों/नक्स0 से	डकैतों से	आतंकवादियों/नक्स0 से	डकैतों से	आतंकवादियों/नक्स0 से	डकैतों से
1	मुठभेडों की संख्या	1	1722	2	2140	5	2375	2	2131	15	2427
2	मृतक डकैतों/बदमाशों/आतंकवादियों/नक्स0की संख्या	0	73	2	82	0	112	2	139	4	293
3	गिरफतार डकैतों/बदमाशों/आतंकवादियों/	1	4006	2	5060	10	5449	7	4634	18	4654

	नक्स0की संख्या										
4	बरामद आग्नेयास्त्रों की संख्या	1	6105	5	3503	8	3951	27	3889	16	3832

बरामद अवैध आग्नेयास्त्र का विवरण

क0 सं0	शीर्षक	2010		2009		2008		2007		2006	
		देशी	फै0नि 0	देशी	फै0नि 0	देशी	फै0नि 0	देशी	फै0नि 0	देशी	फै0नि 0
1	बन्दूक	388	295	504	316	757	365	688	429	767	464
2	पिस्टल	17126	305	21266	188	21396	218	20544	194	17764	204
3	रिवाल्वर	325	102	358	116	501	121	1020	126	900	99
4	रायफल	236	148	255	135	378	142	394	171	382	194
5	इन्सास रायफल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	ए0के047 / 56 रायफल	0	2	0	3	0	5	0	4	0	4
7	एस0एल0आर0	0	2	0	2	0	1	0	1	0	2
8	स्टेनगन / कार्बाइन	4	2	2	6	3	2	7	5	7	7
9	हैण्ड ग्रिनेड	5	5	0	9	3	9	0	50	2	28
10	बम	3716	0	4165	6	2972	11	3550	1	3351	0
11	डेटोनेटर	0	721	0	4143	0	32984	0	1567	0	2133
12	कारतूस	287	49294	486	45799	656	50902	425	48630	159	49964
13	एल0एम0जी0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1
14	टी0एम0सी0	3	9	1	0	0	0	0	0	0	0
15	हाई एक्सप्लोसिव अमोनियम नाइट्रेट (किग्रा0)	0	17525	0	997	0	560.6	0	1000	0	3
16	पावर जिल्द डायनामाइट	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0
17	आर0डी0एक्स0 (ग्राम)	0	0	0	0	0	250	0	19.85	0	7
18	टाइमर डिवाइस	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0
19	मैगजीन	0	0	0	4	0	2	0	8	0	12
20	साइलैन्सर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	विस्फोटक सामग्री (किग्रा0)	0	0	1141.9	0	0	0	2785	0	552.5	0
22	शस्त्र फैक्ट्री	196	0	342	0	271	0	799	0	638	0
23	राकेट लांचर	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
24	जिलेटिन राड	0	230	0	20	0	24	0	14	0	36
25	बारूद(किग्रा0)	0	0	10006	0	7.5	0	25	0	0.22	0
26	ई0डी0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	पावर जेल	0	0	0	0	0	0	406	0	901	0
28	यूरेनियम	0	0	0	0	0	0	0	0.7	0	0

अध्याय–(4)

कानून व्यवस्था सुप्रबन्धन

आलोच्य अवधि में प्रदेश पुलिस के समक्ष कानून एवं व्यवस्था की जो समस्यायें आयीं, जिन्हें एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए विभिन्न अवसरों पर व्यापक सुरक्षात्मक उपाय किये गये, जिसके कारण प्रदेश में पूर्ण शान्ति व्यवस्था बनी रही। इस अवधि में महत्वपूर्ण त्यौहार, मेले, अति विशिष्ट महानुभावों की यात्रायें, राजनैतिक रैलियाँ, प्रदर्शन आदि शांतिपूर्वक सम्पन्न हुये। इसके अतिरिक्त श्रीराम जन्म भूमि/बाबरी मस्जिद प्रकरण में मा.उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के समस्त जनपदों में भ्रमण कर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण किया गया, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई।

4.1 साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति :

यद्यपि प्रदेश में कहीं–कहीं साम्प्रदायिक तनाव रहा है किन्तु पर्याप्त पुलिस बल के व्यवस्थापन से स्थिति पूरी तरह से नियन्त्रण में रही। इस अवधि में साम्प्रदायिक/जातीय संघर्ष की कोई बड़ी घटना घटित नही हुई है।

आलोच्य अवधि में प्रदेश की साम्प्रदायिक स्थिति संवेदनशील होते हुए भी सम्यक पुलिस व्यवस्था के कारण नियन्त्रण में रही। उक्त अवधि में कोई वृहद साम्प्रदायिक दंगा नही हुआ। वर्ष 2010 में दिनांक 02.03.2010 को जनपद बरेली में मात्र 01 साम्प्रदायिक घटना घटित हुयी, जिसमें किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। सामान्य साम्प्रदायिक तनाव की अन्य घटनाओं में त्वरित गति से कार्यवाही की गई, जिसके फलस्वरूप स्थिति नियंत्रण में रही।

4.2 जातिगत तनाव/संघर्ष :–

आलोच्य अवधि में प्रदेश में जातिगत तनाव/संघर्ष की कुल 13 घटनायें हुई, परन्तु पुलिस की तत्परता के कारण किसी भी स्थान पर शान्ति व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हो पाई। यह घटनायें कमशः दिनांक 28.01.2010 को जनपद फिरोजाबाद, दिनांक 01.03.2010 को जनपद इलाहाबाद, दिनांक 02.03.2010 को जनपद मथुरा, दिनांक 02.03.2010 को जनपद वाराणसी, दिनांक 01.04.2010 को जनपद बदायूँ, दिनांक 17.04.2010 को जनपद इलाहाबाद, दिनांक 19.05.2010 को जनपद गोरखपुर, दिनांक 06.06.2010 को जनपद मैनपुरी, दिनांक 15.06.2010 को जनपद जौनपुर, दिनांक 21.07.2010 को जनपद मथुरा, दिनांक 26.09.2010 को जनपद सहारनपुर, दिनांक 02.10.2010 को जनपद ललितपुर व दिनांक 03.10.2010 को जनपद अम्बेडकर नगर में घटित हुयीं ।

4.3 छात्र–गतिविधियाँ :–

आलोच्य अवधि में छात्रों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रदर्शनों/कार्यकमों के अवसरों पर प्रदेश पुलिस द्वारा व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई, जिससे प्रदेश में पूर्ण शान्ति बनी रही।

4.4 मेले/त्यौहारः–

आलोच्य अवधि में प्रदेश में सभी प्रमुख अवसरों/त्यौहार/मेले, जैसे–हरिद्वार कुम्भ मेला, माघ मेला–इलाहाबाद, गणतंत्र दिवस, चेहल्लुम, महाशिवरात्रि, ईद–ए–मिलाद– उन–नबी {बारावफात}, होली, मा.कांशीराम जी का जन्म दिवस, झूले जाल जयन्ती/चेटीचन्द, नवरोज, चैत्र रामनवमी, महाबीर जयन्ती, 11वीं शरीफ, गुड फाइडे,बाबा साहब डा.भीमराव अम्बेडकर जयन्ती, बैशाखी, बुद्ध पूर्णिमा व शब–ए–बारात /जन्माष्टमी/रमजान, ईद, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, बकरीद, मोहर्रम एवं किसमस आदि शान्तिपूर्वक एवं सौहार्द के वातावरण में सम्पन्न हुये।

4.5 विशिष्ट महानुभावों का भ्रमण :

आलोच्य अवधि में विभिन्न महानुभावों के भ्रमण कार्यक्रम सकुशल सम्पन्न हुये। दिनांक 19.10.2010 को जनपद झांसी में महामहिम राष्ट्रपति, भारत का भ्रमण कार्यक्रम सकुशल सम्पन्न हुआ।

4.6 नक्सल गतिविधि :

प्रदेश के 3 जनपद सोनभद्र, मिर्जापुर व चन्दौली के क्रमशः 12, 5 व 6 थाने नक्सल समस्या से प्रभावित हैं, जिनमें कुल 13 कम्पनी पी0ए0सी0 व 6 कम्पनी सी0आर0पी0एफ0 एवं नागरिक पुलिस व्यवस्थापित कर नक्सलवाद पर नियंत्रण किया जा रहा है।

(अ) परिचालनिक उपलब्धताः

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 02 दर्जन से अधिक हार्डकोर इनामी नक्सलियों को पुलिस की सक्रियता के चलते हुए गिरफ्तार किया गया। इनमें से कतिपय नक्सली तत्वों जो कि अन्य नक्सल प्रभावित राज्यों में वांछित हैं। 09 अन्य नकसली तत्वों को छांट कर उनके अपराधिक इतिहास के आलोक में रू. एक लाख का इनाम घोषित कराकर व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

(ब) कम्यूनिटी पुलिसिंग प्रोग्रामः

कम्यूनिटी पुलिसिंग के अन्तर्गत वृहद स्तर पर जन–कलयाणकारी कार्य किये गये है जिससे 6000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं इससे लगभग 45 लाख रूपये तक के प्रोग्राम चलाये गये हैं, जिनका विवरण निम्नवत् हैः

- व्यावसायिक दक्षता विकास एवं प्रशिक्षण– यथा ड्राइविंग कोर्स आदि।
- स्कूली शिक्षा हेतु पठन–पाठन सामग्रियों की सुलभता।
- घरेलू सशक्तीकरण/महिला सशक्तीकरण के अन्तर्गत शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, जीवन यापन हेतु संसाधन इत्यादि उल्लेखनीय हैं।
- पेयजल/जलापूर्ति व्यवस्थायें/शौचालयों का निर्माण।
- स्वास्थ्य/मेडिकल कैम्प।
- सामूहिक विवाह।
- विकलांग/बृद्धावस्था पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत कार्यवाही।

(स) परिचालनिक क्षमता विकासः

- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नागरिक पुलिस के 7200 से अधिक नवीन पद सृजित करते हुए लगभग 25 प्रतिशत बल की वृद्धि की गयी है ।
- नक्सल प्रभावित जनपदों {क्रमशः सोनभद्र,मिर्जापुर व चन्दौली} में सुरक्षा में जन सहभागिता अर्जित करते हुए 203 विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किये गये है।
- विभिन्न परिचानिक संसाधनों में वृद्धि की गई है, जिसमें थानों/चौकिंयो/ पोस्टों के सुरक्षित निर्माण के साथ–2 आधुनिक हथियारों/उपकरणों की आपूर्ति भी सम्मिलित है।
- नक्सल क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की संख्या,संसाधनों एवं परिचालनिक क्षमता विकास की दिशा में गुणवत्त कार्यवाहियां विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत की गयी हैं जिनमें विशेष अवस्थापना तथा आधुनिकीकरण योजना प्रमुख हैं।
- ग्रेहाउण्ड आन्ध्र प्रदेश की तर्ज पर मिर्जापुर जनपद में एक ट्रेनिंग सेण्टर की स्थापना की कार्यवाही प्रचलित है।

(द) विशिष्ट कार्यवाहियां:

- सुरक्षा युक्त विकास की दिशा में समेकित कार्यवाहियां की गई है। 423 ग्रामों में अम्बेडकर ग्राम सभा योजना के अर्न्तगत उच्च संतृप्ति के लक्ष्य प्राप्त किये गये है।
- नक्सलवाद समस्या से निपटने के लिये सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की गयी है, साथ ही एक रणनीति के तहत यह भी प्रयास किया गया है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जनमानस में प्रशासन/सरकार के प्रति विश्वास की भावना पैदा हो।
- इस समस्या को केवल आन्तरिक सुरक्षा की समस्या नहीं माना है, बल्कि पुलिस राजस्व, वन एव अन्य विकास के पहलूओं को एक साथ जोड़कर समग्रता में कार्यवाही करने की रणनीति बनाई है।
- नक्सलवाद के निदान हेतु नक्सल प्रभावित सीमावर्ती राज्यों से समन्वय उपरान्त एक समविष्ट कार्य–योजना भी तैयार की गयी है।

(य) नक्सल विरोधी परिचालनिक उपलब्धियों का विवरण:

- दिनांक 16–1–2010 को समईलवा क्षेत्रान्तर्गत थाना कोन जनपद सोनभद्र में पुलिस एवं नक्सलियों के मध्य हुई मुठभेड़ में रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित हार्डकोर नक्सल गिरधर गोपाल एवं नक्सल गोरखनाथ यादव को अवैध अस्त्र–शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया ।
- दिनांक 21–1–2010 को थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशन दुद्धी से वांछित नक्सल अनिल कुशवाहा उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार किया गया।
- दिनांक 27–1–2010 को ग्राम पोखरिया स्थित पुलिस कैम्प थाना कोन जनपद सोनभद्र में रू0 2500/– के इनामी नक्सल डा0 उर्फ कईल चेरो को अवैध अस्त्र–शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया।
- दिनांक 06.02.2010 को एस.टी.एफ. द्वारा जनपद गोरखपुर में सेट्रल महिला सब कमेटी, प्रतिबन्धित संगठन की सक्रीय सदस्या आशा उर्फ हीरामन मुण्डा को गिरफ्तार किया तथा उसकी निशानदेही पर जनपद इलाहाबाद में दिनांक 06.02.2010 को सक्रीय नक्सली विश्वजीत उर्फ कमल जी तथा उसकी पत्नी सीमा को गिरफ्तार किया गया ।
- दि0 04.04.2010 नौगढ़ क्षेत्र जनपद सोनभद्र का सब जोनल कमाण्डर हार्डकोर नक्सली रू0 50,000 का ईनामी राम सजीवन कुशवाहा उर्फ गुरूजी को गिरफतार किया गया ।
- दिनांक 13.04.2010 को रु0 2,500/– का ईनामी नक्सली नन्दू चेरो पुत्र दिलमन चेरो, निवासी–झूमरखोहा, थाना चियूटिया, जनपद रोहतास, बिहार को थाना कोन जनपद सोनभद्र में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया ।
- दिनांक 07.05.2010 को रु0 5,000/– का ईनामी नक्सली राजू को गिरफ्तार किया गया।
- दिनांक 23.05.2010 को रु0 5,000/– का ईनामी नक्सली अम्बर उर्फ रहमान गिरफ्तार किया गया।
- दिनांक 15.07.2010 को थाना मड़िहान, जनपद मिर्जापुर पुलिस द्वारा दादरी जंगल मोड़ से नक्सली दिनेश उरांव पुत्र स्व0 महावीर निवासी–बड़का बुधवा, थाना नौहट्टा, जनपद रोहतास बिहार को गिरफ्तार किया गया।
- दिनांक 28.08.10 को थाना मड़िहान पुलिस द्वारा पंचशील दह (दरी) बहद ग्राम चौखड़ा से नक्सली रमेश उरांव उर्फ संजय को मय असलहा के साथ गिरफ्तार किया।

- दिनांक 10.11.2010 को वांछित नक्सली उमेश सिंह पुत्र स्व0 मोतीलाल निवासी– जारोदाग थाना चिउटिया जनपद रोहतास {बिहार} द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना राबर्ट्सगंज के समक्ष आत्मसमर्पण किया ।

- दिनांक 17.12.2010 को थाना आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा संदिग्ध नक्सली रमेश लोहरा उर्फ गुरुवा पुत्र स्व0 सोमा लोहरा निवासी सोसोकुटी थाना अड़की जिला खंटी {झारखंड} को चहौड़ाघाट से मय असलहा के गिरफ्तार किया।

उत्तर प्रदेश में आलोच्य अवधि में नक्सलवाद की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है।

4.7 भारत–नेपाल सीमा प्रबन्धन–

1. उत्तर प्रदेश के 7 जनपदों पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती,बलरामपुर, सिद्धार्थनगर एवं महराजगंज की लगभग 550 कि0मी0 सीमा नेपाल से लगी हुई है। नेपाल के सीमावर्ती जनपद कमशः कंचनपुर, कैलाली, वर्दिया, बॉके, दॉग, कपिलवस्तु एवं रूपनदेही है।

2. उत्तर प्रदेश में सीमावर्ती जनपदों के 30 थाने तथा 26 चौकियां व 8 इमीग्रेशन चेक पोस्ट सकिय है। इसके अतिरिक्त अभिसूचना संकलन हेतु सीमा पर 13 इकाईयॉ स्थापित है। सीमा पर एस.एस.बी. की 34 कम्पनियों की 158 पोस्टें भी व्यवस्थापित हैं। पुलिस महानिदेशक के तत्वाधान में 01 राज्य स्तरीय टास्क फोर्स तथा परिक्षेत्रीय प्रभारियों के अधीन 06 टास्क फोर्स सृजित किये गये हैं। विभिन्न इकाईयों के साथ समन्वय स्थापित कर संयुक्त कार्यवाही की जा रही है, जिसके फलस्वरूप पुलिस की सकियता एवं जागरूकता के कारण कोई माओवादी गतिविधियॉ प्रकाश में नही आयी।

3. सीमावर्ती जनपदों की सीमायें खुली होने के कारण नागरिकों का आना–जाना बना रहता है, जिसके कारण उनकी आड़ में माओवादियों, राष्ट्र विरोधी तत्वों व आपराधिक तत्वों की अवैध घुसपैठ की सम्भावना बनी रहती है । इस सम्बन्ध में सतर्क दृष्टि रखे जाने हेतु सीमा पर एस.एस.बी., एस.आई.बी., अभिसूचना विभाग, कस्टम विभाग तथा स्थानीय अभिसूचना इकाई के अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्त हैं, जिनसे परस्पर समन्वय स्थापित कर उपरोक्त प्रकार की गतिविधियों की रोंकथाम हेतु निरन्तर दृष्टि रखी जा रही है ।

4. नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में माओवादियों द्वारा भारत विरोधी अभियान के दृष्टिगत सीमा पर निरन्तर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है।

5. शासनादेश संख्या–133/3/7/98–सी.एक्स.–3 दिनांक 29.01.2009 के अनुरूप सीमावर्ती क्षेत्र में उत्तर प्रदेश व नेपाल के जनपदों के मध्य त्रैमासिक बैठकों का प्राविधान किया गया है, जिसका सुदृढ़ अनुपालन अपेक्षित है । जनपदों द्वारा यह कार्यवाही नियमित रूप से किये जाने पर बल दिया गया है।

6. उत्तर प्रदेश नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र के तत्वावधान में एक कमेटी कार्यरत है, जिसकी अन्तिम रिपोर्ट प्रतीक्षित है। रिपोर्ट के आलोक में अग्रेतर कदम उठाये जायेंगे।

7. सीमा पर एस.एस.बी. की 34 कम्पनियों की 158 पोस्टें भी व्यवस्थापित हैं।

4.8 आतंकवादी गतिविधियां

1. दिनांक 07.12.2010 को शीतला घाट वाराणसी में 01 बम विस्फोट की घटना घटित हुयी। इस घटना में दो व्यक्तियों क्रमशः कु0 स्वास्तिका शर्मा पुत्री श्री सन्तोष शर्मा, निवासी–80, जनपद–वाराणसी व श्रीमती फूल रानी पत्नी श्री राम मनोहर तिवारी, निवासी ग्राम एवं पोस्ट–जेरठ, थाना पथरिया, जनपद दमोह (मध्य प्रदेश) की मृत्यु कारित हो गयी, 10 व्यक्ति

गम्भीर रूप से एवं 27 व्यक्ति साधारण रूप से घायल हुए। इस सम्बन्ध में थाना दशाश्वमेघ पर मु0अ0सं0: 159/2010 धारा–307/326/ 324/121/121ए/122 भा0दं0वि0 एवं 3/4/5विस्फोटक पदार्थ अधिनियम पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना ए.टी.एस., उ.प्र. द्वारा की जा रही है।

2. आलोच्य अवधि में कुल 06 आतंकवादी/आई.एस.आई. एजेण्ट गिरफ्तार किये गये। इनकी पूछताछ ए.टी.एस. द्वारा की गयी एवं अपेक्षित कदम उठाये गये हैं।

3. विभिन्न राज्यों एवं एन.आई.ए. के समन्वय से आतंकवादी सूचनाओं के सम्बन्ध में 'डाटा बैंक' अद्यतन किया जा रहा है ।

- महत्वपूर्ण/संवेदशील मामलों की विवेचना तथा सुनवाई आतंकवाद विरोध दस्ते (ए.टी.एस.)की निगरानी में की जा रही है ।
- आतंकवादी हमलों से निपटने के लिये कमाण्डो बल भी तैयार किया जा रहा है। इसके लिये उत्तर प्रदेश में एक कमाण्डो ट्रेनिंग स्कूल, अनौरा, लखनऊ में बनाया जा रहा है। अन्तरिम व्यवस्था के रूप में दिनांक 11–01–2010 को नवीन पुलिस लाइन परिसर कल्ली, मोहनलालगंज, लखनऊ में अस्थाई रूप से कमाण्डो ट्रेनिंग स्कूल का संचालन प्रारंभ किया गया तथा कमाण्डोज के प्रथम बैच को विधिवत प्रशिक्षण देना शुरू किया गया।
- ऐसे सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों, जो कि सुरक्षा के दृष्टिकोंण से संवेदनशील हैं, को चिन्हित कर उनकी सुरक्षा योजना भी तैयार करा ली गयी है। सुरक्षा योजना के अनुसार इन संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से सुनिश्चित कराई जा रही है ।

4.9 अन्य महत्वपूर्ण कार्यवाहियां :

(क) काशी/मथुरा/अयोध्या स्थित विवादित धार्मिक स्थलों एवं ताजमहल आगरा की सुरक्षा व्यवस्था

- तीनों विवादित धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु पूर्व में बनायी गई सुरक्षा योजनाओं को पुनरीक्षित कर वर्ष 2005 में नई सुरक्षा योजना बना ली गई है । इसे समय–समय पर अद्यतन किया जा रहा है ।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, प्रभारी जनपद/वरिश्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक माह सुरक्षा हेतु लगे सुरक्षा उपकरणों एवं कर्मियों की चेकिंग/रिहर्सल कराया जाता है।
- तीनों धार्मिक सिलों एवं ताजमहल, आगरा की सुरक्षा हेतु अपर पुलिस महानिदेषक, सुरक्षा, उ.प्र. की अध्यक्षता में गठित स्थायी समिति के सदस्यों द्वारा विवादित धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने हेतु त्रैमासिक बैठकें आयोजित की जाती हैं ।
- श्रीरामजन्मभूमि/बाबरी मस्जिद प्रकरण में मा.उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के समस्त जनपदों में भ्रमण कर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण किया गया, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई।

(ख) श्रीराम जन्म भूमि/बाबरी मस्जिद परिसर विवाद में निर्णय की पृष्ठभूमि में कानून–व्यवस्था प्रबन्धन

श्रीराम जन्मभूमि/बाबरी मस्जिद परिसर विवाद में दिनांक 30–9–2010 को मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ द्वारा निर्णय दिया गया जिसके चलते व्यापक एवं साम्प्रायिक

संवेदनशीलता में वृद्धि परिलक्षित हुई थी। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से अपेक्षित सुरक्षा बल प्राप्त न होने के बाद भी प्रदेश में उपलब्ध सुरक्षा बलों के माध्यम से प्रबंध किये गये, जिससे इस संवेदनशील प्रकरण की आड़ में साम्प्रदायिक ताकते प्रदेश की कानून–व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द्र पर कोई विपरीत प्रभाव नही डाल पायीं, फलस्वरूप मा0 न्यायालय के निर्णय के उपरांत कोई भी अप्रिय घटना घटित नही हुई तथा प्रदेश में शांति–व्यवस्था बनी रही।

प्रभावी नियोजन एवं पुलिस प्रबन्धन के चलते प्रश्नगत परिस्थितियों में किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित नहीं हुई। इस दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जन– आस्था एवं जन–सहयोग प्राप्त करने के नये कीर्तिमान भी स्थापित किये गये।

(ग) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का पंजीकरण

- उ0प्र0 शासन द्वारा उत्तर प्रदेश प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली 2009 प्राख्यापित की गयी है।
- प्रदेश में वर्तमान में लगभग 507 प्राइवेट सुरक्षा एजेन्सियॉ कार्यरत् हैं। नियमावली के प्रख्यापन के पश्चात् अब तक विभिन्न प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों के संचालकों द्वारा अनुज्ञप्ति हेतु 263 आवेदन पत्र नियंत्रक प्राधिकारी/अपर पुलिस महानिदेशक कानून–व्यवस्था/अपराध को संबोधित कर निर्धारित प्रारुप में उपलब्ध कराये गये।

अध्याय–(5)

स्पेशल टास्क फोर्स (एस0टी0एफ0)

5.1–गठन

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा माफिया एवं संगठित अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु 1998 में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया। शासनादेश संख्या 2233/छः–पु–2–2000–1100 (35)/98 दिनांक 04.01.2001 के द्वारा एस0टी0एफ0 को पुलिस विभाग कि एक शाखा के रूप में स्वीकृति प्राप्त हुई तथा विभिन्न पदों के 108 पद स्वीकृत किये गये ।

समय व आवश्यकतानुसार एस0टी0एफ0 की कार्यप्रणाली को द्रुतगति प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2007 में पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एसटीएफ पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं एसटीएफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गठन किया गया । वर्तमान समय में एसटीएफ मुख्यालय के अतिरिक्त वाराणसी, गोरखपुर,इलाहाबाद,कानपुर,मेरठ एवं आगरा में फील्ड इकाईयां कार्यरत है ।

5.2–एस0टी0एफ0 के दायित्व एवं कार्य

एस0टी0एफ0 के गठन के समय शासन द्वारा निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये थे:–

1. माफिया गिरोहों के सम्बन्ध में एकत्र करना एवं उसके आधार पर इन गिरोहों के विरूद्ध अभिसूचना आधारित कार्यवाही करना ।
2. विघटनकारी तत्वों विशेषतया आई0एस0आई0 एजेण्टों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु विशेष कार्ययोजना तैयार करके उसका कियान्वयन करना ।
3. सूचीबद्ध गैंगों के विरूद्ध जनपदीय पुलिस के साथ समन्वय करते हुये प्रभावी कार्यवाही करना ।
4. डकैत गैगों विशेषतया एक से अधिक जनपदों में सकिय डकैतों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करना ।
5. संगठित अपराध करने वाले अन्तर जनपदीय गिरोहों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करना।

वर्ष 2007 में माह नवम्बर में आतंकवाद निरोधक दस्ते का उत्तर प्रदेश में गठन किया गया। एस0टी0एफ0 के गठन के बाद से आतंकवादी तत्वों के विरूद्ध मुख्यतया कार्यवाही एस0टी0एफ0 द्वारा की जा रही है।

5.3–बल की शक्तियां

स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा उ0प्र0 पुलिस बल की किसी भी शाखा अथवा इकाई से अपराधिक सूचना एवं अन्य विवरण प्राप्त कर सकता है । साथ ही स्पेशल टास्क को अपने कार्य क्षेत्र में गंतबीऐमप्रनतम, गिरफ्तारी, अभिरक्षा, कुर्की, विवेचना आदि की वही शक्तियां प्राप्त है जो द0प्र0सं0 एवं अन्य विधियों के अधीन पुलिस अधिकारियों को प्राप्त है।

5.4–स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 01.01.2010 से 31.12.2010 तक की अवधि में की गयी कार्यवाही।

आलोच्य अवधि में एस0टी0एफ0 द्वारा 241 दुर्दान्त अपराधी गिरफ्तार किये गये तथा 20 दुर्दान्त अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया ।

एस0टी0एफ0 द्वारा पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है:—

मुठभेड़ में मृत

क0 सं0	नाम	पुरस्कार	स्थान	क0 सं0	नाम	पुरस्कार	स्थान
1	नीरज सिंह	1,00,000	आगरा	9	रूदल यादव	50,000	कुशीनगर
2	अली अहमद	50,000	बाराबंकी	10	कमलेश	50,000	गौतमबुद्धनगर
3	एजाज	50,000	लखनऊ	11	भानु उर्फ लल्ला मौर्या	35,000	लखनऊ
4	दिलीप यादव	50,000	मुम्बई	12	बटलर राय	20,000	महाराजगंज
5	अजय सिंह	50,000	नोयडा	13	अनवार उर्फ डूडी	15,000	हरदोई
6	आशुतोष राय	50,000	नोयडा	14	राजा चौहान	12,000	मऊ
7	राजा खान	50,000	चित्रकूट	15	मनोज फौजी	12,000	मेरठ
8	मोनू यादव	50,000	वाराणसी	16	राहुल तिवारी	12,000	चित्रकूट

गिरफ्तार

क0 सं0	नाम	पुरस्कार	स्थान	क0 सं0	नाम	पुरस्कार	स्थान
1	बलराज (माओवादी)	7,00,000	कानपुर	19	योगेश भदौड़ा	15,000	सहारनपुर
2	राजेश पायलट	2,50,000	मुम्बई	20	अनिल यादव	15,000	बरेली
3	पुरषोत्तम	1,00,000	इलाहाबाद	21	सोनू उर्फ अरविन्द	12,000	सुल्तानपुर
4	रामभजन	55,000	गाजियाबाद	22	अभिमन्यू उर्फ अनिल सिंह	12,000	जौनपुर
5	हामिद उर्फ हमीरूद्दीन उर्फ हमीदुद्दीन (आतंकवादी)	50,000	लखनऊ	23	साबिर	12,000	इलाहाबाद
6	इसरार पग्गल	50,000	चेन्नई	24	अशोक पाठक	10,000	लखनऊ
7	विवेक वर्मा	50,000	हाजीपुर (बिहार)	25	कल्लू उर्फ जगपाल	10,000	रोपड़(पंजाब)
8	फूलचन्द	50,000	झांसी	26	अनीसू पंडित	10,000	मेरठ
9	अवधेश पंडित	50,000	अलीगढ़	27	कासिम	10,000	कानपुर
10	आबिद	50,000	आगरा	28	अली अहमद	10,000	कानपुर
11	तेजबीरसिंह उर्फ तेजा	30,000	गाजियाबाद	29	तैय्यब	10,000	कानपुर
12	रजनीश उर्फ	30,000	सुल्तानपुर	30	प्रेम उर्फ बाबा	10,000	गुजरात

	पंकजसिंह						
13	सत्येन्द्र उर्फ लाला	25,000	प्रतापगढ़	31	आकाश उर्फ गुड्डू	5,000	लखनऊ
14	ओमप्रकाश उर्फ सप्पो	25,000	इलाहाबाद	32	गुड्डू उर्फ चन्द्रिका	5,000	देवरिया
15	गुलफाम	25,000	रामपुर	33	लाखन सिंह	5,000	आगरा
16	ज्ञान सिंह	25,000	हैदराबाद	34	राजेश चौधरी	5,000	बनारस
17	रामवीर	17,000	गाजियाबाद	35	बसरूद्दीन	5,000	गाजियाबाद
18	हंसा गूजर	15,000	आगरा				

5.5–महत्वपूर्ण उपलब्धियां

5.5(1)–सनसनीखेज अपराधों में कृत कार्यवाही

दिनांक 12.07.2010 को माननीय मंत्री उ0प्र0 शासन पर इलाहाबाद में हुये प्राण घातक हमले संलिप्त रूपया 01 लाख के इनामी अपराधी पुरषोत्तम को इलाहाबाद में दिनांक 02.08.2010 को तथा 2.5 लाख के इनामी राजेश पायलट उर्फ आनन्द शान्डिल्य को मुम्बई में दिनांक 04.10.2010 को गिरफ्तार किया गया । इसी घटना में दिनांक 23.12.2010 को मुम्बई में 10–10 हजार रू0 के इनामी अपराधी प्रेम सागर पाण्डेय पुत्र गिरिजा शंकर पाण्डेय निवासी थाना कोइरौना, जनपद सन्तरविदास नगर, (भदोही) हालपता ब्लूबेल 501, ए विन्ग आनन्द नगर, दहिसर ईस्ट मुम्बई एवं यज्ञनारायण मिश्रा पुत्र स्व0 छवीनाथ मिश्रा, निवासी रईयापुर, थाना कोईरौना, जनपद सन्तरविदास नगर को मुम्बई में गिरफ्तार किया गया ।

5.5(2)–आतंकवादी

दिनांक 02.02.2010 को सीबीआई से विगत 16 वर्षो से वांछित रू0 50,000 का इनामी आंतकवादी हमीदुद्दीन उर्फ हामीद को लखनऊ में गिरफ्तार किया गया ।

5.5(3)–माओवादी

दिनांक 06.02.2010, 08.02.2010 एवं 14.02.2010 को कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया (माओवादी) के 12 सक्रिय पदाधिकारी जिनमें सेण्ट्रल कमेटी, पोलित ब्यूरो के सदस्य व नार्दन रीजनल ब्यूरो के सेकेट्री सम्मिलित हैं । इनके पास से भारी मात्रा में प्रतिबन्धित माओवादी संगठन के दस्तावेज, कैमरा व रूपया 9,27,115 बराबद हुये । इन गिरफ्तार माओवादियों में माओवादी बलराज सेन्ट्रल कमेटी तथा पोलित ब्यूरो का सदस्य तथा ए0आर0बी0 सेकेट्री है । छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सीसी कमेटी/पोलित ब्यूरो सदस्य की गिरफ्तारी पर रूपया 07 लाख का पुरस्कार घोषित है ।

5.5(4)–पुलिस अभिरक्षा से फरार अपराधी

कुख्यात अपराधी नीरज सिंह, जिला जेल जौनपुर से स्थानान्तरित होकर नैनी जेल, इलाहाबाद में निरूद्ध था । दिनांक 16.03.2010 को जौनपुर न्यायालय में पेशी के उपरान्त ट्रेन द्वारा इलाहाबाद वापस ले जाते समय बरियाराम व उग्रसेन पुर रेलवे स्टेशन के मध्य नीरज सिंह व उसके साथियों द्वारा स्कोर्ट में लगे आरक्षीगण धर्मेन्द्र सिंह व हरेराम की गोली मारकर हत्या कर दी गयी तथा नीरज सिंह फरार हो गया । इस घटना सम्मिलित फरार अपराधी नीरज सिंह पर उ0प्र0 शासन द्वारा रू0 01 लाख, मोनू उर्फ मनीष यादव व विवेक वर्मा पर 50–50 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित किया गया था । दिनांक 03.05.2010 को नीरज सिंह को आगरा में, दिनांक 09.

05.2010 को मोनू यादव को वाराणसी में मुठभेड़ में मार गिराया गया तथा विवेक वर्मा को दिनांक 13.05.2010 को हाजीपुर(बिहार) में गिरफ्तार किया
गया ।

5.5(5)–दस्यु गिराहों के विरूद्ध कार्यवाही

आलोच्य अवधि में बीहड़ के दो दुर्दान्त दस्यु राजा खान(पुरस्कार रू0 50 हजार) एवं राहुल तिवारी(पुरस्कार रू0 12 हजार) को चित्रकूट में मुठभेड़ में मार गिराया गया ।

5.5(6)–फिरौती हेतु अपहरण

फिरौती हेतु अपहरण के 10 प्रकरण में कार्यवाही करते हुये 29 अपहरणकर्ता गिरफ्तार किये गये तथा 04 अपहरणकर्ताओं को मुठभेड़ में मार गिराया गया ।

08 अपहृतों 1. पटियाला पंजाब अपहृत युवराज, 2. लखनऊ के गौरव मिश्रा, 3. सीतापुर की श्रीमती राकेश, 4. झारखण्ड से सुधाशुं शेखर, 5. इटावा के बैंक मैनेजर शहजादे सिंह, 6. बुलन्दशहर के अपहृत सुधीर गर्ग, 7. मथुरा से अपहृत बालक मुलायम एवं 8. मैनपुरी से अपहृत बालक शिवम एवं मथुरा से अपहृत मोहित लोहिया को सकुशल मुक्त कराया गया ।

5.5(7)–भारतीय जाली मुद्रा(एफ0आई0सी0एन0) की तस्करी

एस0टी0एफ0 द्वारा तीन अवसरों पर कार्यवाही करते हुये जनपद लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी भारतीय जाली मुद्रा के 08 तस्करों को गिरफ्तार कर रू0 14 लाख 30 हजार की भारतीय जाली मुद्रा बरामद की गयी ।

5.5(8)–मादक पदार्थो की तस्करी

आलोच्य अवधी में मादक पदार्थो की तस्करी के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही की गयी तथा 07 अवसरो पर लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद में 28 तस्करों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से 135 कि0ग्रा0 गांजा, 775 ग्राम कोकिन, 525 ग्राम डोडा पाउडर, 4.170 कि0ग्रा0 हेरोइन, 350 ग्राम ब्राउन शूगर, 750 ग्राम स्मैक व 131 कि0ग्रा0 चरस बरामद हुई ।

5.5(9)–प्रतिबन्धित वन्य जीवों की खाल/अंगों तस्करी

दिनांक 05.03.2010 को प्रतिबन्धित वन्यजीवों की खालों/अंगों की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को मेरठ में गिरफ्तार कर दो अदद तेंदुए की खाल बरामद की गयी ।

5.5(10)–संगठित अपराध

आलोच्य अवधि में 88 संगठित अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी । महत्वपूर्ण कार्यवाहियों का विवरण निम्न प्रकार है:–

(1)– दिनांक 25.01.2010 को अवैध शस्त्रों का कारोबार करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह जिसमें गोरखपुर पुलिस लाइन में नियुक्त आरमोरर भी शामिल था, के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया गया । इनके पास से पांच शस्त्रों के साथ–साथ पुलिस विभाग के .9 एमएम के 100 कारतूस, एके सैंतालिस के 49 व एसएलआर का एक तथा 09 एमएम के 498 खोखे बरामद हुये ।

(2)– दिनांक 21.04.2010 को छत्रपतिशाहूजी महाराज विश्वविद्यालय का प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोह के पांच अपराधियों को इलाहाबाद में गिरफ्तार किया गया । उनसे परीक्षा प्रश्नपत्र बरामद हुये जो मिलान पर सही पाये गये । एसटीएफ द्वारा की गयी कार्यवाही के आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सम्बन्धित प्रश्नपत्रों की परीक्षाएं निरस्त कर दी गयी ।

(3)– सी0आर0पी0एफ0 रामपुर कारतूस घोटाला

दिनांक 29/30.04.2010 को रामपुर, मुरादाबाद एवं बस्ती में कारतूस व असलहों के पुर्जे असामाजिक तत्वों को बेचने वाले सी0आर0पी0/पी0टी0सी0 प्रथम व बस्ती के एक आरमोरर

सहित 07 अभियुक्त गिरफ्तार किये गये । इनके पास से भारी मात्रा में कारतूस, खोखा–कारतूस एवं कम्पोनेन्ट्स बरामद हुये । एस0टी0एफ0 की सूचना पर संयुक्त कार्यवाही में जनपद बलिया, झांसी, फैजाबाद, गोरखपुर एवं 30वीं वाहिनी पीएसी गोण्डा के 07 अन्य आरमोरर व कान्सटेबल गिरफ्तार किये गये । कुल 14 अभियुक्त गिरफ्तार हुये ।

(4)– दिनांक 09.07.2010 को अवैध शस्त्रों का कारोबार करने वाले 03 अपराधियों को हमीरपुर में गिरफ्तार कर पांच पिस्तलें बरामद की गयी ।

(5)– दिनांक 19.08.2010 को लोकोसेड कासगंज को डीजल सप्लाई करने वाले ठेकेदारों द्वारा हेराफेरी कर मिट्टी का तेल सप्लाई करने वाले गिरोह के 07 सदस्यों एवं 03 रेलवे कर्मियों को गिरफ्तार किया गया तथा 36 हजार लीटर मिट्टी का तेल बरामद किया गया ।

(6)– दिनांक 19.10.2010 को पासपोर्टो में हेराफेरी कर मानव तस्करी करने वाले गिरोह के 06 सदस्य गिरफ्तार कर उनसे 45 पासपोर्ट, पासपोर्टो की छायाप्रतियां एवं वीजा की छायाप्रतियां एवं अन्य अभिलेख बरामद किये गये ।

(7)– दिनांक 06.12.2010 को अवैध शस्त्रों की तस्करी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर 04 अवैध शस्त्र बरामद किये गये ।

(8)– दिनांक 26.12.2010 को अवैध असलहों की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का अनावरण कर गिरोह के दो सदस्यों 1. रामप्रताप भदौरिया उर्फ बोनी उर्फ राजन पुत्र बलवीर सिंह, निवासी ग्राम नादरमई, थाना अमापुर जनपद कांशीराम नगर एवं 2. मनवीर सिंह बाहरा पुत्र स्व0 नरेन्द्र सिंह निवासी भाई करन सिंह, बिल्डिंग कीर्तनपुरी, कैथु, शिमला को गिरफ्तार किया गया । इन अभियुक्त द्वारा सैण्ट्रो कार में बनाई गयी विशेष कैविटी से 04 अदद रायफल, .30 बोर स्प्रिंग फील्ड बोल्ट एक्शन फैक्ट्री मेड, एक हजार कारतूस .315 बोर, 400 कारतूस .30 बोर, रायफल का एक अदद बोल्ट, सैण्ट्रो कार नं0 डीएल–2 सीडब्लू 9245, 04 अदद मोबाइल फोन, ड्राइविंग लाइसेंस जो कि भानु प्रताप के नाम से बना है तथा फोटो रामप्रताप का लगा है एवं 15 अदद एटीएम कार्ड बरामद हुये ।

5.6–अण्डरवर्ल्ड अपराधी

आलोच्य अवधि में 04 अवसरों पर कार्यवाही करते हुये 06 अण्डरवर्ल्ड अपराधी गिरफ्तारी किये गये तथा मुम्बई पुलिस को सहयोग कर छोटा राजन गिरोह के 03 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया । इनका संक्षिप्त विवरण निम्नप्रकार है:–

(1)–दिनांक 16.03.2010 को अण्डरवर्ल्ड अपराधी छोटा शकील गिरोह के 02 सदस्यों राजा चौधरी व जितेन्द्र सिंह को जनपद महाराजगंज में गिरफ्तार किया गया ।

(2)–दिनांक 26.06.2010 को अण्डरवर्ल्ड अपराधी छोटा राजन गिरोह के 02 सदस्यों पीटर फ्रांसिस कोटिन्हो एवं मनोज गुप्ता उर्फ सोनू को लखनऊ में गिरफ्तार किया गया ।

(3)–दिनांक 04.08.2010 को अण्डरवर्ल्ड अपराधी छोटा राजन गिरोह के पूर्व शूटर तथा वर्तमान में भरत नेपाली के शूटर का कार्य करने वाले ओसामा उर्फ राहुल राय को लखनऊ में गिरफ्तार किया गया ।

(4)–दिनांक 08.10.2010 को अण्डरवर्ल्ड अपराधी दाऊद इब्राहिम/ छोटा शकील गिरोह के शेख फिरोज को अम्बेडकर नगर में गिरफ्तार किया गया ।

(5)– उपरोक्त के अतिरिक्त एस0टी0एफ0 द्वारा सहयोग कर अण्डरवर्ल्ड अपराधी छोटा राजन गिरोह के साकिब, पंकज सिंह एवं रविप्रकाश सिंह उर्फ जयेश सिंह उर्फ टिंकल सिंह को दिनांक 30.06.2010 को मुम्बई पुलिस द्वारा गिरफ्तार कराया गया ।

अध्याय (6)
ए0टी0एस0

5.7– विभागीय संरचनाः–

प्रदेश में बढ़ती हुई आतंकवादी घटनाओं से निपटने तथा आतंकवादियों एवं इनके सम्बन्धित संगठनों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु उनके विरूद्ध त्वरित कार्यवाही करने के लिये एक अलग संगठन की आवश्यकता महसूस की गयी जिसके फलस्वरूप उ0प्र0 शासन द्वारा आतंकवाद निरोधक दस्ता (ए0टी0एस0) का गठन दिनाक 26.11.2007 द्वारा किया गया तथा शासनादेश संख्या–4020/छः–पु–1–08–1300(34)/2002 दिनांकित 02.12.2008 द्वारा आतंकवाद निरोधक दस्ता (ए0टी0एस0) को पुर्नगठित करते हुये 4 जोन में विभाजित किया गया है। जिसके राज्य स्तरीय प्रभारी अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था एवं अपराध) बनाये गये हैं।

5.8– संगठन के उद्देश्य एवं दायित्वः–

आतंकवाद निरोधक दस्ता(ए0टी0एस0) को निम्नलिखित उद्देश्य एवं दायित्व निर्धारित हैंः–

(1)–सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों का चिन्हीकरण तथा वहां पर सम्पर्क सूत्र विकशित करना जहां पर राष्ट्र विरोधी तत्व छिपने/रहने की जगह बना सकते हैं ।

(2)–अभिसूचनाओं का एकत्रीकरण, विश्लेषण एवं संकलन कराना । अन्य राज्यों की अभिसूचना इकाईयों तथा केन्द्रीय एजेन्सियों आदि से समन्वय स्थापित करना ।

(3)–राज्य में किसी आतंकवादी ग्रुप की उपस्थिति/गतिविधि के सम्बन्ध में प्राप्त अभिसूचना पर कार्यवाही कराना एवं फालो–अप आपरेशन कराना । ऐसे आतंकवादी गुपों की मदद करने वाले एवं उनके शरण दताओं के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करना एवं कराना ।

(4)–ऐसे संगठित आतंकवादी तत्वों जिनके विदेशी अभिसूचना एजेन्सियों से सम्पर्क हैं कि गतिविधियों का अनुश्रवण करना ।

(5)–जाली मुद्रा, स्वचालित अग्नेयाश्त्रों, हवाला(मनीलाडरिंग) विस्फोटक पदार्थों की तस्करी करने वाले तत्वों से सम्पर्क रखने वाले माफिया तत्वों, आई0एस0आई0 एजेन्टों, आतंकवादी एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों को निस्प्रभावित करने हेतु उनके विरूद्ध कठोर एवं प्रभावी कानून कार्यवाही करना एवं अन्य पुलिस इकाईयों से सहयोग कर ऐसी कार्यवाही कराना ।

(6)–प्रदेश के अभिसूचना विभाग के सतत सम्पर्क में रहकर प्राप्त सूचना का अनुश्रवण तथा किसी विशेष जानकारी के प्राप्त होने पर अभिसूचना विभाग से सहयोग प्राप्त करना ।

(7) महत्वपूर्ण आतंकवादी धटनाओं की विवेचना एवं प्रचलित अभियोजन में सहयोग।

5.9– वर्ष 2010 में ए0टी0एस0 द्वारा की गयी गिरफ्तारी व बरामदगी का विवरण–

(1)– (दिनांक 13.01.2010)– दिनांक 11.01.2010 को नासिर पुत्र नसीर अहमद नि0 सदर कबाड़ी बाजार मेरठ द्वारा आई0एस0आई0 अफसरों को सूचना भेजने के संदर्भ में ए0टी0एस0 उ0प्र0 एवं एन0आई0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया था जिससे पूँछताछ से ज्ञात हुआ कि नासिर व उसका साथी मुकीम पुत्र मो0 नफीस यह सूचना एकत्र कर नासिर के माध्यम से पाकिस्तान भेजते थे । इस घटना में वांछित अन्य अभियुक्त मुकीम पुत्र मो0 नफीस निवासी मो0 याफ्तागंज, कस्बा व थाना नजीबाबाद जिला बिजनौर हाल पता स्लामपुर, गुड़गांव को दिनांक

13.01.2010 को 00.40 बजे गुड़गांव से ए0टी0एस0 उ0प्र0 व गुड़गांव पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया ।

मुकीम द्वारा दिल्ली में स्थिति भारतीय सेना के बारे में सूचना एकत्रकर नासिर को दी जाती थी । इसके पास से मोबाइल फोन तथा सिम इत्यादि बरामद किया गया है । मुकीम भी वर्ष 2009 में नासिर के साथ पाकिस्तान गया था ।

(2)– दिनांक 30.01.2010 को ए0टी0एस0 पश्चिम जोन के अन्तर्गत ए0टी0एस0 उप इकाई अलीगढ़ की टीम द्वारा 03 अभियुक्तों क्रमशः 1–दारासिंह पुत्र बीरी सिंह नि0 नरी थाना छाता, जनपद मथुरा , 2– महेश भंवर पुत्र ओम सिंह भंवर उर्फ धूम सिंह नि0 वारिया थाना गंधवानी जनपद धार म0प्र0 एवं 3– प्रकाश पुत्र रतन सिंह नि0 पैगांव थाना सेरगढ़ जनपद मथुरा को मय 02 अदद पिस्टल (जिन पर मेड इन इटली लिखा हुआ है) मय 01 अदद मोबाइल व अभियुक्त प्रकाश को मय 02 पिस्टल 02 अदद मोबाइल स्टेट बैंक एवं यूनियन बैंक की 04 अदद जमा पर्चियां जिनके सम्बन्ध में मध्य प्रदेश के खातों में नगद रूपया जमा होना बताया गया , को एन0एच0–2 सुच्चा होटल के पास से समय करीब 2–15 बजे दिन में गिरफ्तार किया गया ।

(3)– दिनांक 01.10.2010 को इण्डियन मुजाहिद्दीन के सकिय सदस्य सहजाद अहमद उर्फ पप्पूर उम्र 22 वर्ष नि0 रेहमान मंजिल, जालंधरी, सदर सिटी , आजमगढ़ उ0प्र0 जो दिनांक 13.09.2008 को दिल्ली में हुये श्रृंखलावद्ध बम बिस्फोटों में शामिल था को एटीएस द्वारा गिरफ्तार किया गया । इस आतंकी पर दिल्ली पुलिस द्वारा 05 लाख रूपयें का ईनाम घोषित किया गया था । यह आंतकी बटला हाउस दिल्ली में हुयी मुठभेड़ में भी वांछित था ।

(4)– दिनांक 05.03.2010 को इण्डियन मुजाहिद्दीन के सकिय सदस्य सलमान उर्फ छोटू उम्र 21 वर्ष नि0 आजमगढ़ जो दिनांक 13.09.2008 को दिल्ली में हुये श्रृंखलावद्ध बम बिस्फोटों में शामिल था । इस आंतकी पर दिल्ली पुलिस द्वारा एक लाख रूपये का ईनाम घोषित किया गया था ।

(5)– दिनांक 04.06.2010 को बढ़नी रेलवे स्टेशन के समीप थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थ नगर में कन्हईया लाल गुप्ता नि0 गगहा जनपद गोरखपुर हाल पता बरमैल टोल भैरहवां जिला रूपनदेही, नेपाल को एक लाख रूपये मूल्य की उच्च गुणवत्ता वाली भारतीय जाली करेन्सी के साथ ए0टी0एस0 गोरखपुर की टीम द्वारा पकड़ा गया । इस सम्बन्ध में थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थ नगर में मु0अ0सं0 471/10 धारा 489 बी/सी भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

(6)– दिनांक 20.07.2010 को ए0टी0एस0 इकाई वाराणसी इकाई/ जनपद इलाहाबाद पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त जितेन्द्र पाण्डेय पुत्र शम्भूनाथ पाण्डेय नि0 ग्राम बुदौना थाना नवाबगंज जनपद इलाहाबाद को गिरफ्तार किया गया जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा 50,000 रू0 घोषित किया गया था । यह अभियुक्त उ0प्र0 के कैबिनेट मंत्री श्री नन्दगोपाल गुप्ता उर्फ नन्दी के हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित था ।

(7)– दिनांक 25.09.2010 को ए0टी0एस0 लखनऊ द्वारा मुम्बई के कुख्यात गैंगस्टर एवं अण्डरवर्ड डान छोटाराजन के साथी मो0 असलम उर्फ शेरू कश्मीरी उर्फ मुक्तारूल हक पुत्र स्व0 मो0 फकीर नि0 चौकी मोहल्ला, कास लाइन सौर बिल्डिंग ग्राण्ड फ्लोर रूम न0 1,2,3 नागपाड़ मुम्बई 08 को चारबाग रेलवे स्टेशन रिजर्ववेशन कार्यालय के सामने से गिरफ्तार किया गया । उल्लेखनीय है कि इस कुख्यात अपराधी ने मुम्बाई में दो दर्जन से अधिक वारदातें की हैं और दुस्साहसिक तरीके से दर्जनों दुर्दान्त हत्यायें की हैं ।

(8)– दिनांक 20.10.2010 को समय लगभग 15.30 बजे ए0टी0एस0 उ0प्र0 लखनऊ व काइम ब्रांच अहमदाबाद द्वारा के0के0सी0 पेट्रोल पम्प थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ के पास से मक्का मस्जिद हैदराबाद ब्लास्ट की एनीवर्सरी पर कई पुलिस कर्मचारियों की हत्या करने वाले विकार

अहमद उर्फ अली खान उर्फ बाबर उर्फ यासीन निवासी हैदराबाद को कई शस्त्र (पिस्टल व रिवाल्वर) व कारतूस की बिक्री करने वाले व्यक्ति इजहार खान पुत्र शमसुद्दीन नि0 101/96 बैरूनीखन्दक माडल हाउस अमीनाबाद को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुयी ।

(9)– दिनांक 23.10.2010 को आतंकी संगठन बब्बर खालसा का शातिर अपराधी मक्खन सिंह उर्फ दयाल सिंह पुत्र श्री दीवान सिंह, निवासी ग्राम नूरपुर जट्टा, थाना गढ़शंकर, जिला होशियारपुर(पंजाब) को ए0टी0एस0 उ0प्र0 एवं जनपद खन्ना, पंजाब पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से रेलवे स्टेशन रोड, बढ़नी जनपद सिद्धार्थनगर के पास से गिरफ्तार करने में सराहनीय सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त मक्खन सिंह मु0अ0सं0 30/10 धारा 302/34 भारतीय दण्ड विधान, 25/54/59 शस्त्र अधिनियम थाना मोटयाना होशियारपुर पंजाब तथा मु0अ0सं0 163/09 धारा 4/5 विस्फोटक अधिनियम् थाना माछी वाड़ा जनपद खन्ना में वांछित था ।

10– दिनांक 09.12.2010 को समय लगभगत 15–15 बजे ए0टी0एस0, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा बॉगलादेश के जरिये कोलकाता के रास्ते नकली नोटों की सप्लाई के कार्य में लिप्त राकेश उर्फ नन्हे पुत्र स्व0 बहराइची निवासी ग्राम पकड़ी थाना पीपलपुर, जिला सुल्तानपुर एवं रामजस चौहान पुत्र श्री रामप्रसाद नि0 ग्राम सरांय खेमा थाना मुंशीगंज जनपद छत्रपति साहूजी महाराजनगर को सरदार पटेल डेंटल कालेज, के पास से गिरफ्तार किया गया व उनके कब्जे से 1,42,500/– रूपये मूल्य की जाली भारतीय मुद्रा के नोट , 1 अदद स्कूटर, दो अदद मोबाइल फोन एवं 4,650/–रूपये के असली भारतीय मुद्रा के नोट बरामद किये गये तथा इस सम्बन्ध में थाना एटीएस, उत्तर प्रदेश, लखनऊ पर मु0अ0सं0 4/10 धारा 489बी/489सी भादवि पंजीकृत कर अभियुक्तों का चालान न्यायालय किया गया ।

अध्याय–(7)

पुलिस प्रशिक्षण संस्थान

7.1– प्रदेश में सम्प्रति 01 पुलिस अकाडमी (डा0 भीमराव अम्बेडकर, पुलिस अकाडमी, मुरादाबाद) स्थापित है। उक्त के अतिरिक्त 6 पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित हैं :–

1. पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर
2. पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद
3. सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर
4. पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद
5. शहीद गुलाब सिंह लोधी, पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव
6. पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ

7.2– <u>प्रशिक्षण निदेशालय की कार्य पद्वति :–</u>

गोरे कमेटी की संस्तुत्त के अनुसार स्थापति पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय,उ0प्र0 की कार्य पद्वति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

(1) प्रदेश पुलिस के लगभग 2 लाख पुलिस बल के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना । इसके अर्न्तगत आधारभूत प्रशिक्षण विशेष प्रशिक्षण तथा नवीनीकरण प्रशिक्षण की व्यवस्थाा करना। गोरे कमेटी द्वारा उपलब्ध बल का 10 प्रतिशत प्रशिक्षण रिजर्व रखने की संस्तुति की गयी है

(2) प्रदेश के बाहर के प्रशिक्षण हेतु नामाकंन प्राप्त कर भेजना तथा नामित अधिकारियों को प्रशिक्षण में भिजवाने की कार्यवाही करना ।

(3) विदेश प्रशिक्षण हेतु अधिकारीगण का नामाकंन करके पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के माध्यम से उ0प्र0सरकार को भेजना तथा बी0पी0आर0 एण्ड डी से प्राप्तनामित/अनुमोदित अधिकारियों को प्रशिक्षण में भिजवाने की व्यवस्था करना।

(4) प्रदेश पुलिस में स्थापित 09 प्रशिक्षण संस्थानों तथा 31 अस्थाई रिकूट प्रशिक्षण केन्द्रों का पर्यवेक्षण/निरीक्षण करना ।

(5) प्रशिक्षण शाखा में नियुक्त अधिकारियों,कर्मचारियों का सामान्य प्रशासन सम्बंधी कार्य करना ।

(6) वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण पाठ्यकमों को तैयार करने सम्बंधी कार्यवाही करना तथा प्रचलित पाठ्यकमों में आवश्यकतानुसार संशोधन की कार्यवाही समिति /संस्थान प्रमुखों की मीटिंग कर समस्याओं का समाधान कर प्रयास करना ।

(7) पाठ्यकमानुसार प्रशिक्षण साहित्य तैयार कराना तथा प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों को उपलब्ध कराना ।

(8) पुलिस बल को आधुनिक स्वरूप प्रदान करने हेतु अस्त्र–शस्त्र विधि–कानून व नवीन नियमों से भिज्ञ व अभ्यस्त कराने सम्बंधी कार्यवाही करना। शासन को प्रस्ताव (संकलित कर) भिजवाना। फण्ड आबंटित होने पर उसका आवश्यकतानुसार सभी संस्थानों/केन्द्रों को वितरण करना ।

(9) प्रशिक्षण सुधार हेतु विभिन्न कार्यवाही कराना ।

7.3— उपलब्धियॉ :—

(1)— वर्ष 2010 में 14464 अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाया गया। अन 14464 में से प्रदेश के अन्दर संस्थान एवं आर0टी0सी0 में कुल 13832 तथा प्रदेश के बाहर 632 कर्मियों को प्रशिक्षण दिलाया गया ।

(2)— 14464 कर्मियों में से प्रदेश के बाहर के प्रशिक्षण संस्थानों में एन0एस0जी0 ट्रेनिंग सेन्टर मनेसर हरियाणा से आवंटन प्राप्त करके उ0प्र0 पुलिस/पीएसी के कुल 298 कर्मियों को प्रशिक्षण दिलाया गया इन 298 में पी0सी0आई0सी0/वी0आई0पी0 सिक्योरिटी/बम डिस्पोजल कोर्स हेतु 245 कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया, आर्मी से सम्पर्क करके उनसे काउण्टर आई0ई0डी0/नक्सल कोर्स हेतु सीट्स प्राप्त करके 178 कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसी प्रकार रीजनल ट्रेनिंग सेण्टर ग्रेहाउण्डस हैदराबाद से सीट्स प्राप्त करके 15 कर्मियों को प्रशिक्षण दिलाया गया।

7.4— 35000 रिकूट आरक्षियों की प्रशिक्षण व्यवस्था के संबंध में संक्षिप्त विवरण:—

(1) नव चयनित 35000 रिकूट आरक्षी दिनांक 10—2—2011 से कुल 102 प्रशिक्षण केन्द्र (09 प्रशिक्षण संस्थान, 63 जनपदीय एवं 30 प्रशिक्षण केन्द्र) में 09 माह के आधारभूत प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है।

(2) वर्तमान में कुल 34084 रिकूट आरक्षी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं जिनमें 5325 सीधी भर्ती एवं 41मृतक आश्रित महिला रिकूट आरक्षी एवं 28509 सीधी भर्ती के रिकूट आरक्षी पुरूष एवं 369 मृतक आश्रित रि0आ0 पुरूष सम्मिलित हैं।

(3) 06 प्रशिक्षण संस्थान एवं 02 जनपदीय व 02 पीएसी वाहिनी प्रशिक्षण केन्द्र (कुल 10 प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र) में महिला रिकूट आरक्षी एवं शेष 92(03 प्रशिक्षण संस्थान, 61जनपदीय एवं 28 पीएसी प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण प्रचलित है।

(4) शासन द्वारा 66 बैरक (मय बंकबेड), 108 कक्षायें,114 मेस, 149 शौचालय/बाथरूम एवं 4666 बंकबेड एवं पानी हेतु रू0 133 लाख स्वीकृत किया गया। यह कार्य उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम व्दारा सम्पादित कराये जा रहे हैं। 17 स्थलों पर अभी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है जिनमें अधिकांश स्थलों पर दिनांक 31—3—2011 तक कार्य पूर्ण होने की संभावना है।

अध्याय–(8)

सतर्कता अधिष्ठान

8.1– उत्तर प्रदेश शासन जनता को स्वच्छ प्रशासन देने लोक सेवकों में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने तथा उनके विरूद्ध कदाचार, अनाचार तथा भ्रष्टाचार की शिकायतों में कठोर कार्यवाही करने हेतु प्रतिबद्ध है । इस दिशा में उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

8.2– सतर्कता अधिष्ठान को दो महत्वपूर्ण मामलों में मा0 उच्च न्यायालय ने समयबद्ध जांच के आदेश दिये गये, जिसे प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय में पूर्णकर आख्या न्यायालय को प्रेषित किया गया ।

8.3– वर्ष 2010 में ही सतर्कता अधिष्ठान द्वारा 37 लोकसेवकों के विरूद्ध आरोप पत्र सम्बन्धित न्यायालयों में दाखिल किये गये । इसी अवधि में 18 मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किये गये जिनमें से 06 मामलों में अभियुक्तों को सजा दी गयी ।

8.4– सतर्कता अधिष्ठान अपने सीमित साधनों के बावजूद भ्रष्टाचार उन्मूलन दिशा में सतत प्रयत्नशील है ।

8.5– जॉच

वर्ष के आरम्भ में लम्बित जांचों की संख्या	वर्ष में प्राप्त जाचों की संख्या	वर्ष में निस्तारित जॉचों की संख्या		शेष जॉचों की संख्या
		आरोप प्रमाणित	आरोप अप्रमाणित	
1	2	3	4	5
333	137	98	64	308

8.6– विवेचना

वर्ष के आरम्भ में लम्बित विवेचनाओं की संख्या	वर्ष में प्राप्त विवेचनाओं की संख्या	वर्ष में निस्तारित विवेचनाओं की संख्या		शेष विवेचनाओं की संख्या
		आरोप प्रमाणित	आरोप अप्रमाणित	
1	2	3	4	5
114	34	54	09	85

अध्याय–(9)

अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग

9.1–इकाई की संरचना

वर्ष 1958 में शासनादेश संख्या 3177/आठ–302/58 दिनांक 23 अगस्त, 1958 के द्वारा स्पेशल ब्रान्च एवं स्थानीय अभिसूचना विभाग को मिला कर अभिसूचना विभाग का गठन किया गया एवं अनुसंधान शाखा, राज्य अपराध सूचना केन्द्र, फिंगर प्रिंट ब्यूरो एवं साइन्टिफिक सेक्सन को मिला कर अपराध अनुसन्धान विभाग का गठन किया गया। अपराध अनुसन्धान विभाग, उत्तर प्रदेश की एक विशिष्ट एवं शीर्षस्थ जांच संस्था है, जिसको प्रदेश में घटित संवेदनशील महत्वपूर्ण एवं बहुचर्चित प्रकरणों की जांच/विवेचनायें शासन द्वारा अभिदिष्ट की जाती है। इसकी विवेचनाये वर्तमान में शासन के गृह विभाग द्वारा सौपी जाती है। वर्तमान समय में अपराध अनुसन्धान विभाग में विभागाध्यक्ष के पद पर अपर पुलिस महानिदेशक पद के अधिकारी नियुक्त हैं

9.2– अपराध शाखा, अपराध अनुसन्धान विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत निम्नलिखित इकाईयां कार्यरत हैं:–

1–अपराध शाखा
2–महिला सहायता प्रकोष्ठ
3–परिवार परामर्श केन्द्र
4–नारकोटिक्स सेल
5–संगठित अपराध अभिसूचना इकाई(ओ0सी0आई0एस0)
6–श्वानदल

अपराध शाखा, अपराध अनुसन्धान विभाग के प्रदेश में 8 अपराध शाखा के खण्ड कार्यालय लखनऊ, कानपुर, बरेली, मेरठ, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर एवं इलाहाबाद में है। इसके अतिरिक्त एक केन्द्रीय खण्ड (सी0आई0एस0)कार्यालय लखनऊ में कार्यरत है।

अपर पुलिस महानिदेशक,अपराध शाखा,अपराध अनुसन्धान विभाग इस संस्था में सर्वोच्च अधिकारी है, संस्था के सम्पूर्ण कियाकलापों का पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन उनके द्वारा किया जाता है। किसी भी प्रकरण की विवेचना/जांच किसी खण्ड कार्यालय/अधिकारी द्वारा की जानी है, का निर्णय भी अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा लिया जाता है। विवेचना /जांचों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु अपर पुलिस महानिदेशक,पुलिस महानिरीक्षक,पुलिस उपमहानिरीक्षक,पुलिस अधीक्षक,अपर पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक द्वारा क्रमबद्व तरीके से कुशलपर्यवेक्षण प्रदान किया जाता है। वर्तमान में एक वर्ष में इस विभाग में नियुक्त पुलिस उपाधीक्षकें को 03 जांच/विवेचनाये तथा निरीक्षक को 04 जांच/विवेचनायें निस्तारित करने का मानक निर्धारित है।

9.3–किया कलाप/उपलब्धियां

अपराध शाखा,अपराध अहनुसन्धान विभाग,उ0प्र0में दिनांक 1/1/2010 में कुल 122 प्रकरण जांच/विवेचना/चेकअप हेतु लम्बित थे। वर्ष 2010 में कुल 494 प्रकरण जॉच/ विवेचना/ चेकअप हेतु प्राप्त हुये। इस विभाग में 184 निरीक्षकों व 42 पुलिस उपाधीक्षकों का नियतन है, जिसके सापेक्ष में वर्ष 2010 में 91 निरीक्षकों व मात्र 7 पुलिस उपाधीक्षकों की औसत नियुक्ति रही है। वर्ष 2010 में महाकुम्भ मेला हरिद्वार, सहारनपुर मुरादाबाद में दिनांक 01–01–2010 से 18–04–2010 तक 2 पु0उपा0 व 19 निरीक्षक, रामजन्म भूमि अयोध्या में दिनांक 15–09–2010 से 04–10–2010 तक 4 पु0उपा0 व 46 निरीक्षक तथा पंचायत चुनावों में दिनांक

08–10–2010 से 25–10–2010 तक 2 पु0उपा0 व 44 निरीक्षक कानून व्यवस्था डियूटी में सम्बद्ध रहे।

वर्ष 2010 में 350 जांच/विवेचनाओं/चेकअप का निस्तारण किया गया वर्ष के अन्त में दिनांक 31/12/2010 को जांच/विवेचना हेतु मात्र 266 प्रकरण शेष रहे। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010 में मुख्यतः पुरानी जांच/विवेचनाओं के निस्तारण, अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं लम्बित अनुवर्ती कार्यवाहियों के निस्तारण हेतु अभियान चलाया गया, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2010 में 261 अभियुक्तों के विरूद्ध गिरफ्तारी आदि की कार्यवाहियां पूर्ण करके सक्षम न्यायालयों में आरोप पत्र प्रेषित किये गये तथा 318 प्रकरणों में अनुवर्ती कार्यवाहियां पूर्ण करायी गयीं, जो अपने में एक उपलब्धी है।

वर्ष 2010 में मुख्य लक्ष्य यह रखा गया था कि अपराध शाखा की विलम्ब से निस्तारण की छवि को समाप्त किया जाय। फलस्वरूप अभियान चलाकर लम्बे समय से लम्बित पड़ी हुई जांच/विवेचनाओं का निस्तारण कराया गया। जिसके फलस्वरूप वर्ष 2008 की मात्र 1 एवं वर्ष 2009 की 14 जांच/विवेचनायें वर्ष के अन्त में लम्बित रह गयीं हैं जिनका भी निस्तारण शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है।

अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग की जांच/विवेचनाओं में दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति सम्बन्धी 142 प्रकरण वर्ष 2010 के प्रारम्भ में लम्बित थे। वर्ष 2010 में 56 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति शासन से प्राप्त हुयी। वर्ष 2010 में 17 प्रकरण अभियोजन स्वीकृति हेतु और भेजे गये। इस प्रकार दिनॉक 1–1–2011 को 103 प्रकरण अभियोजन स्वीकृति हेतु शासन/सक्षम प्राधिकारी के यहां लम्बित हैं।

अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग के गत पॉच वर्षों में विभिन्न न्यायालयों में निर्णीत अभियोगों की सूचना निम्नवत हैः–

क्रम	वर्ष	सजा	सजा का प्रतिशत	दोषमुक्त	दोषमुक्त का प्रतिषत	योग
1–	2006	67	32.21	141	67.79	208
2–	2007	62	21.75	223	78.25	285
3–	2008	56	22.13	197	77.87	253
4–	2009	51	25.75	147	74.25	198
5–	2010	41	28.05	105	71.95	146

9.4– अपराध शाखा, अपराध अनुसंधन विभाग उ0प्र0 द्वारा सम्पादित/निस्तारित जॉच/विवेचनाओं का विगत पॉच वर्षों का तुलनात्मक विवरणः–

(1)–जॉच

वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित जांचों की संख्या	वर्ष में प्राप्त जांचों की संख्या	वर्ष में निस्तारित जांचों की संख्या		वर्ष में स्थानीय पुलिस/ अन्य इकाईयों को स्थानान्तरित जांचों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित जांचों की संख्या
			आरोप प्रमाणित	आरोप अप्रमाणित		
2006	83	94	54	34	37	52
2007	52	190	55	165	00	22
2008	22	90	36	48	00	28

2009	28	66	25	56	00	13
2010	13	97	28	24	00	58

(2)–विवेचना

वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित विवेचनाओं की संख्या	वर्ष में प्राप्त विवेचनाओं की संख्या	वर्ष में निस्तारित विवेचनाओं की संख्या		वर्ष में स्थानीय पुलिस/ अन्य इकाईयों को स्थानान्तरित विवेचनाओं की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित विवेचनाओं की संख्या
			आरोप प्रमाणित	आरोप अप्रमाणित		
2006	289	1037	773	209	59	285
2007	285	1570	1183	516	02	154
2008	154	498	248	246	02	156
2009	156	305	192	160	01	108
2010	108	392	139	145	08	208

अध्याय–(10)

तकनीकी सेवायें

10–विधि विज्ञान प्रयोगशाला,उत्तर प्रदेश

10.1– इकाई का संक्षिप्त इतिहास

स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1953 में वैज्ञानिक शाखा, इलाहाबाद से लखनऊ स्थानान्तरित की गयी एवं वर्ष 1954 में पुनः वर्ष 1945 के प्रस्ताव की तरह ही रासायनिक परीक्षक प्रयोगशाला,आगरा एवं वैज्ञानिक शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, लखनऊ को एकीकृत कर उत्तर प्रदेश में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। वर्ष 1956 में प्रयोगशाला के लिए लखनऊ में भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया। प्रयोगशाला भवन वर्ष 1959 के आरम्भ में बनकर तैयार हुआ तत्पश्चात् यह वैज्ञानिक शाखा, अपराध अनुसन्धान विभाग के नाम से कार्यरत थी।

शासनादेश संख्या:297/छ–782/67, दिनांक 27.2.1969 द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश की स्थापना की गयी। उक्त शासनादेश द्वारा निम्नलिखित अनुभागों की स्वीकृति प्रदान की गयी:–

1–बायलोजिकल सेक्शन	2–केमिकल सेक्शन
3–फिजिकल सेक्शन	4–बैलिस्टिक सेक्शन
5–क्यूश्चण्ड डाकुमेन्ट्स सेक्शन	6–फोटोग्रैफिक सेक्शन

उक्त शासनादेश में यह प्रावधान किया गया कि सभी अराजपत्रित पदों के नियुक्ति प्राधिकारी, निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश होंगे। ज्यों–ज्यों विधि विज्ञान प्रयोगशाला,उ0प्र0 के सिविलियन पद भरे जायेंगे वैज्ञानिक शाखा के अस्थाई पद समाप्त हो जायेगे और स्थाई होने की दशा में आस्थगन में रख दिये जायेंगे।

शासनादेश संख्याः 6432/आठ–9–2(10)/77, दिनांक 16 नवम्बर,1979 द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं रासायनिक परीक्षक एवं लसीकाविद प्रयोगशाला, आगरा का एकीकरण किया गया। एकीकरण के शासनादेश में निम्नलिखित अनुभाग स्वीकृत किये गये:

1–भौतिक अनुभाग	2–रसायनिक अनुभाग
3–जीव विज्ञान अनुभाग	4–विष विज्ञान अनुभाग
5–लसीका विज्ञान अनुभाग	6–हस्तलेख अनुभाग
7–आग्नेयास्त्र अनुभाग	

इस शासनादेश में वाराणसी में भी एक संहत, सर्वांगपूर्ण विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना का निर्णय लिया गया।

10.2– फील्ड यूनिट्स की स्थापना:

घटनास्थल से भौतिक साक्ष्यों/प्रदर्शो को एकत्र करने में विवेचनाधिकारी की सहायता के लिए तत्कालीन वैज्ञानिक शाखा,सी0आई0डी0 में 1 फील्ड यूनिट की स्थापना के लिए शासन द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर,1960 स्वीकृति प्रदान की गयी थी। प्रायोगिक तौर पर वर्ष 1960 में लखनऊ में स्थापित फील्ड यूनिट वैज्ञानिक विधि से घटना स्थलों के निरीक्षण के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई। वर्ष 1968 में शासन द्वारा मेरठ, आगरा, इलाहाबाद, झांसी, फैजाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, मुरादाबाद तथा कानपुर में 10 अन्य फील्ड यूनिटें स्थापित की गयीं।

प्रत्येक जनपद में वायरलेस आदि से सुसज्जित फील्ड यूनिट्स स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया और शासनादेश संख्याः5018/8–10–88–2(1)/88, दिनांक 16.12.1988 द्वारा फील्ड यूनिट्स के लिए 234 पदों का सृजन किया गया।

10.3– वाराणसी प्रयोगशाला की स्थापनाः

वाराणसी प्रयोगशाला की स्थापना का निर्णय वर्ष 1979 में लिया गया था। जिसकी स्थापना 36वीं वाहिनी पी0ए0सी0परिसर, रामनगर, वाराणसी में वर्ष 2002 में आरंभ की गयी है। वाराणसी प्रयोगशाला हेतु प्रस्तावित 253 पदों में से 59 पदों की स्वीकृति शासनादेश संख्याः1472/छः–पु0–9–2004–2(1)/98 दिनॉक 3–9–2004 द्वारा प्रदान की गयी। वाराणसी प्रयोगशाला हेतु 7 अनुभाग स्वीकृत है। निर्मित भवन में स्थानाभाव होने के कारण दिनांक 09.12.2005 से निम्न 03 अनुभाग में विधिवत् कार्य प्रारम्भ कर दिया गया हैः 1– भौतिक अनुभाग, 2–रसायन अनुभाग, 3–प्रलेख अनुभाग इसके अतिरिक्त सीरोलोजी एवं बायोलोजी अनुभागों के प्रदर्शो का परीक्षण दिनॉक 1.12.2009 से पुलिस लाइन, वाराणसी में स्थित प्रयोगशाला(फील्ड यूनिट भवन) में प्रारंभ हो रहा है।

10.4– नयी शाखा/यूनिट का गठनः–

पुलिस बल के सुदृढ़ीकरण योजना में केन्द्रीय सहायता से विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश के विस्तार एवं साज सज्जा के अन्तर्गत शासनादेश संख्याः 5606/आठ–9–2(13)/76, दिनांक 8.11.1985 द्वारा विस्फोटक अनुभाग का सृजन किया गया।

शासनादेश संख्याः3866/6–पु0–10–90–2(2)/86, दिनांक 17 नवम्बर,1990 द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त अनुभागों का सृजन किया गया :

क– लाई डिटेक्शन अनुभाग (लखनऊ प्रयोगशाला)
ख– मेडिकोलीगल अनुभाग (लखनऊ प्रयोगशाला)
ग– उपकरणीय विश्लेषण अनुभाग (लखनऊ/आगरा प्रयोगशाला)

11– विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश की इकाईयों में स्थापित/ प्रस्तावित अनुभागों का विवरणः

लखनऊ प्रयोगशाला	आगरा प्रयोगशाला	वाराणसी प्रयोगशाला
1– हस्तलेख अनुभाग	1– हस्तलेख अनुभाग	1–हस्तलेख अनुभाग
2– आग्नेयास्त्र अनुभाग	2– आग्नेयास्त्र अनुभाग	⊗2–आग्नेयास्त्र अनुभाग
3– भौतिक अनुभाग	3– भौतिक अनुभाग	3–भौतिक अनुभाग
4– रसायन अनुभाग	4– रसायन अनुभाग	4–रसायन अनुभाग
5– जीव विज्ञान अनुभाग	5– जीव विज्ञान अनुभाग	5– जीव अनुभाग
6– विष विज्ञान अनुभाग	6– विष विज्ञान अनुभाग	⊗6– विष अनुभाग
7– सीरम अनुभाग	7– सीरम अनुभाग	7– सीरम अनुभाग
8– उपकरणीय विश्लेषण अनुभाग,	8– उपकरणीय विश्लेषण अनुभाग	
⊗9– मेडिकोलीगल अनुभाग,	9– विस्फोटक अनुभाग	
⊗10–लाई डिटेक्शन अनुभाग		
⊗11–डी0एन0ए0 इकाई		

⊗ इन अनुभागों की स्थापना सम्बन्धी कार्यवाही प्रचलित है।

12–विधि विज्ञान प्रयोगशाला,उ0प्र0 द्वारा वर्ष 2010 में निस्तारित मामलों का विवरणः–

वर्ष	अग्रेनीत मामले	प्राप्त मामले	निस्तारित मामले	अनिस्तारित
2010	5626	27162	26171	6617

12.1–लखनऊ प्रयोगशाला में वर्ष 2010 में अनुभागवार प्राप्त, निस्तारित एवं अनिस्तारित अभियोगों का विवरण

अनुभाग	अग्रेनीत मामले	प्राप्त मामले	निस्तारित मामले	अनिस्तारित
1–हस्तलेख अनुभाग	7	301	286	22
2–भौतिक अनुभाग	24	441	427	38
3–रसायन अनुभाग	618	4346	4955	9
4–आग्नेयास्त्र अनुभाग	72	763	659	178
5–सीरम विज्ञान अनुभाग	497	852	1176	173
6–जीव विज्ञान अनुभाग	45	552	352	245
7–विष विज्ञान अनुभाग	253	1693	1267	679
योग	**1516**	**8948**	**9122**	**1342**

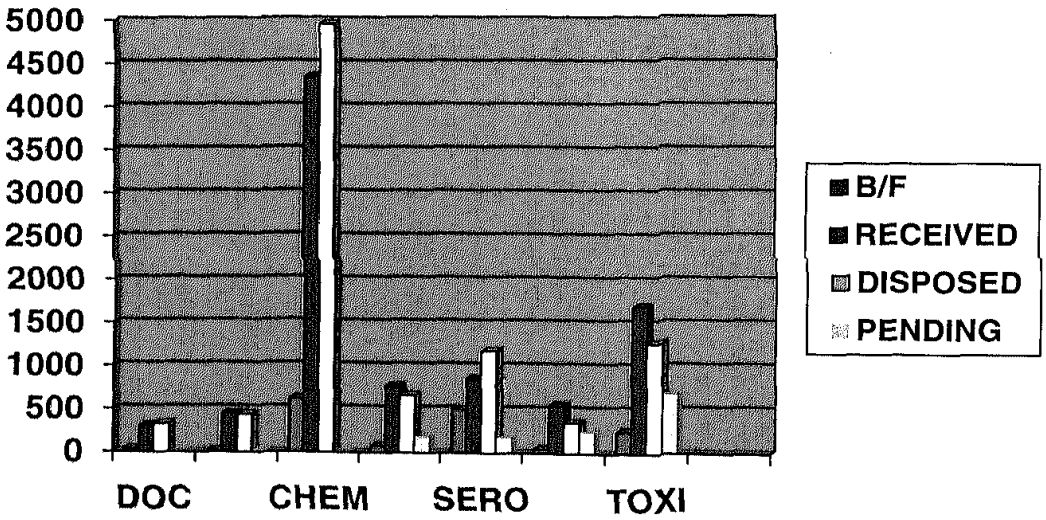

12.2–आगरा प्रयोगशाला में वर्ष 2010 में अनुभागवार प्राप्त, निस्तारित एवं अनिस्तारित अभियोगों का विवरण

अनुभाग	अग्रेनीत मामले	प्राप्त मामले	निस्तारित मामले	अनिस्तारित
1–हस्तलेख अनुभाग	13	172	178	7
2–भौतिक अनुभाग	35	393	298	130
3–रसायन अनुभाग	1721	6967	7205	1483
4–आग्नेयास्त्र अनुभाग	219	1043	799	463
5– सीरम विज्ञान अनुभाग	896	1339	1483	752
6–जीव विज्ञान अनुभाग	52	836	432	456

7–विष विज्ञान अनुभाग	543	1216	810	949
8– विस्फोटक अनुभाग केवल आगरा प्रयो0	167	1162	1151	178
योग	**3646**	**13128**	**12356**	**4418**

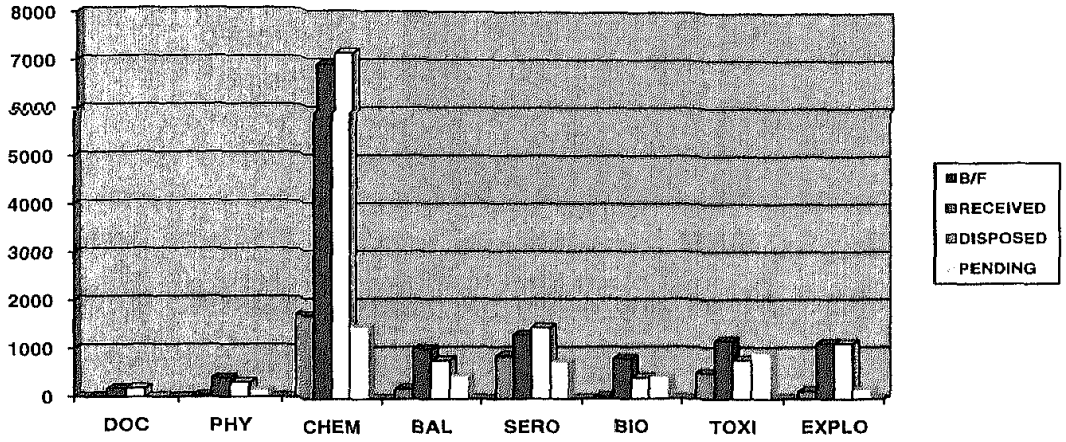

12.3–वाराणसी प्रयोगशाला में वर्ष 2010 में अनुभागवार प्राप्त, निस्तारित एवं अनिस्तारित अभियोगों का विवरण

अनुभाग	अग्रेनीत मामले	प्राप्त मामले	निस्तारित मामले	अनिस्तारित
हस्तलेख	–	124	117	7
भौतिक अनुभाग	–	79	76	3
रसायन अनुभाग	410	4367	4190	617
जीव विज्ञान	05	183	79	109
सीरम विज्ञान	19	333	231	121
योग	**464**	**5086**	**4693**	**857**

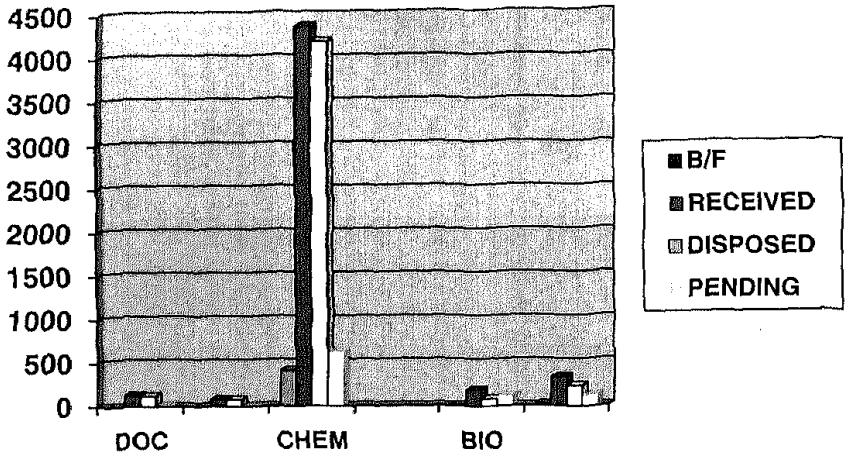

12-4: फील्ड यूनिट्स द्वारा वर्ष 2010 में किये गये घटनास्थलों के निरीक्षण का विवरणः–

क्रम संख्या	वर्ष	घटनास्थल निरीक्षण
1	2010	6271

13. विशिष्ट उपलब्धियां

13.1 डी0एन0ए0इकाईः–

आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत डी0एन0ए0 लैब की स्थापना हेतु स्वदेशी उपकरणों को क्रय किया गया। डीएनए लैब हेतु अलग से पदों के सृजन का संशोधित प्रस्ताव पुनः तकनीकी सेवायें मुख्यालय को इस कार्यालय के पत्र संख्या–एफएसएल–1/2009 दिनॉक 01.10.2009 प्रेषित किया जा चुका है। प्रस्तावित पदों के सृजन हो जाने से प्रदेश की बाहर की प्रयोगशालाओं में भेजने की आवश्यकता नहीं होगी।

13.2 आधुनिक तकनीकी अनुभागः–

कम्प्यूटर फोरेंसिक, ब्रेन मैपिंग, नारकोनालसिस, फोरेंसिक एकौस्टिक अनुभाग के पदों के सृजन का संशोधित प्रस्ताव तकनीकी सेवायें मुख्यालय को इस कार्यालय के पत्र संख्या–एफएसएल–1/2009 दिनांक 01.10.2009 द्वारा भेजा गया जो तकनीकी सेवायें मुख्यालय द्वारा शासन के संदर्भित किया गया है जिससे सृजन होने से इन अनुभागों से सम्बधित मामलों का भी परीक्षण के लिए प्रदेश से बाहर प्रयोगशाला को भेजने की आवश्यकता नही होगी।

13.3 परिक्षेत्र स्तर पर वर्कशाप का आयोजनः–

अभियोजन निदेशालय,उ0प्र0,लखनऊ द्वारा अभियोजन अधिकारियों हेतु दिनांक जुलाई 2010 में विधि विज्ञान विषयों पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में विधि विज्ञान प्रयोगशाला,उ0प्र0, लखनऊ के अधिकारियों/वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण/व्याख्यान दिया गया।

13.4 आल इण्डियां पुलिस ड्यूटी मीट वर्ष 2010–

54वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटीमीट वैज्ञानिक अनुसंधान एवं पुलिस फोटोग्राफी प्रतियोगिता दिनॉक 7.2.2011 से 12.2.2011 तक जयपुर राजस्थान में आयोजित हुई। उक्त प्रतियोगिता के

हुलिया बयान विषय में जनपद लखनऊ में तैनात मुख्य आरक्षी श्री धमेन्द्र कुमार मिश्र ने तृतीय स्थान प्राप्त पर 'कांस्य पदक' प्राप्त करके उ0प्र0 पुलिस बल गौरव बढ़ाया।

14—पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र

14.1 इकाई का संक्षिप्त इतिहास

(अ) सृजन का प्रारम्भिक विवरण

अपराध एवं अपराधियों से सम्बन्धित अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण हेतु उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या:211/आठ—10—57/76 दिनांक 2.2.79 द्वारा नयूक्लियस सेल का गठन किया गया। न्यूक्लियस सेल का कार्यालय सरकारी भवन उपलब्ध न होने के कारण किराये के भवन में अधिष्ठापित रहा। वर्ष 1983 में शासन द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र की स्थापना हेतु जवाहर भवन ,प्रथम तल में कक्ष संख्या—115 से 118 तक (कक्ष संख्या—118का आधा हिस्सा वक्फ बोर्ड कार्यालय को आवंटित किया गया है) तथा चतुर्थ तल के कक्ष संख्या 401 से 424 तक आवंटित किया गया है। शासन द्वारा आवंटित भवन में कम्प्यूटर एवं उसके सहवर्ती उपकरणों की स्थापना हेतु साइट प्रिप्रेशन का कार्य वर्ष 1984 में प्रारम्भ किया गया तथा वर्ष 1986 में टीडीसी—316 कम्प्यूटर की स्थापना चतुर्थ तल, जवाहर भवन में की गयी।

(ब) नई शाखा /यूनिट का गठन (क्रमवार)

अपराध एवं अपराधियों से सम्बन्धित सूचना का संचय कम्प्यूटर में डायरेक्ट्रेट आफ कोडीनेशन पुलिस कम्प्यूटर्स (डीसीपीसी),नई दिल्ली (अब राष्ट्रीय अपराध अभिलेख व्यूरो,नई दिल्ली) द्वारा विकसित प्रणाली की सहायता से चुने गये 17 अपराध शीर्षकों से सम्बन्धित अपराध एवं उनमें लिप्त अपराधियों से सम्बन्धित सूचना एकत्र कर कम्प्यूटर पर डाटाबेस तैयार किया गया। यह प्रणाली प्रदेश में वर्ष 1991 तक क्रियाशील रही परन्तु कम्प्यूटर निर्माता फर्म मेसर्स इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन आफ इण्डिया लि0 (ECIL) हैदराबाद के इंजीनियरों द्वारा मशीनों के अनुरक्षण हेतु पर्याप्त पुर्जे न मिलने के फलस्वरूप मशीन का अनुरक्षण करना बन्द कर दिया।

टीडीसी—316 कम्प्यूटर परसंचित सूचना राष्ट्रीय अपराध अभिलेख व्यूरो के विशेषज्ञों द्वारा सीसीआईएस योजनाके अन्तर्गत वर्ष 1994—95 में आपूर्ति किये गये एचपी—9000 (मेनफ्रेम कम्प्यूटर) पर स्थानान्तरित की गयी तथा वर्ष 2001 में अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें के आदेशानुसार सीसीआईएस प्रणाली के क्रियान्वयन का दायित्व उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र से स्थानान्तरित कर राज्य अपराध अभिलेख व्यूरो ,लखनऊ को सौंपा

गया। वर्तमान में सीसीआईएस योजना के कियान्वयन के अतिरिक्त कम्प्यूटरीकण से सम्बन्धित अन्य सभी कार्य यथा एप्लीकेशन साफ्टवेयर का विकास तथा उत्तर प्रदेश सहित उत्तरी भारत के 10 राज्यों के पुलिस कर्मियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र द्वारा सम्पादित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सी0सी0टी0एन0एस0 योजना के प्रभावी कियान्वयन का कार्य भी सम्पादित किया जा रहा है।

14.2 प्रशासनिक ढांचा

वर्ष 1980 में पुलिस विभाग की कम्प्यूटरीकरण योजना से सम्बन्धित प्रोजेक्ट रिपोर्ट उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित की गयी थी। रिपोर्ट में विभागीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए शासन से कतिपय पदों की मांग की गयी थी जिस पर शासन ने विचारोपरान्त अलग–अलग चरणों में विभिन्न पदों को सृजित किया गया है। सेवा नियमावली के अभाव में पदो के सृजन के समय खुले बाजार से कम्प्यूटर तकनीक में प्रशिक्षित कर्मियों को नियुक्त करना सम्भव नहीं था इसलिए प्रदेश के कम्प्यूटरीकरण योजना के कियान्वित करने हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षित कर्मियों को केन्द्रीय पुलिस बलों ,उत्तर प्रदेश पुलिस की अन्य इकाइयों यथा लिपिक संवर्ग, रेडियो शाखा तथा सशस्त्र पुलिस आदि से प्रतिनियुक्ति के आधार पर लिया गया था ताकि कम्प्यूटरीकरण के कार्य को प्रदेश में गतिशीलता प्रदान की जा सके। प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्ति के उपरान्त कतिपय कर्मियों को उनके पैतृक विभागों को प्रत्यावर्तित किया गया परन्तु कुछ अधिकारी एवं कर्मचारी उक्त योजना के क्रियान्वयन में लगातार पूर्ण मनोयोग से यथावत योगदान देते रहे। उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारीवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली 2002 उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्याः3730/6 –पु–10–2002 दिनांक 31.12.2002 द्वारा प्रख्यापन के उपरान्त कतिपय कर्मियों को नियमावली में निहित निदेशानुसार स्वेच्छा से प्रोग्रामर/निरीक्षक (कम्प्यूटर)/ सहायक प्रोग्रामर/उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) एवं कन्सोल आपरेटर/ हे0कां0 (कम्प्यूटर) के पद पर आमेलित किया गया एवं वर्ष 2007–08 में सीधी भर्ती के रिक्त वैकलाग के आरक्षित पदों को भरा गया।

14.3 प्रशिक्षण

क्रमांक	कोर्स का नाम	प्रशिक्षित कर्मियों की संख्या
1	रेगुलर ट्रेनिंग आन बेसिक आई0सी0टी0(टीओटी)	**297**
2	सीआर–4	**177**
3	आईटी बेसिक फार ट्यूशन मोड–3	**89**
4	आईटी बेसिक फार एडवांस यूर्जस	**158**
5	कम्प्यूटर ओरियन्टेशन	**216**
6	पी0सी0 हार्डवेयर ट्रबर्ल शूटिंग/ नेटवर्किंग	**153**
7	आई0टी0 बेसिक–2	**88**
8	साइबर काइम	**16**
9	बेव इनेबिल नामिनल रोल	**74**
	योग	**1268**

14.4 कार्य निस्तारण

(1) यूनिट के मुख्य कार्य–

1. साफ्टवेयर का विकास

विभाग के लिए मुख्य रूप से निम्नांकित उपयोगी साफ्टवेयर्स का विकास उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र द्वारा किया गया है। जिसका प्रयोग जनपदों/इकाइयों द्वारा विवेचना में गुणवत्ता लाने एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों के सम्पादन हेतु किया जा रहा है।

क0सं0	साफ्टवेयर्स	वर्तमान स्तर
1	व्यक्तिगत सूचना प्रणाली (राजपत्रित अधिकारी)	डीजीपी आफिस/उ0प्र0पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र/ गृह विभाग
2	वाहन समन्वय प्रणाली लेन पर आधारित	राज्य अपराध अभिलेख व्यूरो
3	शस्त्र समन्वय प्रणाली लेन पर आधारित	राज्य अपराध अभिलेख व्यूरो
4	आर्थिक अपराध इकाई केसेज मानीटरिंग प्रणाली हिन्दी	आर्थिक अपराध शाखा
5	आफिस मानीटरिंग प्रणाली हिन्दी	पुलिस महानिदेशक मुख्यालय
6	डाक डिस्पैच रिसीट प्रणाली हिन्दी	उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र
7	शिकायत मानीटरिंग प्रणाली हिन्दी	पुलिस महानिदेशक मुख्यालय
8	मानवाधिकार प्रणाली हिन्दी	मानवाधिकार मुख्यालय
9	प्रशिक्षण सूचना प्रणाली	उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र
10	पुलिस मोटर वाहन प्रणाली	पुलिस मुख्यालय
11	पाक्षिक अपराध आख्या(एफसीआर प्रणाली)	समस्त परिक्षेत्र तथा जनपदों में
12	एस0आर0केसेज प्रणाली हिन्दी लेन इनेबिल्ड की जा रही है	समस्त जनपदों में
13	पे रोल सिस्टम	समस्त इकाई/ जनपद
14	ट्रेफिक चालान सिस्टम	लखनऊ, मेरठ,गाजियाबाद ,मुरादाबाद वाराणसी व इलाहाबाद
15	माफिया सूचना प्रणाली हिन्दी लेन इनेबिल्ड की जा रही है।	समस्त जनपद
16	फोन डायरेक्टरी प्रणाली	समस्त जनपद/इकाई
17	पुस्तकालय प्रणाली लेन इनेबिल्ड की जा रही है	समस्त जनपद/इकाई
18	थाना मैनेजमेंट प्रणाली हिन्दी केवल लखनऊ में	लखनऊ के सभी थाने

इसके अतिरिक्त निम्न साफ्टवेयर का विकास/संशोधन उच्च अधिकारीगण के निर्देशानुसार किया जा रहा है:–

1. पी0पी0एस0 अधिकारियों की ट्रेनिंग ,एसीआर इत्यादि नयी रिपोर्ट बनाने हेतु संशोधन।
2. पुलिस बेरीफिकेशन सिस्टम का विकास
3. पीएमटी साफ्टवेयर का विकास
4. आरमरी सिस्टम साफ्टवेयर का विकास
5. पी0ए0सी0 डिप्लायमेंट सिस्टम

2. उत्तर प्रदेश पुलिस वेबसाइट

पुलिस आधुनिकीकरण की दिशा में निरन्तर प्रगति करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रचलित वेबसाइट **"http://uppolice.up.nic.in/"** को अधिक जन सामान्य के लाभार्थ उन्नत किया गया है। वर्तमान वेबसाइट को अधिक लोकप्रिय बनाने हेतु नवीन कलर प्रणाली का उपयोग किया गया है। वर्तमान वेबसाइट पर निरन्तर जन सामान्य द्वारा शिकायतें, गोपनीय सूचनायें व अन्य पुलिसिंग हेतु लाभप्रद सूचनाओं को प्राप्त कर पुलिस महानिदेशक के लोक शिकायत कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जाता है। पुलिस विभाग की समस्त इकाइयों के गठन ,कार्यशैली ,कृत कार्यवाहियां ,पता, टेलीफोन नम्बर एवं ई–मेल पते की जानकारी वेबसाइट पर सुविधानुसार उपलब्ध है। पुलिस विभाग की विभिन्न इकाइयों के टेण्डरों को वेबसाइट पर निरन्तर प्रकाशित किया जाता है। पुलिस विभाग में अपराध नियंत्रण ,घटना स्थल निरीक्षण एवं विवेचना को अत्यधिक कियाशील बनाने हेतु विस्तृत विवरण एवं सूचनाओं का संकलन उपलब्ध है। जन सामान्य एवं पुलिस कर्मियों के लाभार्थ उपयोग में आने वाली समस्त सूचनाओं से सम्बन्धित वेबसाइट्स के लिंक पुलिस वेबसाइट पर उपलब्ध है। विभाग के प्रोन्नति एवं रिक्रूटमेंट सम्बन्धी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जाती है। उक्त वेबसाइट को और अधिक इन्टएक्टिव बनाये जाने हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। पुलिस के जनपदों एवं विशिष्ट इकाइयों से प्राप्त उपलब्धियों को प्रतिदिन वेबसाइट पर अद्यावधिक किया जाता है। उक्त सूचनाओं के प्रदर्शन से, पुलिस कार्यप्रणाली को पारदर्शिता प्रदान करने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुयी है ।

उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध ई मेल पतों एवं विभिन्न इकाइयों के कार्यालयों के दूरभाष नम्बरों के माध्यम से विश्व में रह रहे उत्तर प्रदेश वासियों की समस्याओं को सफलतापूर्वक निदान सम्भव हो पाया है । उत्तर प्रदेश जैस कृषि प्रधान प्रदेश में इन्टरनेट के कम जानकार सामान्य व्यक्तियों के होते हुये भी, वेबसाइट पर विजिटर्स की संख्या 23 लाख पहुंचना निश्चित ही जनता के मन में पुलिस के उक्त माध्यम से विश्वास बढ़ने का द्योतक है ।

3.साइबर काइम प्रशिक्षण लैब

साइबर काइम प्रशिक्षण लैब की स्थापना वर्ष 2010 में हुई है। उक्त प्रशिक्षण लैब में पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 के कार्यवृत्त संख्याःडीजी–तीन–निर्देश(सा.गो)/10 दिनांक 21.5.2010 द्वारा जनपद लखनऊ, वाराणसी,कानपुर नगर,बरेली,मेरठ,गोरखपुर ,आगरा, मुरादाबाद ,इलाहाबाद से दो –दो विवेचकों को साइबर काइम का प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिये गये थे जिसके अनुपालन में माह जून 2010 में दो प्रशिक्षण कार्यकम आयोजित किये गये। दिनांक 14.6.2010 से दिनांक 18.6.2010 तक प्रथम प्रशिक्षण कार्यकम में आये 10 कर्मियों तथा दिनांक 21.6.2010 से 25. 6.2010 तक द्वितीय प्रशिक्षण कार्यकम में आये 06 कर्मियों को कुल 16 कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

4. सूचना प्रबन्धन

उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र द्वारा निम्नलिखित प्रणालियों से सम्बन्धित सूचनाओं का भण्डारण अपडेटिंग तथा रिपोर्ट तैयार कर सम्बन्धितों को भेजे जाने का कार्य किया जा रहा है।

(क) पोर्ट्रेट बिल्डिंग सिस्टम

वर्ष 1994 में पोर्ट्रेट बिल्डिंग सिस्टम राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराया गया, जो डास (DOS) पर आधारित था, परन्तु 2001 में राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा विन्डो पर आधारित साफ्टवेयर बनवा कर उपलब्ध कराया गया । वर्ष 2001 तथा वर्ष 2004 में प्रदेश के समस्त जनपदों/जीआरपी अनुभागों के दो दो पुलिस कर्मियों को उक्त प्रणाली के संचालन का प्रशिक्षण तथा इससे सम्बंधित साफ्टवेयर उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ द्वारा प्रदान किया गया। पोर्ट्रेट बिल्डिंग सिस्टम का प्रयोग अनेक जघन्य अपराधों जैसे लूट,हत्या,डकैती, अपहरण आदि से सम्बंधित महत्वपूर्ण प्रकरणों में चश्मदीद गवाह/ साक्षी द्वारा बतायी गयी हुलिया के आधार पर अपराधियों के सम्भावित चित्र बनाये जाने हेतु किया जाता है, जिससे अभियुक्तों को पकड़ने में विवेचनाधिकारियों को सहायता मिल सके ।

दिनांक 1.1.2010 से 31.12.2010 तक की अवधि में इस प्रणाली की सहायता से इस केन्द्र द्वारा महत्वपूर्ण अभियोगों में जनपदों से विवेचनाधिकारी द्वारा लाये गये साक्षियों/चश्मदीद गवाहों द्वारा बताये गये हुलिये के आधार पर अपराधियों के 17 फोटोग्राफ तैयार किये गये। यह साफ्टवेयर सभी जनपदों के प्रयोगार्थ जनपदों में स्थापित कम्प्यूटरों पर स्थापित किया जा चुका है तथा सभी जनपदों के दो दो कर्मियों को उक्त साफ्टवेयर संचालन में प्रशिक्षित किया गया है एवं प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस केन्द्र द्वारा अब तक 375 कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा उक्त प्रणाली की सहायता से अब तक 537 अपराधियों के चित्र बनाये जा चुके हैं।

(ख) पी.आई.एस. से सम्बन्धित कार्य–

उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र द्वारा समस्त आई0पी0एस0 एवं पी0पी0एस0 अधिकारियों की पूर्ण सूचना का रख रखाव कम्प्यूटर पर किया जा रहा है। समय समय पर उत्तर प्रदेश शासन ,पुलिस महानिदेशक कार्यालय एवं सम्बन्धित पुलिस विभाग के अधिकारियों की जनपदवार पदवार यूनिटवार सूची एवं उनके वायोडाटा कम्प्यूटर द्वारा प्रिन्ट कराकर समय से उपलब्ध कराये जाते हैं।

दिनांक 1.1.2010 से 31.12.2010 तक की अवधि में 430 आई0पी0एस0 अधिकारियों एवं 594 पी0पी0एस0 अधिकारियों के स्थानान्तरण आदेशों के अनुरूप अद्यावधिक किया गया एवं उक्त स्थानान्तरित अधिकारियों से सम्बन्धित प्राप्त मुक्त/मोचक होने पर सम्बन्धित पत्र/ रेडियोग्राम को अद्यावधिक किया गया तथा उक्त सूचनाओं को पुलिस की वेब साईट पर भी अद्यावधिक किया गया।

5. विशिष्ट उपलब्धियां

1. वर्ष 2010 मेंउत्तर प्रदेश पुलिस वेबसाइट को user friendly and attractive बनाया गया है।
2. उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र में वर्ष 2010 से साइबर काइम प्रशिक्षण लैब क्रियाशील हो गयी है।
3. वर्ष 2010 में विभिन्न प्रकार के कम्प्यूटर कोर्स आयोजित कर 1268 पुलिस कर्मियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
4. वेब इनेबल्ड नामिनल रोल साफ्टवेयर की मानीटरिंग का कार्य उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र द्वारा किया जा रहा है। वेबइनेबल्ड नामिनल रोल साफ्टवेयर में Manage Employee लिंक उपलब्ध करा दिया गया। नये कर्मचारियों को (PNO) पर्सनल नम्बर आवंटन की सुविधा जनपद/ इकाइयों को आन लाइन उपलब्ध करा दी गयी है। जनपद /इकाइयों को इस केन्द्र द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया एवं वर्तमान में भी निरन्तर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। जनपद/ इकाइयों द्वारा डाटा अपडेट किया जा रहा है एवं आ रही समस्याओं का समाधान निरन्तर किया जा रहा है। दिनांक 11.3.2011 तक जनपद /इकाइयों में आन लाइन प्रदर्शित डाटा– 132274 है।

14.5 पुलिस मोटर ट्रांसपोर्ट शाखा का सृजन एवं उसका संक्षिप्त इतिहास–

1– ईस्ट इंडिया कम्पनी के ब्रिटिश शासकों द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी मोटर वाहनों के अनुरक्षण, उनकी मरम्मत तथा पुराने वाहनों के निष्प्रयोजन की कार्यवाही हेतु सीतापुर में पुलिस मोटर ट्रांस्पोर्ट कार्यशाला की स्थापना वर्श–1944 में शासनादेश संख्या–3310/ आठ–134–43 दिनॉक–25.11.1944 के द्वारा पुरानी जेल(फॉसी घर) तथा सेना द्वारा छोडी गयी बैरकों में स्थापित की गयी और पुलिस मोटर वाहन अधिकारी का राजपत्रित पद इस कार्यशाला के नियंत्रण हेतु सृजित किया गया जो वर्तमान में द्वितीय वाहिनी पीएसी परिसर सीतापुर के पृष्ठभाग में अवस्थित है।

2– पुलिस वाहनों को संचालित करने एवं उनका व्यक्तिक स्तर पर रख रखाव हेतु सशस्त्र पुलिस आरक्षियों में से(सशस्त्र पुलिस) आरक्षी चालक, मोटर मकैनिक के रूप में प्रशिक्षण करने हेतु इस परिसर में पुलिस मोटर वाहन प्रशिक्षण केन्द्र की भी स्थापना की गयी तथा इसके प्रथम पुलिस मोटर वाहन अधिकारी श्री फ्लेष मैन वर्श–1944 में बनाये गये और उन्हें पुलिस एक्ट–1860 के अंतर्गत पुलिस उपाधीक्षक के पद के समकक्ष घोषित किया गया।

3– शासनादेष संख्या–3866/आठ–7–321/78 दिनॉक–14.09.1983 के द्वारा एक पद पुलिस मोटर वाहन अधिकारी का स्वीकृत किया गया। वर्श 1985 में यह इकाई(पीएमटी) नव सृजित तकनीकी सेवायें मुख्यालय के अधीन कर दी गयी। कार्यशाला की कार्यप्रणालीं को सुदृढ सशक्त एवं आवश्यकता पडने तकनीकी कार्मिकों को सभी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु शासनादेश संख्या–4037/आठ–7–62/86 दिनॉक–06/07.08.1986 के द्वारा उन्हें पुलिस उक्ट 1860 के अंतर्गत पुलिस विभाग में षामिल कर लिया गया तथा उनमें कार्यरत

सभी ट्रेड कर्मियों को तकनीकी संवर्ग सृजित कर कान्स तकनीकी से सहायक उपनिरीक्षक तकनीकी के पदों पर उनकी कार्य विषिश्टताओं एवं शैक्षिक स्तर के अनुसार नियुक्त कर दिया गया।

4— पुलिस विभाग के सभी वाहनों के लघु एवं दीर्घ मरमम्त की बढती मॉग को देखते हुये शासनादेश संख्या—4823/आठ—7—115/86 दिनॉक—26.09.1986 एवं शासनादेश संख्या—6626/आठ—7—115/86 दिनॉक—14.03.1988 के द्वारा दो दो क्षेत्रीय कार्यषालायें क्रमशः लखनऊ/मुरादबाद तथा वाराणसी व आगरा में स्थापित की गयीं जिसके प्रभारी पुलिस मोटर वाहन अधिकारी स्तर के अधिकारी बनाये गये।

5— प्रारंभ में राज्य पुलिस मोटर वाहन अधिकारी को पॉचों पीएमटी कार्यशालाओं का प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकारी घोषित किया गया, जिसमें निर्धारित सीमा तक स्वतंत्र रूप से कार्य करने हेतु उन्हें प्राधिकृत किया गया।

14.6 इकाई के दायित्व एवं कार्यः—

पीएमटी कार्यशाला सीतापुर, मुरादाबाद, आगरा, लखनऊ एवं वाराणसी में अवस्थित है का मुख्य कार्य उनके रीजन में आने वाले जनपदों/इकाइयों के पुलिस वाहनों के खराब होने पर उनका भारी सुधार निर्धारित प्रकिया के अनुसार अनुमति प्राप्त कर किया जाता है तथा रूपया—1125.00 तक छुद्र मरमम्त कार्यों को कराने की अनुमति पुलिस मोटर वाहन अधिकारियों द्वारा स्थानीय स्तर पर प्रदान कर गाडियों बनवाई जाती है। पुलिस वाहनों को बनाने के लिये निम्नलिखित सेक्सन कार्यशाला में स्थापित किये गये हैः—

1— निरीक्षक कार्यशाला
2— अन्डर कैरिज सेक्सन
3— इन्जन सेक्सन
4— गेयर बाक्स सेक्सन
5— बाडी सेक्सन
6— पेंटिग सेक्सन
7— अपोस्टरी सेक्सन
8— ऑटो इलेक्ट्रिकल सेक्सन
9— एफ0आई0पी0पम्प सेक्सन
10— इंजन रिकंडीशनिंग सेक्सन
11— भण्डार/स्टोर्स

उपुर्यक्त सेक्सनों में इन सेक्सनों से सॅम्बंधित ट्रेडों के कर्मचारी नियुक्त है जो वाहन सुधार हेतु आने पर उनकी कमानुसार मरमम्त करते है और जिसके पत्राचार का कार्य निरीक्षक परिवहन के कार्यशाला द्वारा किया जाता है। इन कार्यशालाओं में छोटी, मध्यम व भारी वाहनों का लघु एवं भारी सुधार का कार्य किया जाता है।

14.7 इकाईयों की कार्य–प्रणाली :–

इस पॉचों पीएमटी कार्यशालाओं में हल्के, मध्यम एवं भारी वाहनों के छुद्र सुधार की अनुमति प्रभारी पुलिस मोटर वाहन अधिकारी द्वारा मौके पर ही देकर वाहनों का सुधार कराया जाता है तथा रूपया–1125.00 की व्यय सीमा से अधिक वाहन सुधार का कार्य भारी सुधार के अंतर्गत किया जाता है, जिसके लिये सम्बंधित जिले/यूनिट के प्रभारी द्वारा संदर्भ पत्र, हिस्ट्रीशीट, आर0आई0 की टेक्नीकल की आख्या व बाजार दर के स्टीमेट के साथ प्रस्ताव पीएमटी कार्यशालाओं के माध्यम से राज्य पुलिस मोटर वाहन अधिकारी सीतापुर को उपलब्ध कराया जाता है, जिसका पीएमटी कार्यशाला सीतापुर में तकनीकी परीक्षण करके प्रस्ताव सम्बंधित यूनिट के विभागाध्यक्ष/तकनीकी सेवा मुख्यालय को प्रस्ताव भारी सुधार की अनुमति हेतु प्रेषित किया जाता है और अनुमति प्राप्त होने पर सम्बंधित कार्यशाला द्वारा उस वाहन को कार्यशालाा में दाखिल कर उनका जॉब कार्ड खोला जाता है तथा जिन जिन ट्रेडों की षापों का कार्य होता है उनके द्वारा कलपुर्जे एवं सामानों की डिमॉड की जाती है जिसे स्टोर से इशू कराकर वाहन की मरम्मत कर बिल बाउचर सत्यापन के बाद भुगतान हेतु भेजे जाते है।

14.8 पीएमटी कार्यशालाओं की मुख्य उपलब्धियॉ:–

1– कार्यशाला की कार्यप्रणालीं का विकेन्द्रीकरण किया गया है जिसके अंतर्गत पॉचों वर्कशाप कमशः सीतापुर, लखनऊ, मुरादाबाद, आगरा एवं वाराणसी में पॉच अलग अलग अधिष्ठानों से उपरौक्त जनपदों में कार्य करना प्रारंभ किया जिससे कार्यप्रणाली का सरलीकरण हुआ, यात्रा व्यय के रूप में राजकीय धन की भारी बचत हुई।

2– पॉचों पीएमटी के लिये आधुनिकीकरण योजना के अंर्तगत पुराने टूल्स के स्थान पर नये टूल्स कय किये गये साथ ही शीट मोल्डिंग मशीनें, कार वाषर एवं ल्यूब्रिकेंट, प्रेसर टॉर्क एवं प्रेशर रिंच, प्रशिक्षण हेतु सेक्सनाइज व्हीकिल तथा ड्राइविंग सेमुलेटर आदि महगें उपकरण कय करके जहॉ एक ओर कार्यशालों की कार्यकुशलता में आषातीत बृद्धि हुई है वहीं पुलिस मोटर ट्रेनिगं स्कूल में प्रशिक्षण की गुणवत्ता में भी भारी बृद्धि हुई है। वर्श–2010 में रिजर्व ड्राइवर कोर्स, फायर सर्विस ड्राइवर कोर्स, डी0आर0 कोर्स, मोटर मकैनिक कोर्स एवं एचसीएमटी एवं एसआईएमटी प्रशिक्षणों का आयोजन कर 700 प्रशिक्षणार्थियों को प्रषिक्षण प्रदान कर प्रशिक्षित किया गया जो स्वयंय में एक रिकार्ड है।

3– पीएमटी से भारी मात्रा में प्राप्त होने वाले टाटा 2007 वाहन पर पेट्रोलिगं कार का स्पेशीफिकेशन तैयार कर बाडी का निर्माण कराया गया है।

4– ट्रेक्टर पर केन लिफ्टिंग प्लेटफार्म का स्पेशीफिकेशन तैयार कर उसके कय की कार्यवाही प्रचलित है।

5– पीएमटी कार्यशालाओं के परिसर का सौंदर्यीकरण, प्रकाशीकरण के कार्य के साथ साथ बृक्षारोपण का कार्य भी कार्यषाला कर्मियों तथा प्रेशिक्षण केन्द्र के कर्मियों के श्रमदान से कराकर परिसर को हरा भरा बनाया गया है।

6– वित्तीय वर्ष–2005 से 2009–2010(31.12.2010 तक) में पॉचों पीएमटी कार्यशालाओं द्वारा जो लघु एवं भारी सुधार पुलिस के छोटे, मध्यम एवं भारी वाहनों का किया उसका विवरण निम्नवत है:–

PRODUCTION DONE BY P.M.T. WORKSHOP

SNO	FINANCIAL YEAR	MAJOR REPAIR	MINOR REPAIRE	TOTAL REPAIR	SPARES CONSUMPTION IN RS.	PRODUCTIVITY IN MONTHS	SPARE CONSUMPTION PER VEHICLE
01	2004-05	602	540	1142	7019375	95	6146.56
02	2005-06	612	678	1290	11386173	107	8826.49
03	2006-07	752	637	1389	9585651	116	6901.11
04	2007-08	667	577	1192	12731320	99	10680.36
05	2008-09	968	1176	2138	14183052	178	6633.79
06	2009-10 UPTO 31.12.10	255	528	783	6619217	65	8453.66

वर्तमान में छुद्र सुधार हेतु नियत मरम्मत व्यय की सीमा रूपया–1125.00 अत्यल्प होने के कारण अधिकाशॅ वाहन भारी सुधार के अंतर्गत आने एवं उसकी स्वीकृति की विलम्बित प्रकिया के कारण जनपद/इकाई के अधिकाशॅ वाहन खुले बाजार में बनवाये जाते है, जिससे कार्यशालाओं के तकनीकी कर्मियों को वॉछित मात्रा में कार्य उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और इनकी श्रमशक्ति का अपब्यय हो रहा है।

14.8 कार्यशालावार नियतन/उपलब्धता/रिक्ति का विवरण दिसम्बर–2010

क्र0 सं0	पदनाम एवं ट्रेड	सीतापुर			लखनऊ			मुरादाबाद			वाराणसी			आगरा		
		नियतन	उपलब्धता	रिक्ति	नियतन	उपलब्धता	रिक्ति	नियतन	उपलब्धता	रिक्ति	नियतन	उपलब्धता	रिक्ति	नियतन	उपलब्धता	रिक्ति
1	एस0पी0एम0वी0ओ0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	पी0एम0वी0ओ0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0
	योग	2	2	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0
3	निरीक्षक एम0टी0	1	1	0	2	3	.1	2	1	1	2	2	0	2	1	1
4	एस0आई0 एम0टी0	2	2	0	2	1	1	2	2	0	2	2	0	2	3	.1
5	एएसआई मोटर मैकेनिक	2	2	0	4	3	1	3	3	0	3	1	2	3	2	1
6	एएसआई (एसएसके)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1
	योग	6	6	0	9	8	5	8	7	1	8	6	2	8	6	2

7	एस0आई0 (एम)	2	0	2	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1
8	ए0एस0 आई0(एम)स0लि0	9	8	1	5	13	.8	5	9	.4	5	10	.5	5	7	.2
	योग	11	8	3	7	14	.7	7	10	.3	7	11	.4	7	8	.1
9	हे0का0एम0टी0	12	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	का0ड्रा0	33	21	12	3	3	0	3	2	1	3	2	1	3	3	0
11	का0डी0 आर0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1
	योग	46	28	18	4	3	1	4	3	1	4	3	1	4	3	1
12	हे0का0 (तक0)स्टोरकीपर	1	2	.1	2	1	1	2	2	0	2	1	1	2	2	0
13	हे0का0 (तक0) स0मो0मै0	4	6	.2	7	5	2	7	4	3	7	5	2	7	2	5
14	हे0का0 (तक0)इले0	1	2	.1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0
15	हे0का0 (तक0) टिनमैन	0	1	.1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1
16	हे0का0 (तक0) अपहोस्टर	0	1	.1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
17	हे0का0 (तक0)ब्लैकस्मिथ	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1
18	हे0का0 (तक0) मशीनिस्ट	1	0	1	2	1	1	2	2	0	2	1	1	2	2	0
19	हे0का0 (तक0) वेल्डर	0	1	.1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0
20	हे0का0 (तक0) फिटर	3	5	.2	8	13	.5	10	7	3	10	7	3	10	2	8
21	हे0का0 (तक0)पेन्टर	0	1	.1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0
22	हे0का0 (तक0) कारपेन्टर	0	2	.2	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0
23	हे0का0 (तक0)टर्नर	0	1	.1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1
	योग	10	22	.12	27	26	1	29	17	12	29	19	10	29	12	17
24	का0(तक0)स्टोरकीपर	1	0	1	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
25	का0(तक0)इले0	2	5	.3	6	4	2	4	2	2	4	3	1	4	2	2
26	का0(तक0) टिनमैन	2	2	0	5	4	1	4	4	0	4	3	1	4	4	0
27	का0(तक0)ब्लैकस्मिथ	2	3	.1	5	4	1	4	3	1	4	3	1	4	4	0
28	का0 (तक0) अपहोस्टर	1	2	.1	2	2	0	2	1	1	2	3	.1	2	0	2
29	का0(तक0)पेन्टर	2	6	.4	6	4	2	4	4	0	4	3	1	4	2	2
30	का0(तक0)वेल्डर	1	1	0	3	1	2	3	2	1	3	3	0	3	3	0
31	का0(तक0)कारपेन्टर	1	5	.4	4	3	1	2	1	1	2	2	0	2	3	.1
32	का0(तक0)मशीनिस्ट	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0
33	का0(तक0)हेल्पर	3	5	.2	6	6	0	6	2	4	6	4	2	6	1	5
34	का0(तक0)टर्नर	1	4	.3	2	2	0	1	2	.1	1	1	0	1	0	1
35	का0(तक0) फिटर	8	9	.1	12	7	5	10	3	7	10	7	3	10	3	7
36	का0(तक0)पम्प ड्राइवर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	26	43	.17	54	38	16	43	24	19	43	32	11	43	23	20
37	दफ्तरी	0	1	.1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0
38	ओ0पी0	2	1	1	3	4	.1	3	2	1	2	2	0	3	2	1
39	डाक अर्दली	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0
40	वाटरमैन	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0

41	कुक	4	1	3	3	2	1	4	3	1	0	0	0	4	3	1
42	फालौवर/कुक	1	2	.1	1	0	1	0	0	0	4	3	1	0	0	0
43	कहार	2	0	2	2	2	0	2	1	1	2	1	1	2	2	0
44	स्वीपर	3	5	.2	3	3	0	3	2	1	3	2	1	3	4	.1
45	भिश्ती	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	मजदूर	3	6	.3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	16	17	.1	16	15	2	15	10	5	14	11	3	15	14	1
	कुल योग	117	126	.9	118	104	19	107	72	35	106	82	24	107	67	40

15– अंगुलि चिन्ह ब्योरो, उ0प्र0

15.1–अति महत्वपूर्ण एवं सराहनीय जॉच कार्य–

1–एफपीबी–33/10–एएलएमः– मु0अ0सं0–689/09 धारा 302/201 भा0द0वि0 थाना–भतरौज खान, जनपद–अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड के घटना स्थल से प्राप्त आंशिक अंगुलि चिन्हों का संदिग्ध गिरीश चन्द्र जोशी के नमूना अंगुलि चिन्हों के मिलान कर एक निश्चित मत सिद्ध कर सम्बन्धित केस की गुत्थी को फिंगर प्रिन्ट जॉच द्वारा सुलझाया गया तथा इस मर्डर केस के सही मुलजिम को सिद्ध कर एक अहम भूमिका प्रदर्शित की गई ।

2–एफपीबी–68/10–एएलडीः– मु0अ0सं0–18/10, धारा 302/201 आई0पी0सी0 व 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम धर्मेन्द्र प्रसाद मिश्रा थाना–शिव कुटी, जनपद–इलाहाबाद के घटना स्थल से प्राप्त आंशिक अंगुलि चिन्हों का संदिग्ध धर्मेन्द्र मिश्र के नमूना अंगुलि चिन्हों से मिलान कर जॉच अधिकारी को सही मार्ग दर्शन कराया व सही मुलजिम को सजा दिलाने हेतु अपने उचित राय दी गई।

3–एफपीबी–74/10–एचडीआरः– मु0अ0सं0–3/10, धारा 396/412/307 आईपीसी थाना–कनखल, जनपद–हरिद्वार के घटना स्थल से प्राप्त आंशिक अंगुलि चिन्हों का संदिग्ध अभियुक्त गणों के नमूना अंगुलि चिन्हों से मिलान कर फिंगर प्रिन्ट विशेषज्ञों की राय से यह सिद्ध हुआ कि उपरोक्त घटना में लिप्त मुलजिमों का इस घटना स्थल पर होना सिद्ध करता है जिससे जॉच अधिकारी एवं न्यायालय को सही मुलजिम पहचानना आसान हो गया ।

4–एफपीबी–233/10–यूएओः–मु0नं0–2639 दीवानी अपील संख्या–93/08 न्यायालय अपर जिला जज, कोर्ट नं–5 उन्नाव में बिचाराधीन उपरोक्त मामले में रजिस्ट्री सुदा वसीहतनामा फर्द अहताम पर बने विवादित निशानी अंगुठा का मिलान करके अत्यन्त पुराने मामले में न्यायालय को न्यायिक प्रक्रिया में एक निश्चित तथ्य तक पहुँचने में विशेषज्ञो द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया गया है।

5– खोज पत्र संख्या–199 दिनांक 18–2–2010 :– राजेश पुत्र श्री सोनपाल की खोजपत्री जी0आर0पी0 जयपुर से प्राप्त हुई जिसका वर्गीकरण करके संग्रहालय में खोज किया गया तो खोजपत्री संग्रहालय में प्राप्त हुई जिसका वर्गीकरण संख्या–27/12 आईआईओ/एमआईआई

15–21 है, जिसकी सूचना उसी दिवस जी0आर0पी0 जयपुर को भेज दी गयी ।

6– खोज पत्र सख्या–258 दिनांक 9–3–2010:– कय्यूम पुत्र श्री मुनीस की खोज पत्री जी0आर0पी0 जयपुर से प्राप्त हुई जिसका वर्गीकरण करके संग्रहालय में खोज किया गया तो खोजपत्री संग्रहालय में प्राप्त हुआ जिसका वर्गीकरण संख्या–13/18 यू/यू ओओओ/ओओओ 14–13 है, जिसकी सूचना जी0आर0पी0 जयपुर को भेज दी गयी।

7– खोज पत्र संख्या–821, दिनांक 23–8–2010:– मुन्हे अहमद पुत्र श्री बुद्ध अहमद की खोजपत्री मेड़ता रोड जक्शन(राजस्थान) से प्राप्त हुई जिसका वर्गीकरण करके संग्रहालय में खोज किया गया तो खोज पत्री संग्रहालय में प्राप्त हुई जिसका वर्गीकरण संख्या–1/9 आर/यू आई/आईओ 16–14 है, जिसकी सूचना मेड़तारोड जक्शन राजस्थान उसी दिन भेज दी गयी।

8– खोजपत्र संख्या–1245, दिनांक 30–10–10:– कल्लू उर्फ श्रीप्रकाश पुत्र श्री राजचन्द की खोज पत्री जी0आर0पी0 अजमेर(राजस्थान) से प्राप्त हुई जिसका वर्गीकरण करके संग्रहालय में खोज किया गया तो खोजपत्री संग्रहालय में प्राप्त हुई जिसका वर्गीकरण संख्या–9/22 यू/यू ओओ/ओओ ओ/13 है, जिसकी सूचना जी0आर0पी0 अजमेर(राजस्थान) को भेज दी गई।

15.2- ANNUAL STATISTICS REPORT 2010

STATE : UTTAR PRADESH BUREAU: FINGER PRINTS BUREAU

1. TEN-DIGIT RECORD SECTION

1.	No of slips of convicted persons on record at beginning of the year	:	426495
2.	No. of slips pending for record from the previous year	:	NIL
3.	No. of slips received for record during the years	:	5086
4.	No. of slips returned as defective	:	3164
5.	Total no. of slips available for record during the year (2+3-4)	:	1922
6.	Total no. of slips recorded during the year	:	1922
7.	Total no. so slips pending for record at the end of the year (5-6)	:	NIL
8.	No. of slips eliminated during the year	:	337

9.	No. of slips removed as duplicate during the year	:	12
10.	Total no. of slips on record at the end of the year (1+6)-(8+9)	:	428068
11.	No. of slips sent for record to CFPB, New Delhi	:	4100
12.	No. of slips of arrested persons recorded during the year	:	NIL
13.	Total no. of slips of arrested persons on record up to 31.12.2010	:	NIL

NOTE:- TOTAL NO. OF SLIPS REMOVED & SENT FOR UTTRAKHAND STATE-12104

11. TEN DIGIT SEARCH SECTION

1.	No of search slips received during the year	:	1430
2.	No. of search slips returned as defective	:	NIL
3.	No. of search slips accepted for search during the year (1+2)	:	1430
4.	No. of search slips pending from the precious year	:	NIL
5.	No. of search slips searched during the year	:	1430
6.	No. of search slips pending at the end of the year (3+4-5)	:	NIL
7.	No. of search slips traced during the year	:	04
8.	Trace Percentage	:	28%

III. **SINGLE DIGIT SECTION**

1.	No of slips digit prints on record at the beginning of the year	:	108160
2.	No of slips digit prints recorded during the year	:	90
3.	No of slips digit cards eliminated during the year	:	NIL
4.	Total no. of single digit print on record at the end of the year	:	108250
5.	No. of scene of crime prints searched from the Single Digit Record	:	130
6.	No. of prints traced during the years through Single Digit Search	:	Nil

IV. **SCENE OF CRIME**

1.	No. of scene of Crime cases visited during the year	:	NIL
2.	No. of cased in which chance print comparison was made	:	NIL
3.	No of prints developed at the SOC and compared subsequently		NIL
4.	No. of chance prints identical with a) Suspects	:	NIL
	b) Inmates	:	NIL
5.	No. of cased pending at the beginning of the year	:	NIL
6.	No. of cased identified during the year	:	NIL
7.	No. of cased pending at the end of the year	:	NIL

V. DOCUMENT SECTION

1.	No. of cased of disputed fingerprints for examination	:	294
2.	No. of cases pending from the previous year	:	05
3.	No. of cased and no. of prints examined and opinion furnished		
	a. No. of cased	:	185
	b. No. of prints	:	7773
4.	No. of cased/prints pending at the end of the year	:	114
5.	No. of cased in which FP Experts attended court for evidence	:	04

VI. ABSCONDER ACTION/DEATH REPORTS

1.	No. of absconder reports receive and processed during the year	:	NIL
2.	No. of absconder traced	:	NIL
3.	No. of death reports received during the year	:	NIL
4.	No. of death reports processed	:	NIL

VII. AUTOMATED FINGER PRINT IDENTIFICATION SYSTEM (AFIS)

1.	AFIS installed on	:	NIL
2.	AFIS Make and Version	:	NIL

3.	Successive up gradations & years	:	NIL
4.	Present AFIS Version	:	NIL
5.	Database size at the beginning of the year	:	NIL
6.	Slips entered during the year	:	NIL
7.	Slips deleted during the year	:	NIL
8.	Database size at the end of the year	:	NIL
9.	No. of duplicates traced by the system during the year	:	NIL
10.	No. of ten digit searches conducted	:	NIL
11.	No. of ten digit searches traced	:	NIL
12.	No. of chance print searches conducted	:	NIL
13.	No. of chance print searches traced	:	NIL

VIII. TRAINING

1.	Total of Fingerprint Bureau Staff trained by the Bureau	:	94
2.	Total no. of officers of other departments trained	:	133

अध्याय–(11)

आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन

11.1– इकाई का स्थापन/संक्षिप्त इतिहास, दायित्व एवं कार्य

आर्थिक अपराध अनुसंधान की स्थापना 9129/आठ–क, दिनांक 30–9–1970 द्वारा की गई थी। शासनादेश संख्या 39/11/70 /सीएक्स–1 दिनांक 18–9–1972 द्वारा संगठन के कार्यक्षेत्र का निर्धारण किया गया, जिसके द्वारा इस संगठन को उत्तर प्रदेश के मुख्यतः 10 विभागों (वन विभाग, परिवहन विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, उद्योग विभाग, आबकारी विभाग, कृषि विभाग, पंचायत राज विभाग, अल्प सिंचाई विभाग एवं बिक्री कर विभाग) के साथ साथ शासन द्वारा आदेशित प्रकरणों से सम्बन्धित ऐसे आर्थिक अपराधों के मामले सौंपे जाते थे, जिनका विशेष महत्व हो या जिनका सिलसिला दूर–दूर तक हो और जिनका राज्य के राजस्वों पर प्रभाव पड़ें। यह इकाई मुख्यतः धोखाधड़ी, जालसाजी, मिथ्यागढ़न, कपट, गबन, दुर्विनियोग,करों तथा उत्पादन शुल्क का अपवंचन , जखीरेबाजी, तस्करी, चोरबाजारी, और स्टाकों तथा शेयरों में बदनीयति से चालबाजी आदि से सम्बन्धित ऐसे मामलों के बारें में कार्यवाही करती है जो उसके पास सरकार के गोपन विभाग द्वारा भेजे जाते है। यह इकाई ऐसे मामलों में अभिसूचना भी एकत्र करती है जो आर्थिक अपराधों से सम्बन्धित हो, या जिनका आर्थिक अपराधों पर प्रभाव पड़ता हो तथा अभिसूचना एकत्रित किये जाने के उपरांत यदि जॉच की आवश्यकता होती है तो शासन के गोपन विभाग से अनुमति प्राप्त कर जॉच प्रारम्भ की जाती है। शासनादेश संख्या– 1367/25–8–2006–39/11/70, दिनांक 30–10–2006 द्वारा इस संगठन को उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार के अन्य विभागों में भी आर्थिक अपराधों अथवा विभिन्न योजनाओं में आर्थिक अनियमितताओं एवं दुर्विनियोग से संबंधित प्रशासकीय विभागों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर गोपन विभाग से संदर्भित प्रकरणों की जांच एवं विवेचना हेतु अधिकृत किया गया है।

11.2– आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन के अन्तर्गत वर्ष 2000 में शासनादेश संख्या 1416 पी/छः पु0(3)2000–17पी /2000 दिनांक 28–3–2000 द्वारा प्रदेश में जाली मुद्रा के प्रचलन की रोकथाम, इनके श्रोतो का पता लगाना, अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों से विशिष्ट अभिसूचना एकत्र करना एवं पंजीकृत अभियोगों की गहन विवेचना हेतु विशेष जॉच प्रकोष्ठ (जाली नोट /सिक्के) का गठन किया गया । इस प्रकोष्ठ को जाली नोट / सिक्के से सम्बन्धित अपराधों के साथ साथ इन्टेलेक्चुवल प्रापर्टी राइट्स, नान बैंकिंग फाइनेन्स कम्पनियों एवं साइबर क्राइम से सम्बन्धित अपराधों की जॉच/विवेचना का कार्य किया जाता है। विशेष प्रकोष्ठ को शासन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, द्वारा भी उपरोक्त अपराधों से सम्बन्धित जॉच /विवेचना सौंपी जाती है। आर्थिक अपराध संगठन के विशेष प्रकोष्ठ (गैरबैंकिंग वित्तीय कम्पनियों, जाली नोटों / सिक्कों तथा इन्टेलेक्चुवल प्रापर्टी राइट्स) से सम्बन्धित मामलों के नोडल अधिकारी इस संगठन के अपर पुलिस महानिदेशक है।

11.3– इस संगठन के अन्तर्गत कार्यरत निम्नलिखित क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनका कार्यक्षेत्र उनके सम्मुख अंकित है:–

1– लखनऊ सेक्टर
2– कानपुर सेक्टर
3– वाराणसी सेक्टर
4– मेरठ सेक्टर
5– मुख्यालय सेक्टर
6– विशेष प्रकोष्ठ

11.4– <u>अधिकारियों /कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य</u>

आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन में मुख्यतः तीन प्रकार का कार्य सम्पादित किया जाता है:–

(1) अन्वेषण
(2) जॉच
(3) अभिसूचना संकलन।

इस संगठन में उपनिरीक्षक, निरीक्षक तथा पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा उपरोक्त कार्य सम्पादित किया जाता है तथा अपर पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक / पुलिस उप महानिरीक्षक तथा पुलिस महानिरीक्षक स्तर से प्रत्येक प्रकरण का गहन पर्यवेक्षण किया जाता है। तदोपरांत इन जॉच / अन्वेषण का निष्कर्ष अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा अनुमोदित होने के उपरांत गृह विभाग शासन / पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को प्रेषित किया जाता है। ई0ओ0डब्लू0 में नियुक्त सभी विवेचक/पर्यवेक्षण अधिकारी मूलतः पुलिस अधिकारी होने के कारण सी0आर0पी0सी0 से अन्य अधिनियमों से प्रदत्त अधिकार उन्हे भी प्राप्त है। इसके अतिरिक्त शासन *द्वारा समय समय पर जारी निर्देशानुसार कार्य किया जाता है।*

11.5– <u>पर्यवेक्षण की प्रकिया</u>

शासन से प्राप्त जॉच /अन्वेषण को सम्पादित करने के लिए संगठन के विवेचकों को सौपा जाता है जिनका निकट पर्यवेक्षण इकाई के पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जाता है तथा पुलिस अधीक्षक के कार्यो का पर्यवेक्षण पुलिस उपमहानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश शासन एवं विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित की जाने वाली आख्या का अनुमोदन संगठन के अपर पुलिस महानिदेशक (विभागाध्यक्ष) के स्तर पर किया जाता है।

11.6– <u>कार्य कलापों के निस्तारण से सम्बन्धित निर्धारित मानक</u>

इस संगठन द्वारा जॉच/अन्वेषण में निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। प्रत्येक जॉच / अन्वेषण में प्रत्येक स्तर में गहराई से सन्निरिक्षा के उपरांत तथा विधिक राय के अनुसार कार्यवाही की जाती है। प्रत्येक निरीक्षक स्तर के विवेचक को कम से कम 2 तथा पुलिस उपाधीक्षक स्तर के विवेचक को 1 जॉचें /विवेचनाएं निस्तारित करने के लिए विभागीय मानक निर्धारित किया गया है ।

संगठन द्वारा निस्तारित जांचों/विवेचनाओं को शासन/पुलिस महानिदेशक द्वारा (गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी तथा जाली नोट आदि प्रकरणों में) स्वीकार करने के उपरांत ही समाप्त *माना जाता है।*

11.7–<u>इकाई की मुख्य उपलब्धियां:–</u>

इकाई द्वारा विभिन्न राजकीय विभागों/कार्यालयों में हो रहे घोटालों की जांच/विवेचना की जा रही है। इसके अतिरिक्त इकाई द्वारा नान बैंकिंग फाइनेन्स कम्पनी/बैंक फ्राड्स आदि की

भी विवेचना समय–समय पर की गई है और घोटाले वाले भ्रष्ट लोक सेवकों के कृत्यों को उजागर कर उनके विरूद्ध यथा साक्ष्य वैधानिक/विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कराई गई है।

इकाई द्वारा हाल के वर्षो में मुख्य रूप से राजकीय औषधालयों में दवाई कय घोटाला, खाद्यान्न घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला एवं व्यापार करापवंचन के प्रकरणों की जॉच/विवेचना की गई है। दवा कय एवं सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत इकाई द्वारा 100 से अधिक जनता के व्यक्तियों/लोक सेवकों के विरूद्ध आरोप पत्र की संस्तुति की गई है।

(1)–जॉच

वर्ष	वर्ष के आरम्भ में लम्बितम जॉचों की संख्या	वर्ष में प्राप्त जॉचों की संख्या	वर्ष में निस्तारित जॉचों की संख्या		शेष जॉचों की संख्या
			आरोप प्रमाणित	आरोप अप्रमाणित	
2006	158	135	91	96	106
2007	106	59	50	07	103
2008	103	31	14	14	106
2009	106	37	24	25	94
2010	94	78	39	16	117

(2)–विवेचना

वर्ष	वर्ष के आरम्भ में लम्बितम विवेचनाओं की संख्या	वर्ष में प्राप्त विवेचनाओं की संख्या	वर्ष में निस्तारित विवेचनाओं की संख्या		शेष विवेचनाओं की संख्या
			आरोप प्रमाणित	आरोप अप्रमाणित	
2006	195	184	128	12	239
2007	239	64	35	02	266
2008	266	89	90	07	258
2009	258	28	75	09	202
2010	202	41	62	09	172

अध्याय–(12)
भ्रष्टाचार निवारण संगठन

12.1– प्रशासनिक ढांचा:–

वर्ष 1956 से भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी कार्य अपराध अनुसंधान विभाग के द्वारा किया जाता रहा है। वर्ष 1977 में पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार के निवारण हेतु शासन द्वारा शासनादेश संख्या–2049/आठ–1–64/76 दिनांक 18.4.77 द्वारा भ्रष्टाचार निवारण संगठन की स्थापना की गयी। शासन के आदेशों के अन्तर्गत यह संगठन पुलिस विभाग के अपर पुलिस अधीक्षक तक के राजपत्रित अधिकारियों एवं अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध शासन, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के आदेशों पर तथा जोनल एवं फंक्शनल पुलिस महानिरीक्षकों के आदेशों पर अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध जांच करता है। इसके साथ ही यह संगठन अन्य विभागों के विभागाध्यक्षों, जिला मजिस्ट्रेटों तथा सचिव, सतर्कता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत पडने वाले प्रकरणों को अभिदिष्ट करने पर अराजपत्रित अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध भी जांच करता है । इसके अतिरिक्त अन्य विभागों के राजपत्रित अधिकारियों के विरूद्ध भी शासन द्वारा समय–समय पर इस संगठन को जांचें सौंपी जाती रही हैं और उनका निस्तारण इस संगठन द्वारा किया जाता रहा है। शासनादेश संख्या–3684/छः–पु0–1–84/88 दिनांक 24.2.1992 द्वारा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार संगठन अपर पुलिस अधीक्षक स्तर तक के अधिकारियों के विरूद्ध जांच करने के लिए सक्षम है ।

12.2. जांच के बिन्दु :–

निम्न प्रकार के आरोपों की जांच हेतु यह संगठन सक्षम है :–

1. भ्रष्टाचार
2. बलात्
3. जानबूझ कर बदला लेने व परेशान करने की प्रवृत्ति
4. बुरी नियत से आपात्कालीन विशेष अधिकारों का दुरूपयोग ।

12.3. अभिसूचना संकलन एवं ट्रैप डालना :–

यह संगठन भ्रष्ट पुलिस एवं अन्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सम्बन्ध में स्वयं तथा शासन के आदेश से अभिसूचना एकत्रित करके उन्हें पकड़ने के लिए नियमानुसार ट्रैप का आयोजन का कार्य भी करता है ।

12.4– अधिकारियों /कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :–

संगठन में निरीक्षक तथा पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा जांच, विवेचना, ट्रैप एवं अभिसूचना संकलन का कार्य सम्पादित किया जाता है तथा पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक तथा पुलिस महानिरीक्षक स्तर से प्रत्येक प्रकरण का गहन पर्यवेक्षण किया जाता है। तदोपरांत इन जॉच/ विवेचना/अभिसूचना/ट्रैप का निष्कर्ष अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा अनुमोदित होने के उपरांत गृह विभाग शासन/पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 को प्रेषित किया जाता है। भ्रष्टाचार निवारण संगठन में नियुक्त सभी विवेचना/पर्यवेक्षण अधिकारी मूलतः पुलिस अधिकारी होने के कारण वे सी0आर0पी0सी0 से अन्य अधिनियमों से प्रदत्त अधिकार उन्हे भी प्राप्त है। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशानुसार कार्य किया जाता है।

12.5— पर्यवेक्षण की प्रकिया :—

शासन से प्राप्त जॉच /विवेचना को सम्पादित करने के लिए संगठन के विवेचकों को सौपा जाता है जिनका निकट पर्यवेक्षण इकाई के पुलिस उपाधीक्षक द्वारा किया जाता है तथा पुलिस उपाधीक्षक के कार्यो का पर्यवेक्षण पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपमहानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश शासन एवं विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित की जानी वाली आख्या का अनुमोदन अपर पुलिस महानिदेशक (विभागाध्यक्ष) के स्तर पर किया जाता है।

12.6— कार्य कलापों के निस्तारण से सम्बन्धित निर्धारित मानक :—

इस संगठन द्वारा जॉच / विवेचना में निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। प्रत्येक जॉच / विवेचना में प्रत्येक स्तर में गहराई से सन्निरिक्षा के उपरांत तथा विधिक राय के अनुसार कार्यवाही की जाती है। शासन/पुलिस महानिदेशक द्वारा आख्या अनुमोदन के उपरांत ही जॉच /विवेचना समाप्त मान लिया जाता है।

12.7— अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा कार्यकलापों के निस्तारण हेतु आच्छादित नियम, निर्देश, मैनुअल आदि :—

अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा दैनिक कार्यो का निस्तारण भारतीय दण्ड विधान , दण्ड प्रकिया संहिता, पुलिस रेगुलेशन्स, वित्तीय हस्त पुस्तिका , सी.एस.आर, मैनुअल आफ गवर्नमेन्ट आडर्स , पुलिस आफिस मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स, प्रिन्टिंग मैनुअल, सी0आई0डी0 मैनुअल समय समय पर निर्गत विभिन्न शासनादेशों एवं पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत विभागीय दिशा निर्देश के अनुसार किया जाता है।

12.8— वर्गीकृत अभिलेखों का विवरण :—

इस संगठन के अन्तर्गत मुख्यतः निम्न तीन प्रकृति के कार्य है:—

1 जॉच / विवेचना का कार्य
2 अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य
3 कोष सम्बन्धी कार्य

उक्त से सम्बन्धित विवरणों को अपराध अनुभाग, अधिष्ठान शाखा एवं कोष शाखा द्वारा नियमित रूप से रखा जाता है, मुख्य रजिस्टरों की सूची निम्नवत् है:—

12.9— भ्रष्टाचार निवारण संगठन में पॉच वर्षो में प्राप्त/निस्तारित जॉचों का तुलनात्मक विवरण

वर्ष	वर्ष के आरम्भ में लम्बित जॉचों की संख्या	वर्ष में प्राप्त जॉचों की संख्या	वर्ष में निस्तारित जॉचों की संख्या			शेष जॉचों की संख्या
			प्रमाणित	अप्रमाणित	योग	
2006	317	566	419	78	497	386
2007	386	567	311	141	452	501
2008	501	380	232	225	457	424
2009	424	183	146	82	228	379
2010	379	181	189	112	301	259

अध्याय–(13)

यातायात प्रबन्धन

13.1–यातायात निदेशालय का गठन/इतिहास

वर्ष 1985 में प्रदेश की यातायात व्यवस्था चुस्त एवं दुरूस्त रखने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक ग्रेड–11 में यातायात निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के एक अस्थाई निःसंवर्गीय पद का सृजन शासनादेश संख्याः1352/आठ–पु0से0–2–1985 दिनांक 09–04–1985 द्वारा करते हुए यातायात निदेशालय का गठन किया गया। कालांतर में दिनांक 20–7–1997 से पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी की तैनाती मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा की गई। दिनांक 16–1–2006 से इस पद पर अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी की तैनाती की जा रही है तथा वर्तमान में भी इस पद पर अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी की तैनाती है।

13.2– उददेश्य

यातायात प्रबंधन, सड़क सुरक्षा योजनाओं के विषय में शासन से समन्वय स्थापित करने, जनपदों द्वारा कृत कार्यवाही का अनुश्रवण करने तथा जनपदीय अधिकारियों का मार्ग दर्शन करने के उददेश्य से इस निदेशालय की स्थापना हुई है।

(1) सड़क दुर्घटनाओं से सम्बन्धित ऑकड़ों के संकलन, अध्ययन एवं विश्लेषण करने तथा दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों को चिन्हित कर वाहन दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु सुझाव देना ।

(2) राजमार्गो पर गश्त योजनाओं का प्रभावी कियान्वयन कराने हेतु 'ट्रैफिक एड सेंटर'हेतु क्रेन व एम्बुलेंस आदि उपलब्ध कराने तथा उनका सदुपयोग सुनिश्चित कर कृत कार्यवाही की समीक्षा एवं अनुश्रवण का दायित्व भी इन्हें दिया गया है।

(3) यातायात नियमों के प्रर्वतन सम्बन्धी विशेष अभियान चलाना एवं उनकी मानिटरिंग करना।

(4) यातायात कर्मचारियों/अधिकारियों को यातायात सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान कराना।

(5) यातायात नियमों का प्रचार–प्रसार करना तथा यातायात पुलिस द्वाराछात्र/छात्राओं/एन. सी.सी. कैडेट्स/वाहन चालकों (प्राइवेट/कामर्शियल)को यातायात नियमों का प्रशिक्षण प्रदान करना।

(6) उ0प्र0 पुलिस यातायात प्रबंधन निधि नियमावली के रख–रखाव, सदुपयोग आदि का अनुश्रवण।

(7) यातायात सम्बन्धी उपकरणें को कय कर जनपदों को उपलब्ध कराने सम्बन्धी कार्यवाही सम्पन्न कराने का दायित्व ।

(8) यातायात पुलिस के अराजपत्रित अधिकारियों/ कर्मचारियों की स्थापना सम्बन्धी समस्त कार्यवाही करना

- (ए) यातायात निरीक्षकों के चयन/प्रशिक्षण ।
- (बी) यातायात उप निरीक्षकों के चयन/प्रशिक्षण एवं नियुक्ति ।
- (सी) मुख्य आरक्षी/आरक्षी यातायात के प्रशिक्षण/नियुक्ति सम्बनधी कार्य ।
- (डी) यातायात पुलिस के राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारियों की प्राप्त शिकायतों की जॉच कराना तथा आवश्यक कार्यवाही कराना ।
- (ई) जनपदों में यातायात पुलिस लाइन्स एवं यातायात पुलिस के कार्यो का निरीक्षण करना/कराना ।

(एफ) पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक यातायात के गोपनीय वार्षिक मन्तव्य स्वीकृति से पूर्व उनके कार्यो पर समीक्षात्मक टिप्पणी पुलिस महानिदेशक को उपलब्ध कराना ।

13.3– उपलब्धियों का विवरण

वर्ष–2010 में यातायात प्रबन्धन के सभी आयामों में उल्लेखनीय सुधार हुये हैं, जिनका विवरण निम्नवत् हैः–

13.3 (1) प्रवर्तन

(अ) आलोच्य वर्ष में वाहन मालिकों/चालकों के उत्पीड़न व अवैध वसूली करने वाले 27 कर्मियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी। वाहन जनित प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु कुल 37,043 वाहनों के चालान किये गये।

(ब) आलोच्य वर्ष में यातायात सम्बंधी अपराधों के लिये कुल 16,32,515 चालान किये गये तथा अपराधों का शमन कर मौके पर प्राप्त जुर्माने से कुल रू0–17,45,18,881.00 की धनराशि ट्रेजरी में जमा कराई गयी। विभिन्न उपकरणों यथा व्हील क्लैम्प, स्पीड राडार विद प्रिन्टर, स्पीड राडार विद बिल्ट इन कैमरा एण्ड वीडियो प्रिन्टर, ब्रेथ एनलाइजर विद प्रिन्टर तथा इण्टरसेप्टर का प्रयोग कर वर्ष–2010 में कुल 72,556 वाहनों का चालान किया गया।

(स) लाल नीली फ्लैशर/बत्ती, हूटर/सायरन, प्रेशर हार्न, काला शीशा, बोर्ड/पदनाम पट्टिका, निर्धारित मानकों के अनुरूप नम्बर प्लेट न लगाये जाने एवं चौपहिया वाहनों के शीशों के निर्धारित मानक से अधिक काला होने पर कार्यवाही कराये जाने के मा0 न्यायालय के निर्देशों के सम्बंध में चलाये गये अभियानों के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 2,31,382 वाहनों का चालान तथा 12725 वाहनों को सीज किया गया।

13.3 (2) सड़क सुरक्षा एवं ट्रैफिक एजूकेशन

आलोच्य वर्ष में यातायात निदेशालय द्वारा अपने स्तर से तैयार कराकर एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त यातायात नियम/सड़क सुरक्षा सम्बंधी 14 हजार कैलैण्डर्स, 4.2 हजार बुकलेट्स, 1.2 हजार कलर बुक, 02 हजार क्लाथ बैग एवं 500 मल्टीमीडिया गेम सी.डी. आदि प्रदेश के जनपदों को जनसामान्य को सड़क सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करने हेतु वितरित करायी गयी। जनसामान्य को यातायात नियमों के बारे में शिक्षित एवं जागरूक करने हेतु माह नवम्बर में यातायात माह मनाया गया। सिनेमाहाल/केबिल टी0वी0 पर क्रमशः स्लाइड्स दिखाकर एवं स्क्राल चलवाकर भी जनसामान्य को जागरूक कराया गया। वाहन चालकों/मालिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से 301 गोष्ठियां आयोजित की गयीं। यातायात नियमों के प्रति व्यापक प्रचार–प्रसार व उनके अनुपालन की उपयोगिता के सम्बंध में व्यापार मण्डल, ट्रांसपोर्ट एसोशियेशन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ जनपद स्तर पर 363 गोष्ठियां, तहसील स्तर पर 389 गोष्ठियां एवं थाना स्तर पर 1480 गोष्ठियां आयोजित की गयीं। यातायात नियमों के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु सभी जनपदों में छात्र–छात्राओं की रैली, वाद–विवाद, क्वीज एवं पेन्टिग प्रतियोगिता आयोजित कराई गयी। इस सम्बंध में 308 निबन्ध/पेन्टिंग प्रतियोगितायें आयोजित की गयीं। यातायात पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा विभिन्न विद्यालयों में जाकर छात्र–छात्राओं के साथ–साथ शिक्षकों एवं अभिभावकों को भी यातायात नियमों की जानकारी दी गयी। इस अवधि में वाहन चालकों के लिये 205 स्वास्थ्य शिविर लगाये गये जिसके अन्तर्गत उनके स्वास्थ्य के साथ–साथ ऑखों की चेकिंग भी करायी गयी। पार्किंग व्यवस्था विकसित करने के सम्बंध में भी जागरूक करते हुये, गलत पार्क वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही करायी गयी।

13.3 (3) प्रोविजनिंग

यातायात निदेशालय के प्रयासों से प्रदेश में आधुनिकतम उपकरणोंयुक्त 06 इन्टरसेप्टर वाहन उपलब्ध हो गये हैं। चालान हेतु 205 ब्रेथ एनलाइजर, 44 स्पीड राडार विद बिल्ट इन कैमरा एण्ड वीडियो प्रिन्टर, 76 स्पीड राडार विद प्रिन्टर, 978व्हील कलैम्प, 26 गैस एनलाइजर व 19 स्मोक मीटर यातायात प्रवर्तन की कार्यवाही हेतु उपलब्ध करा दिये गये हैं।

यातायात संचालन हेतु 3808 मल्टी परपज सेफ्टी बार टार्च, 13116 ट्रैफिक बोलार्ड कोन, 986 मोबाइल बैरियर, 8100 फ्लोरिसेंट सेफ्टी जैकेट एवं 6163 फ्लोरीसेंट ग्लब्स उपलब्ध हैं। सड़क दुर्घटना से मलबा हटाने हेतु 23 केन उपलब्ध हैं।

यातायात निदेशालय द्वारा केन्द्रीय भूतल व परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार से भी प्रयास करके 36 एम्बुलेंस प्राप्त कर, सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु जनपदों को आवंटित किया गया है। इस प्रकार अब प्रदेश के 47 जनपदों के पास एम्बुलेंस उपलब्ध हो गयी है। उल्लेखनीय है कि वर्ष–2010 में पुलिस एम्बुलेंस द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 7915 व्यक्तियों को तत्काल अस्पताल पहुँचाकर चिकित्सीय उपचार दिलाया गया।

13.3 (4) विशेष उपलब्धियां

(I). चालान किये जाने एवं शमन शुल्क प्राप्ति में पारदर्शिता लाने के लिये कम्प्यूटराइज्ड चालान सिस्टम (ई–चालान सिस्टम) प्रदेश के 08 जनपदों यथा–लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद एवं गौतमबुद्धनगर में स्थापित कराकर हैण्ड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से वाहनों का चालान कराया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त प्रदेश के 08 जनपदों यथा–बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, फैजाबाद एवं गोरखपुर में कम्प्यूटराइज्ड चालान सिस्टम (ई–चालान सिस्टम) स्थापित कराया जाना प्रस्तावित है।

(II). प्रदेश के 06 महानगरों (कानपुर नगर/लखनऊ/आगरा/गाजियाबाद /गौतमबुद्धनगर /मेरठ) में आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत कम्प्यूटरीकृत यातायात संकेतकों की स्थापना करायी जा चुकी है। प्रदेश के 08 और जनपदों (इलाहाबाद, वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद, झांसी, अलीगढ़, फैजाबाद व गोरखपुर) में यातायात संकेतकों की स्थापना का प्रस्ताव भेजा गया है।

(III). प्रदेश के सभी जनपदों में सड़क दुर्घटनाओं आदि की सूचना देने हेतु स्थापित टोल फ्री नम्बर 1073 को चालू करा दिया गया है तथा इसे मोबाइल सेवा से जोड़ने के सम्बंध में कार्यवाही प्रचलित है।

(IV). यातायात निदेशालय के प्रयासों से कक्षा–1 से 9 तक के पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा सम्बंधी पाठ सम्मिलित करा दिये गये हैं। सीनियर सेकेन्ड्री लेवल की कक्षाओं के पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा सम्बंधी पाठ सम्मिलित किये जाने के सम्बंध में कार्यवाही प्रचलित है।

13.3 (5) गत 05 वर्षों में मोटर दुर्घटनाओं में मारे गये और घायल हुये व्यक्तियों का विवरण

विवरण	2010	2009	2008	2007	2006
मृतक (मरे हुये) व्यक्तियों की संख्या	15410	14318	13151	11984	10996
घायल व्यक्तियों की संख्या	20728	20200	19431	16098	13960

13.3 (6) मोटर वेहकिल एक्ट के अन्तर्गत किये गये चालानों तथा प्राप्त किये गये शमन शुल्क के पॉच वर्षों के तुलनात्मक ऑकड़े–

चालानों का विवरण	2010	2009	2008	2007	2006
	1632515	1763329	1598405	1346250	1150761
शमन शुल्क का विवरण	2010	2009	2008	2007	2006
	17,45,18,881=00	18,11,68,601=00	18,40,62,834=00	12,60,18,776=00	08,77,09,991=00

अध्याय–(14)

उ0प्र0अग्नि शमन सेवा

14.1 उ0प्र0 अग्निशमन सेवा की स्थापना 26 जुलाई 1944 को उ0प्र0 अग्निशमन सेवा अधिनियम 1944 के अर्न्तगत उ0प्र0 में नगरपालिकाओं के अधीन 5 महानगरों के फायर स्टेशनों को अधिग्रहीत करके की गई।

वर्ष 1944 में 8 फायर स्टेशनों तथा 198 कर्मियों से प्रारम्भ करके वर्तमान में उ0प्र0 के 72 जनपदों में 241 फायर स्टेशन तथा 7703 कर्मी व 1143 अग्निशमन यंत्रो/उपकरणों से उ0प्र0 अग्निशमन सेवा द्वारा अपनी सेवायें प्रदान की जा रही है।

प्रदेश में बढ़ती जन संख्या, औद्योगीकरण, बहुमंजिली भवनों का निर्माण, आतंकवादी गतिविधियों तथा दंगों आदि के कारण अग्निशमन सेवा को नई–नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अग्नि नियंत्रण के अतिरिक्त सर्च एवं रेस्क्यू जैसे कार्य भी उ0प्र0 अग्निशमन सेवा द्वारा किया जाता है।

उ0प्र0 अग्निशमन सेवा प्रदेश स्तर पर मुख्यालय तथा जनपदों में फायर स्टेशनों के माध्यम से कार्य करती है।

14.2 अग्निकाण्डः–

वर्ष 2010 में घटित अग्निकाण्डों का विवरण :–

(1)–अग्निकाण्डों की संख्या– 28009

(2)–बचाये गये प्राणों की संख्या– 5885

(3)–बचाई गई अनुमानित सम्पत्ति– रू0 13,98,63,55,984

14.3 सराहनींय कार्य :–

वर्ष 2010 में उ0प्र0 अग्निशमन शाखा के निम्नलिखित कर्मियों को उनके वीरता/विशिष्ट/सराहनींय सेवाओं हेतु अग्निशमन सेवा पदक से अलंकृत किया गया :–

वीरता के लिये "राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक"

1–	स्व0 श्री अजय कुमार चन्द्र	फायरमैन	जनपद आजमगढ़ (मरणोंपरान्त)
2–	स्व0 श्री हरी लाल यादव	फायरमैन	जनपद आजमगढ़ (मरणोंपरान्त)

वीरता के लिये अग्निशमन सेवा पदक

1–	श्री अजय कुमार शर्मा	अग्निशमन अधिकारी	जनपद मुजफ्फरनगर
2–	श्री सुलेश चन्द शर्मा	लीडिंग फायरमैन	जनपद मुजफ्फरनगर
3–	श्री बृजमोहन शर्मा	लीडिंग फायरमैन	जनपद मुजफ्फरनगर
4–	श्री बृजपाल सिंह	फायरमैन	जनपद मुजफ्फरनगर
5–	श्री शंकर सरन राय	अग्निशमन अधिकारी	जनपद आजमगढ़
6–	श्री दीनानाथ त्रिपाठी	अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	जनपद आजमगढ़
7–	श्री अफरोज आलम खॉन	लीडिंग फायरमैन	जनपद आजमगढ़
8–	श्री हरीश चन्द्र	फायरमैन	जनपद आजमगढ़
9–	श्री अलजीत यादव	फायरमैन	जनपद आजमगढ़

10—	श्री पृथ्वी राज तिवारी	अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	जनपद कानपुर
11—	श्री रमेश सिंह चौहान	लीडिंग फायरमैन	जनपद कानपुर
12—	श्री मिथलेश शुक्ला	फायरमैन	जनपद कानपुर
13—	श्री प्यारे लाल सोनकर	फायरमैन	जनपद कानपुर

विशिष्ट सेवाओं हेतु अग्निशमन सेवा पदक

1—	श्री योगेश बाबू द्विवेदी	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	जनपद मथुरा

सराहनीय सेवाओं हेतु अग्निशमन सेवा पदक

1—	श्री जाकिर हुसैन रिजवी	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	जनपद बॉदा
2—	श्री वी0पी0 सिंह	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	जनपद गोरखपुर

सराहनींय सेवा सम्मान चिन्ह

1—	श्री कैलाश चन्द	अग्निशमन अधिकारी	जनपद सुल्तानपुर
2—	श्री विश्वनाथ प्रसाद पाण्डेय	लीडिंग फायरमैन	जनपद सुल्तानपुर
3—	श्री विनोद कुमार पाण्डेय	लीडिंग फायरमैन	जनपद लखनऊ।
4—	श्री नईमुद्दीन	फायरमैन	जनपद झॉसी

अध्याय–(15)
राजकीय रेलवे पुलिस

15.1 विभागीय संरचना

वर्ष 1854 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अपने रेलवे क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा रेलवे सामान की सुरक्षा आदि के लिए कुछ स्टाफ की नियुक्ति की, जिसे पुलिस कहा जाता था । यह सरकारी पुलिस नहीं थी और कम्पनी के अधीन कार्य करती थी । राजकीय रेलवे पुलिस सामान्य पुलिस की अलग शाखा है, जो पुलिस अधिनियम 1961 के अधीन इसकी स्थापना की गयी है ।

15.2 जी0आर0पी0 का संक्षिप्त इतिहास

राजकीय रेलवे पुलिस सामान्य पुलिस बल की एक स्वतंत्र इकाई है, उत्तरांचल राज्य बन जाने के फलस्वरूप राजकीय रेलवे पुलिस का कार्य क्षेत्र भारतीय रेलवे 2827 किमी0 के अर्न्तगत सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश 922 रेलवे स्टेशनों पर फैला हुआ है । वर्तमान में 04 रेलवे जोन्स की रेल गाडियॉ उत्तर प्रदेश से गुजरती है । प्रदेश के अन्दर 09 मण्डल रेल प्रबन्धक एवं प्रदेश के बाहर 02 मण्डल रेल प्रबन्धक आते है । यह शाखा अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है । उत्तर प्रदेश राजकीय रेलवे पुलिस 02 जोनो में विभाजित किया गया है, जिनके मुख्यालय, इलाहाबाद एवं लखनऊ में स्थापित हैं । इलाहाबाद जोन में 03 अनुभाग कमशः आगरा/इलाहाबाद/झॉसी एवं लखनऊ जोन में कमशः लखनऊ/मुरादाबाद एवं गोरखपुर है । रेलवे जोन का प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक रेलवे एवं परिक्षेत्र का प्रभारी पुलिस उपमहानिरीक्षक रेलवे है । पुलिस उपमहानिरीक्षक के अधीन 03 अनुभाग हैं और अनुभाग स्तर पर पुलिस अधीक्षक रेलवे प्रभारी है । थाना/चौकियों के निकट पर्यवेक्षण के उद्देश्य से जीआरपी अनुभागों में पुलिस अधीक्षक रेलवे के अधीन 13 पुलिस उपाधीक्षकों की नियुक्ति की गयी है ।

15.3 क्रिया–कलापों/मुख्य उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण

जीआरपी परिक्षेत्रीय कार्यालय/अनुभागीय कार्यालय एवं सर्किल अफसर के कार्यालय जनपदीय पुलिस कार्यालयों के अनुसार ही कार्य सम्पादन का अधिकार प्रदत्त है । इस इकाई में पूरे उत्तर प्रदेश के अर्न्तगत कुल 65 थाने एवं 43 चौकियॉ स्थापित है, जिसका मुख्य कार्य रेलवे स्टेशन, प्लेटफार्म, पर पेट्रोलिंग, ट्रेन स्कोर्ट ड्यिूटी, अपराधों का पंजीकरण, विवेचना एवं अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही, क्यू0आर0टी0 टीम द्वारा अपराधियों के बारे में जानकारी एकत्र करना, व अपराधियों तथा असामाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही करना इत्यादि है ।

वर्तमान कानून व्यवस्था को देखते हुए आधुनिकीकरण योजना के तहत वर्ष 2005 से अब तक फोटोकापियर मशीन–6, सी0सी0टी0वी0–39, ड्रेगन लाइट–355, लाउड हेलर–135, स्ट्रेचर–65, फर्स्टएड वाक्स–65, पी0ए0 सिस्टम–5, सर्विलांस किट–7, प्रोडर–6, एक्सप्लोसिव डिटेक्टर–4, डीप सर्च मेटल डिटेक्टर–4, बाम्ब सूट–2, एक्सरे एनलाइजर–2, कोलेप्सेबु सर्च मिरर–18, एचएचएमडी–346, बाम्ब बास्केट–4, एवं बुलेट प्रूफ जैकेट–60 जीआरपी को उपलब्ध कराये गये हैं । जीआरपी के सभी अनुभागों में सर्विलान्स सेल गठित कर दिया गया है, तथा मुरादाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद अनुभाग में पूर्ण कालिक कम्प्यूटर लैब स्थापित किए गए है,

जिससे निरन्तर कर्मचारियों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण मिलता रहे । अपराध नियंत्रण हेतु सभी अनुभागों में एस0ओ0जी0 टीम भी गठित की गयी है ।

राजकीय रेलवे पुलिस के सभी थाने/चौकियों पर टाप–10, व टाप–5 अपराधियों की सूचियॉ तैयार करायी गयी तथा उन पर निरन्तर सक्रियता के साथ निगरानी की जा रही है । बडी संख्या में गैंग पंजीकृत कराये गये हैं । शातिर अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली गयी है तथा वर्ष 2010 में 300 से ऊपर अपराधियों के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है । विदेशियों के साथ घटित होने वाले अपराधों की रोकथाम हेतु कडे उपाय किए गए हैं, उनको जीआरपी का संदेश पढाया जा रहा है, जिससे वह सर्तक रहें ।

15.4 प्रमुख चुनौतियों का संक्षिप्त विवरण

वर्ष 2010 के अर्न्तगत कामनवेल्थ गेम्स, ग्राम पंचायत चुनाव, माननीय न्यायालय द्वारा राम जन्म भूमि विवाद पर पारित निर्णय, माघ मेला इलाहाबाद एवं विभिन्न त्योहार इत्यादि शुभ अवसरों पर रेल में यात्रियों की सुरक्षा, रेल परिसर एवं रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा इत्यादि प्रबन्ध बडी सूझ बूझ के साथ अतिरिक्त पुलिस बल लगाकर सम्पन्न कराये गये हैं, तथा वर्तमान में आर्मी की भर्ती, आयोग की भर्ती तथा अन्य परीक्षाओं एवं त्योहारों के अवसर पर ट्रेनों में अत्यधिक भीड, जो विभाग के समक्ष प्रमुख चुनौती थी ।

विगत 05 वर्ष के तुलनात्मक अपराध ऑकडे

अपराध															निरोधात्मक कार्यवाही									
कुल चोरी					लूट					डकैती					गैंगेस्टर की कार्यवाही					कुल				
2010	2009	2008	2007	2006	2010	2009	2008	2007	2006	2010	2009	2008	2007	2006	2010	2009	2008	2007	2006	2010	2009	2008	2007	2006
1741	603	813	956	1866	57	17	23	15	12	10	01	09	09	02	115	74	61	26	04	1919	13453	7425	4407	4417

नोटः– वर्ष 2006–07 में उपरोक्त में टी0सी0 नं0 पर पंजीकृत अभियोग सम्मिलित नहीं है ।

(1)– वर्ष 2010 में डकैती में रू0 2,45,019–00 की सम्पत्ति लूटी गयी, जिसमें रू. 11,95,40–00 की बरामदगी की गयी ।

(2)– वर्ष 2010 में लूट में रू0 10,63,775–00 की सम्पत्ति लूटी गयी, जिसमें रू. 38,41,45–00 की बरामदगी की गयी ।

(3)– वर्ष 2010 में चोरी में रू0 33,24,17,32–00 की सम्पत्ति चोरी गयी, जिसमें रू. 34,86,422–00 की बरामदगी की गयी ।

(4)– वर्ष 2010 में जहरखुरानी में रू0 20,71,775–00 की सम्पत्ति चोरी गयी, जिसमें रू. 88,38,60–00 की बरामदगी की गयी ।

(5)– इसके अतिरिक्त वर्ष 2010 में–340 मोबाइल की बरामदगी की गयी ।

(6)– अन्य अपराधों से सम्बन्धित कुल रू0 25,93,250 की सम्पत्ति चोरी हुई, जिसमें रू0 33,52,169 की बरामदगी हुई ।

अध्याय–(16)
उ0प्र0पुलिस रेडियो विभाग

16.1 उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग का उद्भव

भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहॉ पुलिस कार्य में रेडियो संचार का प्रयोग किया गया। उ0प्र0 पुलिस के इतिहास में वर्ष 1938 अत्यन्त महत्वपूर्ण वर्ष है। इसी वर्ष पुलिस अधीक्षक श्री ई0 डब्लू हन्ट द्वारा तीन एच0एफ0 सेटों के माध्यम से मोबाईल रेडियो संचार अवधारणा को साकार रूप दिया गया। वर्ष 1943 में एक पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी के सीधे प्रशासनिक नियन्त्रण में 05 सहायक उपनिरीक्षकों एवं 22 प्रधान आरक्षियों को मिलाकर पुलिस वायरलेस टेलीग्राफी सेवा का औपचारिक गठन हुआ जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग के नाम से सुपरिचित है।

16.2 उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग के क्रिया–कलाप उद्देश्य एवं सेवा सिद्धान्त

उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग द्वारा प्रदेश पुलिस एवं प्रशासन को वायरलेस कैप्टिव नेटवर्क के माध्यम से रेडियो संचार सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। Speed-Security-Service उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग का सेवा सिद्धान्त है। इस सेवा सिद्धान्त का पालन इस विभाग द्वारा पूर्ण निष्ठा एवं सेवाभाव से किया जा रहा है। विभाग का सबसे महत्वपूर्ण कर्मसूत्र आत्म निर्भरता (Self Sufficiency) है जिस हेतु विभाग का अपना प्रशिक्षण केन्द्र हैं जहां विभागीय कार्मिकों के अतिरिक्त भारतवर्ष के अधिकांश प्रदेशों के पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। विभाग द्वारा प्रयोग किये जा रहे संचार उपकरणों के सतत् अनुरक्षण हेतु रेडियो मुख्यालय के केन्द्रीय कर्मशाला के अतिरिक्त जनपदों में जनपदीय एवं परिक्षेत्रीय कर्मशालाएं भी स्थापित की गयी हैं। इस विभाग द्वारा विद्यमान संचार उपकरणों का सतत् अनुरक्षण करते हुए संचार क्षेत्र में हुए बहुआयामी परिवर्तनों के दृष्टिगत नित नयी संचार तकनीक को अपनाते हुए यथासम्भव पुलिस एवं प्रशासन को उच्चस्तरीय रेडियो संचार सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

16.3 पुलिस रेडियो विभाग द्वारा अपनायी जा रही संचार प्रणालियों का संक्षिप्त विवरण

उ0प्र0 पुलिस रेडियो विभाग ने प्रदेश में रेडियो टेलीफोनी एवं रेडियो टेलीग्राफी का पुलिस एवं प्रशासन की सहायता के लिए एक कैप्टिव नेटवर्क विकसित किया है जो कानून व्यवस्था तथा अन्य राजकीय कार्यों हेतु सन्देशों के सम्प्रेषण में उपयोगी रहा है। उक्त सुविधा का कानून एवं व्यवस्था के नियंत्रण तथा उसके संचालन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

इलेक्ट्रानिक तथा आई0टी0 के क्षेत्र में गत 10–15 वर्षों में आये क्रान्तिकारी परिवर्तनों के फलस्वरूप कम्प्यूटरीकृत आधुनिकी संचार प्रणालियों के विकसित होने के उपरान्त उ0प्र0 पुलिस

रेडियो विभाग द्वारा इन आधुनिक प्रणालियों को अपनाने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है ताकि पुलिस प्रशासन को बेहतर संचार व्यवस्था उपलब्ध करायी जा सके। उक्त क्षेत्र में इस शाखा को कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ भी मिली हैं। पुलिस रेडियो विभाग द्वारा पुलिस एवं प्रशासन को अन्तर्जनपदीय एवं अन्तराजनपदीय संचार उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न संचार तंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत् हैः–

16.4 उ0प्र0 पुलिस द्वारा प्रयोग किये जा रहे संचार तंत्र

क्र.	संचार तन्त्र	विवरण	टिप्पणी
1	एच0एफ0 नेटवर्क	रेडियो टेलीग्राफी एवं रेडियो टेलीफोनी	<u>अन्तर्जनपदीय संचारः</u>– रेडियो टेलीग्राफी के प्रयोग से जनपद मुख्यालयों/परिक्षेत्रीय मुख्यालयों को राज्य मुख्यालय से लिंकअप किया गया है। <u>पीएसी संचारः</u>– पीएसी हेतु स्थापित पृथक एचएफ नेटवर्क पर रेडियो टेलीग्राफी एवं रेडियो टेलीफोनी के प्रयोग से प्रदेश स्थित समस्त वाहिनी मुख्यालयों को पीएसी मुख्यालय से लिंकअप किया गया है।
2	वी0एच0एफ0 नेटवर्क	रेडियो टेलीफोनी	<u>अन्तराजनपदीय संचारः</u>– जनपद मुख्यालयों पर जनपद नियंत्रण कक्ष तथा बड़े जनपदों के नगर क्षेत्रों में नगर नियंत्रण कक्षों की स्थापना करते हुए थानों/चौकियों तथा जनपदीय पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को वीएचएफ रेडियो नेटवर्क पर रेडियो टेलीफोनी के प्रयोग से संचार सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।
3	रेन्ज रिपीटर्स	रेडियो टेलीफोनी	परिक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जनपदों के मध्य रेडियो टेलीफोनी से अन्तर्जनपदीय संचार हेतु वीएचएफ रिपीटर्स का प्रयोग किया गया है।
4	वायरलेस पी0ए0 सिस्टम (वी0एच0एफ0 वन–वे संचार)	रेडियो टेलीफोनी	प्रदेश के महत्वपूर्ण/संवेदनशील जनपदों तथा संवेदनशील धार्मिक स्थलों पर पुलिस/प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों की उद्घोषणाओं हेतु इस सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है।
5	सीसीटीवी सिस्टम	प्रवेश नियंत्रण/ सर्विलान्स सिस्टम	विशिष्ट/संवेदनशील आयोजनों, विभिन्न जुलूसों एवं धार्मिक त्योहारों इत्यादि के समय सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु प्रवेश नियंत्रण के लिए सीसीटीवी सिस्टमों का प्रयोग किया जा रहा है।
6	डायल–100 सिस्टम	कम्प्यूटराइज्ड कॉल सेण्टर तथा रेडियो टेलीफोनी	जनपद–लखनऊ एवं गौतमबुद्ध नगर में नियंत्रण कक्षों का उच्चीकरण करते हुए कॉल सेण्टर की स्थापना की गयी है। नियंत्रण कक्षों को टेलीफोन के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं का डाटाबेस कण्ट्रोलरूम के सर्वर में सुरक्षित

			रखा जाता है एवं प्राप्त सूचनाओं के आधार पर वीएचएफ रेडियो पर कार्यकारी बल को सूचना सम्प्रेषित करते हुए यथा आवश्यक कार्यवाही करायी जाती है। जनपद गौतमबुद्ध नगर में पेट्रोलिंग वाहनों की लोकेशन कण्ट्रोलरूम में प्राप्त करने हेतु एवीएलएस सिस्टम भी स्थापित है।
7	पोलनेट	सेटेलाइट संचार	पोलनेट गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित की गयी सेटेलाईट संचार योजना है जिसके अन्तर्गत राष्ट्र के समस्त राज्यों के पुलिस बल एवं केन्द्रीय तथा अर्द्ध सैनिक बलों हेतु डाटा, वॉयस तथा फैक्स संचार की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। उ0प्र0 के 56 जनपदों में पोलनेट संचार सुविधा उपलब्ध है।
8	सुपर आटोमेक्स/ ई0टी0पी0	लाइन डाटा कम्यूनिकेशन	बी0एस0एन0एल0 के सहयोग से अन्तर्जनपदीय डाटा संचार हेतु टेलीप्रिन्टर लाइनों की व्यवस्था करते हुए ए. एम.एस.एस. (आटोमेटिक मेसेज स्विचिंग सिस्टम) प्रणाली स्थापित की गयी थी। उक्त प्रणाली को बनाये रखने में बीएसएनएल द्वारा अब असमर्थता व्यक्त की जा रही है। अतएव, इस प्रणाली को उच्चीकृत किये जाने के प्रयास किये जा रहे है।

16.5 वर्ष 2010 में पुलिस रेडियो विभाग की मुख्य उपलब्धियों का विवरणः

(1) संचार उपकरणों का क्रयः

वर्ष 2010 में प्रदेश की पुलिस दूरसंचार व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के वायरलेस सेटों का क्रय किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है–

- वीएचएफ स्टैटिक/मोबाइल रेडियो सेट : 416 अदद
- वीएचएफ हैण्ड हेल्ड रेडियो सेट : 192 अदद
- वायरलेस पर आधारित पीए सिस्टम : 872 अदद

(2) अराजपत्रित कार्मिकों की पदोन्नति का विवरणः

वर्ष 2010 में पुलिस रेडियो विभाग के अराजपत्रित संवर्ग में निम्न विवरण के अनुसार कार्मिकों को प्रोन्नति प्रदान किया गया है–

- रेडियो निरीक्षक – 01
- रेडियो अनुरक्षण अधिकारी – 11
- रेडियो केन्द्र अधिकारी – 60
- प्रधान परिचालक – 88
- सहायक परिचालक – 28

अध्याय–(17)
प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस बल (पीएसी)

ब्रिटिश शासन काल में स्थानीय झगड़ों और दंगों आदि से निपटने हेतु एक " सशस्त्र पुलिस का बल" रिजर्व में रखने का विचार पुलिस कमीशन (1902–03) ने प्रस्तुत किया । इन्हीं सिफारिशों को लागू करने के उद्देश्य से संयुक्त प्रान्त (उ0प्र0) में 1914–1918 में एक पुलिस बटालियन की स्थापना की गई थी। वर्ष 1937 से 1940 के बीच उ0प्र0 में कई शहरों में एक साथ भीषण दंगे व उपद्रव हुये। इन आन्तरिक अशान्तियों से निपटने के लिये आर्म्ड पुलिस/पुलिस बटालियन अपर्याप्त सिद्ध हुई। अतः सेना की सहायता लेनी पड़ती थी ।

द्वितीय विश्व युद्ध के छिड़ते ही सेना को आन्तरिक ड्यूटी हेतु दे पाना कठिन हो गया । अतः सेना को आन्तरिक सुरक्षा ड्यिूटी की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के उद्देश्य से 1940 में "यूनाइटेड प्राविन्सेज मिलिट्री पुलिस" का गठन किया गया । 1945 के विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात भी मिलिट्री पुलिस की आवश्यकता बनी रही ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात 26 सितम्बर 1947 में "मिलिट्री पुलिस" का पुनर्गठन बटालियन के आधार पर कर दिया गया । इस प्रकार 86 कम्पनियों को पुनर्गठित कर 11 वाहिनियों में कर दिया गया । शासनादेश संख्या 4980/आठ दिनांकित 17.12.47 द्वारा "मिलिट्री पुलिस" का नाम बदल कर "प्राविन्शियल आर्म्ड कान्सटेबुलरी", के स्थान पर बल का नाम "प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी" कर दिया गया ।

1948 में पी0ए0सी0 एक्ट बना जिसमें 1956 में संशोधन करते हुये प्रोविन्शियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी के स्थान पर बल का नाम "प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी" कर दिया गया। पी0ए0सी0 एक्ट को ध्यान में रखते हुये पी0ए0सी0 के आन्तरिक व संगठनात्मक प्रशासन को चलाने हेतु पी0ए0सी0 मैनुअल बनाया गया।

वर्तमान में राज्य में 33 वाहिनियां कार्यरत है।

17.1–किया कलाप/उपलब्धियां –

(1) पीएसी की अधिकांश वाहिनियों द्वारा वर्ष 2010 में सम्पन्न उ0प्र0 पंचायत चुनाव ड्यूटी, पश्चिम बंगाल की चुनाव ड्यूटी, जन्म भूमि सुरक्षा ड्यूटी, अयोध्या प्रकरण में शान्ति व्यवस्था ड्यूटी, क्वीन बैटन रिले की ड्यूटियों को सतर्कता व उत्साह पूर्वक सम्पन्न की गयी ।

(2) अधिकांश वाहिनियों ने केन्द्रीय सबसिडयरी कैन्टीनों की स्थापना कर अपने कर्मचारियों का कल्याण करने का प्रयास किया ।

(3) अधिकांश वाहिनियों द्वारा वर्ष भर योग शिविर तथा स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जिनमें स्वास्थ्य परीक्षण व टीकाकरण का कार्यकम आयोजित किया गया ।

(4) पेय जल समस्या को दूर करने के उद्देश्य से वाहिनियों में आर0ओ0 सिस्टम व प्यूरीफायर लगवाये गये/समरसेबुल व हैण्ड पम्प लगवाये गये ।

(5) वाहिनियों में एटीएम स्थापित किये गये ।

(6) वाहिनियों में सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत किये गये ।

(7) विभिन्न आवासीय भवनों का श्रमदान के माध्यम से जीर्णोद्धार किया गया ।

(8) विभिन्न वाहिनियों में रोजगार परक कार्यशालाओं का आयोजन कर जागरूकता बढ़ाई गयी।

(9) वाहिनियों में कम्प्यूटर ट्रेनिंग कक्षाओं का आयोजन किया गया ।

(10) सिलाई कढ़ाई, बुनाई का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया । क

(11) मनोरंजन कक्ष में डीटीएच, डीवीडी प्लेयर एवं टीवी इत्यादि का क्रय किया गया ।

(12) पुस्तकालयों की स्थापना की गयी तथा प्रतियोगिता विषयक पुस्तकों का कय किया गया।

(13) गैस एजेन्सियों की स्थापना की गयी ।

(14) एल0पी0जी0 प्रयोग करने एवं उसमें होने वाली दुर्घटना से बचाव के सम्बन्ध में जागरूकता व जानकारी हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया गया ।

(15) वृक्षारोपण के वृहद कार्यक्रम भी चलाये गये ।

(16) बीएसएनएल का टावर लगवाया गया (27वीं वाहिनी)।

(17) जिम व हेल्थ क्लब भी स्थापित किये गये।

(18) 26वीं वाहिनी पीएसी गोरखपुर में मुख्यालय शाखा में नियुक्त मुख्य आरक्षी 7105704006 *श्री रामनाथ सिंह को सराहनीय सेवाओं के लिये स्वतंत्रता दिवस 2010 के अवसर पर* महामहिम राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान किया गया ।

(19) 39वीं वाहिनी के पीसी श्री सहनवाज व मुख्य आरक्षी हृदयनारायण शर्मा को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस पदक एवं सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किया गया।

(20) विद्यालय के छात्रों का माह जनवरी 2010 के अन्तिम सप्ताह में अखिल भारतीय गणित ओलम्पियार्ड में भाग लिया जिसमें दिव्या तिवारी कक्षा तृतीय की छात्रा ने सर्वाधिक 92 प्रतिशत अंक अर्जित करके स्वर्ण पदक प्राप्त किया

17.2 सराहनीय कार्य

09वीं वाहिनी पीएसी, मुरादाबाद

वाहिनी के 'जे' दल में नियुक्त आरक्षी 12894 प्रशान्त कुमार द्वारा जजी परिसर बिजनौर में ड्यूटी के दौरान पेशी पर लाये गये बंगलादेशी अपराधी मौ0 युनूस को बाद पेशी अदालत से बाहर ले जाते समय पुलिस कर्मियों को चकमा देकर भागने पर उक्त आरक्षी द्वारा दौड़ाकर पीछा करते हुए पकड़ लिया गया, जिसकी प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रशंसा की गई एवं पीएसी बल का नाम उज्ज्वल हुआ।

23वीं वाहिनी पीएसी, मुरादाबाद

- वाहिनी के "ए" दल के हरिद्वार मेला ड्यूटी में नियुक्ति के दौरान दिनांक 5–4–2010 को थाना बैरागी हरिद्वार के अन्तर्गत सेक्टर 04 में स्थित माधव खालसा गुजरात शिविर में गैस सिलेण्डर फट जाने के कारण भीषण आग लग गयी। वही पर "ए" दल की एक सेक्शन सेक्टर 02 से सेक्टर 06 तक गश्त ड्यूटी में नियुक्त थी। शिविर में लगी आग को सेक्शन के कर्मचारियों द्वारा साहस एवं धैर्य का परिचय देते हुये पंडाल में फंसे श्रद्धालुओं को आग की चपेट से बचाया तथा आग पर काबू किया गया। वहीं पण्डाल में "ए" दल के साथ जनशक्ति पूर्ति हेतु नियुक्त आरक्षी 29460/930700344 श्याम कुमार "एच" दल को एक पर्स मिला, जिसमें 19000/– (उन्नीस हजार रुपये) थे। उक्त आरक्षी द्वारा मौके पर मौजूद पुलिस उपमहानिरीक्षक, कुम्भ मेला हरिद्वार को सुपुर्द किया। उक्त आरक्षी की ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा से प्रभावित होकर महोदय द्वारा 2500/– (ढाई हजार रुपये) देने की घोषणा की गयी। आरक्षी द्वारा किये गये

उपरोक्त सराहनीय कार्य की प्रशंसा स्थानीय समाचार पत्र अमर उजाला द्वारा अपने अंक दिनांक: 06–04–2010 में प्रकाशित की गयी।

24वीं वाहिनी पीएसी, मुरादाबाद

दिनांक: 16.04.2010 को हरिद्वार महाकुम्भ मेले के दौरान इस वाहिनी के आरक्षी 30881 दिनेश चन्द्र यादव की ड्यूटी मालवीय दीप हरिद्वार में लगाई गयी थी, समय 14:30 बजे श्री त्रिभुवन सिंह (निवासी भारत नगर पुरानी दिल्ली) की पॉच वर्षीय पुत्री नहाते समय डूबकर बहने लगी, शोर गुल सुनकर ड्यूटी पर मुस्तैद उक्त आरक्षी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बावर्दी उक्त बालिका को बचाने के लिए गंगा जी में छलांग लगा दी। परिणम स्वरूप आरक्षी द्वारा बालिका को बचा लिया गया ।

06वीं वाहिनी पीएसी, मेरठ

1– बाढ़ राहत प्रशिक्षणरत वाहिनी के "एफ" दल बृजघाट में दिंनाक 27.05.2010 को समय लगभग 1000 बजे प्रशिक्षण के दौरान दल के पीसी श्री जयप्रकाश वर्मा को मनीष कुमार ने सूचना दी कि उसके भाई–बहन तथा मॉ गंगा में डूब रही है, इस सूचना पर कर्मियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए श्रीमती उषा रानी पत्नी श्री ओमप्रकाश, कु0 प्रीति पुत्री ओमप्रकाश निवासी 867 घढौली, डेरी कालोनी मयूर विहार, फेस।।। दिल्ली 96 को सकुशल बचाया तथा प्रवीण कुमार जो डूब चुका था, को गंगा जी में सघन तलाशी कर बाहर निकाला, जिसकी जनता एंव पुलिस के अधिकारियों द्वारा भूरि–भूरि प्रंशसा की गयी।

2– दिनांक 16.05.10 को उपरोक्त बाढ़ राहत प्रशिक्षण दल द्वारा बृजघाट के मुख्य घाट पर दीपांशू पुत्र संजय सक्सेना तथा संतोष कुमार पुत्र शारदा नन्द निवासी ।।। फ्लोर लक्ष्मीनगर दिल्ली 92 के अचानक गहरे पानी में डूबने पर दलनायक श्री रामबीर सिंह, आरक्षी 8450 वकील अहमद तथा आरक्षी 8382 दीपचन्द ने अथक प्रयास एवं मेहनत से सकुशल बचाया जिसकी, जनता एंव पुलिस के अधिकारियों द्वारा भूरि–भूरि प्रंशसा की गयी।

41वीं वाहिनी पीएसी, गाजियाबाद

1– दिनांक 06.08.2010 को मुरादनगर नहर पुल पर गाजियाबाद में कॉवड मेला में फ्लड डियूटी के दौरान गंग नहर में स्नान करते हुये एक दर्जन कॉवडियों नितिन, देवेन्द्र, अनूप, सुनील, रोहित, गाजियाबाद व विनय, नेपाल, भीकमपुर, राजू दिल्ली, राजकुमार व सोनू फरीदाबाद को अचानक गहरे पानी में डूब जाने के कारण डूबने से बचाया गया।

2– दिनांक 04.08.2010 को इस वाहिनी के "ए" दल के फ्लड डियूटी के दौरान गंग नहर सौदापुर थाना निवाड़ी गाजियाबाद में पानी में बह रहे नारियल को निकालने हेतु तीन बच्चें नहर में कूद पड़े। पानी का बहाव तेज होने के कारण तीनों बच्चे सन्नी, मयंक व अरूण पानी की तेज धारा के साथ बहने लगे डियूटी में नियुक्त जवानों द्वारा अथक मेहनत कर तीनों बच्चो को डूबने से बचाया गया।

3– दिनांक 05.08.2010 को साय 1615 बजे निरंकारी कालोनी दिल्ली निवासी दो युवक विनीत शर्मा पुत्र श्री तारेश शर्मा व रजत त्यागी पुत्र श्री सुनील त्यागी जो बीए तृतीय वर्ष के छात्र मुरादनगर गंगनहर में नहाते समय डूब गये थे वहॉ पर उपस्थित नागरिको व कॉवडियो द्वारा शोर मचाने पर वाहिनी के जवानों द्वारा पानी में कूदकर काफी मेहनत एवं मशक्कत के पश्चात दोनो युवको को पानी में डूबने से बचाया गया।

4– दिनांक 01.11.2009 को दल के पीसी श्री मुख्त्यार सिंह के नेतृत्व में मु0आ0प्रो0 820710119 रामपाल सिंह, मु0आ0 840470356 श्योनाथ सिंह, नायक 900540082 सुनील कुमार, ला0ना0 910710062 पवन कुमार, आरक्षी 920710938 यूनिस अली व आरक्षी चालक देवेन्द्र सिंह ने बृजघाट में आयोजित हुये कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर रमन, दुलीचन्द, हरलाल निवासी दिल्ली, गोकरण व सुकलाल निवासी गाजियाबाद, रामप्यारी निवासी फरीदाबाद, जयपाल

निवासी मेरठ को अपनी जान की परवाह न करते हुये गंगा नदी के किनारे से गहरे पानी में पहुँचने पर डूबने से बचाया।

44वीं वाहिनी पीएसी, मेरठ

दिनांक 13.3.2010 को महाकुम्भ मेला डियूटी के दौरान इस वाहिनी के "ए" दल की एक सेक्शन को तीन बैग मिले जिसमे लगभग तीन हजार रूपये का कीमती समान था, जो कि मुख्य आरक्षी विशेष श्रेणी 52031 इन्द्रजीत सिंह द्वारा ईमानदारी के साथ पुलिस चौकी हरकी पैड़ी पर जमा किया गया तथा ईमानदारी का परिचय दिया।

15वीं वाहिनी पीएसी, आगरा

1– दिनांक 28.07.2010 को सी दल के व्यवस्थापित पोस्ट केसी घाट वृदावन मथुरा पर यमुना नदी के गहरे पानी में स्नान करते समय श्री चिरजीवि निवासी विशाखापट्नम को पी0सी0वि0श्रे0 श्री ओम प्रकाश शर्मा के हमराह मु0आ0 उदयवीर सिह, मु0आ0 सुभाष चन्द नायक अरविन्द सिह, नायक रूप किशोर एवं आरक्षी जसवत सिह ने जान जोखिम में डालकर अदम्य साहस का परिचय देते हुये डूबने से बचाया।

2– दिनांक 12.08.2010 प्रातः 0830 बजे चीरघाट केसीघाट वृदावन, मथुरा में स्नान करते समय सुमित कुमार पुत्र श्री अनन्त राम उम्र 20 वर्ष तथा राहुल गुलाटी पुत्र श्री अशोक गुलाटी निवासी फरीदाबाद उम्र 17 वर्ष गहरे पानी में बहकर डूब गये पीएसी कर्मियों द्वारा जान जोखिम में डालकर उक्त दोनों व्यक्तियो को जीवित बाहर निकाला।

3– दिनांक 12.09.2010 को रात्रि करीब 2200 ग्राम पिथौरा अड्डा थाना नौझील मथुरा में यमुना नदी में बाढ़ की स्थिति में फसें 06 किसानों को मध्य रात्रि पीएसी कर्मियों द्वारा अपनी जान की परवाह न करते हुये पानी में 07 किमी चलकर जीवित बचाने मे कामयाबी हासिल की। उक्त कार्य के लिये दिनांक 13.09.2010 को जिलाधिकारी मथुरा द्वारा रू0 5100 का नगद पुरस्कार दिया गया।

37वीं वाहिनी पीएसी, कानपुर

वाहिनी का 'डी' दल (बाढ़ राहत) जनपद–बाराबंकी में व्यवस्थापन के ड्यूटी के दौरान दिनांक 28.08.2010 को ग्राम–परसावल, थाना–टिकैतनगर, जनपद–बाराबंकी के पास घाघरा नदी का तटबन्ध टूट जाने के कारण कई गॉव जलमग्न हो गये थे। जिलाधिकारी महोदय बाराबंकी के निर्देशानुसार वाहिनी का सम्पूर्ण 'डी' दल मय बाढ़ राहत उपकरणों के साथ तत्काल घटना स्थल पर पहुँचकर दिन–रात अथक परिश्रम करके कई सौ लोगों को बाहर निकालकर उनके जानमाल की रक्षा की गयी । जिसके फलस्वरूप जिलाधिकारी, बाराबंकी द्वारा सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र से नवाजा गया तथा वहाँ पर मौजूद तत्कालीन पुलिस उपमहानिरीक्षक रेंज श्री ए0के0 राय द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों के अथक परिश्रम को देखकर भूरि–भूरि प्रशंसा की गयी तथा नकद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गयी। इसके अतिरिक्त क्षेत्र वासियों द्वारा की गयी प्रशंसा को देखते हुए मीडिया के सदस्यों द्वारा इस सराहनीय कार्य को स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया।

20वीं वाहिनी पीएसी, आजमगढ़

वाहिनी की बाढ़ राहत "ई" दल रेलवे स्टेशन दोहरी घाट मऊ में व्यवस्थापित होकर दिनांक 15.05.10 से सरयू नदी मे बाढ राहत प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थी। दिनांक 14.06.10 को समय 0930 बजे पीएसी मुख्यालय लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद–बलिया में नाव पलट जाने व 63 लोंगो के डूब जाने की सूचना प्राप्त होने पर दल का दो प्लाटून दलनायक श्री बैजनाथ यादव के हमराह बचाव कार्य सम्बन्धि उपकरण मय नाव सहित त्वरित

गति से जनपद बलिया पहुँचकर गंगा नदी मे पलटी नाव से डूबे लोंगो की तलाशी प्रारम्भ किया गया। दिनांक 14.06.10 से 15.06.10 तक ओझवलिया घाट से शिवपुर दीयर, हास्य नगर दीयर नैनी जोर तक नदी में मोटर वोट से एवं गोताखोरी कर गंगा नदी के गहरे पानी में अथक परिश्रम कर 32 डूबे हुए व्यक्तियों के शव को नदी से बाहर निकाला गया, जिसकी प्रशंसा मौके पर उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी गण, मीडिया एवं जनता द्वारा की। जवानों को उत्साह वर्धन हेतु जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक जनपद बलिया द्वारा रू0 13000.00 (तेरह हजार रू0) नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, जिसकी प्रशंसा समाचार पत्र अमर उजाला, हिन्दुस्तान में दिनांक 15.06.10 एवं 16.06.10 को की गयी।

32वीं वाहिनी पीएसी, लखनऊ

वाहिनी में नियुक्त आरक्षी अनिल कुमार सिंह के पिता जी गम्भीर रोग से ग्रसित थे, जिनका इलाज पीजीआई से चल रहा था। चिकित्सकों द्वारा ब्लड की मॉग करने पर वाहिनी से 08 कर्मचारियों द्वारा रक्तदान किया गया।

35वीं वाहिनी पीएसी, लखनऊ

वाहिनी परिसर में ही स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु आर0ओ0 सिस्टम की स्थापना की गयी है जिससे आवासीय भवनों में निवास करने वाले कर्मियों/भोजनालयों में अत्यन्त कम मूल्य पर शुद्ध पानी का उपभोग किया जा रहा है। कर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर समुचित उपचार कराया जा रहा है।

8वीं वाहिनी पीएसी, बरेली

1– दिनांक 22.02.2010 को वाहिनी के बाढ़ राहत "सी' दल द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में व्यवस्थापित डेढ़ सक्शन द्वारा अलखनन्दा नहर, थाना खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर में तैनाती के दौरान समय लगभग 10:45 बजे दोपहर मे 01 लड़का राहुल आयु लगभग 24 वर्ष पुत्र श्री किक्कम सिंह, निवासी ग्राम शाहपुर सकौती, थाना दौराला जनपद–मेरठ, नदी में कूद गया और डूबने लगा तभी दलनायक श्री उमेश चन्द्र, मु0आ0 राजेन्द्र यादव, आरक्षी बलराम, आरक्षी हरगोविन्द प्रसाद, आरक्षी छविराम, एवं आरक्षी रामकिशुन ने अथक परिश्रम करके अदम्य साहस का परिचय देकर अपनी जान जोखिम में डालकर उक्त लड़के को डूबने से बचाया, जिसकी उच्चाधिकारियों द्वारा प्रशंसा की गयी।

2– दिनांक 05.03.2010 को वाहिनी के बाढ़ राहत "सी" दल के जनपद मुजफ्फरनगर में व्यवस्थापित डेढ़ सेक्शन द्वारा अलखनन्दा नहर, थाना खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर तैनाती के दौरान लगभग 12:30 बजे दोपहर मे 01 लडका रामनाथ आयु लगभग 25 वर्ष पुत्र श्री ओमी, निवासी मोहल्ला घुरबिया, थाना खतौली नहर मे डूबने लगा तभी मु0आ0 राजेन्द्र यादव, मु0आ अर्जुन सिंह, आरक्षी हरगोविन्द प्रसाद, आरक्षी राकेश कुमार, आरक्षी रामप्रसाद व आरक्षी मो0 यूसुफ ने अथक परिश्रम करके अदम्य साहस का परिचय देकर अपनी जान जोखिम में डालकर उक्त लड़के को डूबने से बचाया, जिसकी उच्चाधिकारियों द्वारा प्रशंसा की गयी।

3– वाहिनी का "सी" दल (बाढ़ राहत) जनपद मुजफ्फरनगर में कर्तव्यरत था, जिसका डेढ़ सेक्शन बल गंगनहर खतौली जनपद मुजफ्फरनगर में बचाव कार्य हेतु तैनात था। दिनांक 13.04.2010 को सांयकाल लगभग 1900 बजे एक महिला के गंगनहर में कूदने की सूचना मिली। सूचना पर पी0सी0 श्री रामसिंगार, नायक 910470131 सरोज कुमार, आरक्षी 870470095 रामप्रसाद, आरक्षी 920760129 ज्ञान प्रकाश, आरक्षी 11110 मनोज वर्मा को लेकर घटना स्थल पर पहुँचे तथा अथक परिश्रम से महिला (नाम–निर्मला) को डूबने से बचा लिया गया। मौके पर उपस्थित जनपदीय पुलिस/मीडिया तथा जनता के व्यक्तियों द्वारा पीएसी बल के इस सराहनीय कार्य की भूरि–भूरि प्रशंसा की गई।

4– वाहिनी का "सी" दल (बाढ़ राहत) जनपद पीलीभीत व लखीमपुर में कर्तव्यरत था। दिनांक 21.07.2010 को जनपद पीलीभीत व लखीमपुर में बाढ़ ग्रस्त इलाकों में अलग–अलग स्थानों पर बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए

ड्यूटी लगायी गयी थी। दलनायक श्री गोपाल सिंह के नेतृत्व में दिनांकः 21.07.2010 की रात्रि को अमरगंज गॉव में बाढ़ में फॅसे 12 व्यक्तियों को निकाला गया, जो बाढ़ की विभीषिका से बचने के लिये पेड़ों पर चढ़ गये थे, उन्हें सुरक्षित निकाला गया।

5— दिनांकः 21.07.2010 को मु0आ0 विमला शंकर के नेतृत्व में बाढ़ में फॅसी एक गर्भवती महिला को बाढ़ से निकालकर अस्पताल पहुँचाया गया, जिससे जच्चा–बच्चा दोनों की जान बच गयी।

6— दलनायक श्री गोपाल सिंह के नेतृत्व में दिनांक 22.07.2010 को दिन में ग्राम मीरापुर में बाढ़ में फॅसे 173 लोंगो को सुरक्षित निकाला गया।

7— दिनांकः 22.07.2010 को दिन में ग्राम मझोला में बाढ़ में फॅसे 53 व्यक्तियों को मु0आ0 राजेन्द्र यादव के नेतृत्व में निकाला गया तथा उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया गया।

8— दिनांकः 22.07.2010 को मु0आ0प्रो0 कुन्दन सिंह के नेतृत्व में ग्राम पकड़िया में पानी में डूब चुके 04 लोगों को सुरक्षित निकाला गया तथा अमरगंज क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोंगो की मदद के लिए नाव से राहत सामग्री बॉटा गया। मौके पर उपस्थित जनपदीय पुलिस/मीडिया तथा जनता के व्यक्तियों द्वारा पीएसी बल के इस सराहनीय कार्य की भूरि–भूरि प्रशंसा की गई।

9— वाहिनी की बीडीएस टीम द्वारा वर्ष–2007 में पकड़े गये 03 पाकिस्तानी आतंकवादियों से बरामद 16 अदद हैण्ड ग्रिनेडों को दिनांक 04.12.2010 को काफी मेहनत से निष्क्रिय किया गया, जिन्हें इससे पूर्व में अन्य वाहिनी की भेजी गई बीडीएस टीम के द्वारा किन्हीं कारणों से निष्क्रिय नहीं किया जा सका ।

खेलकूद

दिनांकः 01.01.2010 से 31.12.2010 तक पीएसी कर्मियों द्वारा अर्जित खेल उपलब्धियों का विवरण निम्न प्रकार है:–

क0 सं0	पीएसी कर्मी का नाम	प्रतियोगिता तिथि	प्रतियोगिता का स्तर	प्राप्त पदक का विवरण			योग
				स्वर्ण पदक	रजत पदक	कांस्य पदक	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मु0 आरक्षी गजेन्द्र प्रताप सिंह, द्वितीय वाहिनी पीएसी, सीतापुर	दिनांक 18.01.10 से 22.01.10 तक करनाल हरियाणा में आयोजित 58वीं अखिल भारतीय पुलिस कबड्डी प्रतियोगिता–2009	अखिल भारतीय पुलिस स्तर	—	—	01	01
2	मु0 आरक्षी अमित कुमार 11वीं वाहिनी पीएसी, सीतापुर	"					
3	मु0 आरक्षी सुनील कुमार, 11वीं वाहिनी पीएसी, सीतापुर	"					
4	मु0 आरक्षी सुधीर राठी, 11वीं वाहिनी पीएसी, सीतापुर	"					
5	मु0 आरक्षी मेमपाल सिंह, 27वीं वाहिनी पीएसी, सीतापुर	"					

	सीतापुर						
6	पीसी0पुष्पेन्द्र सिंह, 27वीं वाहिनी पीएसी, सीतापुर	दिनांक 17.02.2010 से 21.02.2010 तक केरल में आयोजित 58वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक प्रतियोगिता --2009	अखिल भारतीय पुलिस स्तर	01	—	—	03
7	मु0आ0जितेन्द्र सिंह, 24वीं वाहिनी पीएसी, मुरादाबाद	,,	,,	—	01	—	
8	मु0 आरक्षी विकास सिंह, द्वितीय वाहिनी पीएसी, सीतापुर	,,	,,	—	01	—	
9	पीसी0 श्री राम आसरे यादव, 32वीं वाहिनी पीएसी, लखनऊ	दिनांक 06.04.10 से 10.04.10 तक पुणे महाराष्ट्र में आयोजित 58वीं अखिल भारतीय पुलिस जूडो प्रतियोगिता--2009	,,	01	—	—	
10	मु0आरक्षी वीर बहादुर थापा, 24वीं वाहिनी पीएसी, मुरादाबाद	दिनांक 06.04.10 से 10.04.10 तक पुणे महाराष्ट्र में आयोजित 58वीं अ0भा0पुलिस जूडो प्रतियोगिता--2009	,,	—	—	01	08
11	मु0आरक्षी राम निवास यादव, 39वीं वाहिनी पीएसी, मिर्जापुर	दिनांक 06.04.10 से 10.04.10 तक पुणे महाराष्ट्र में आयोजित 58वीं अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती प्रतियोगिता--2009	,,	—	—	01	
12	मु0आरक्षी अजीतपाल, 39वीं वाहिनी पीएसी, मिर्जापुर	दिनांक 06.04.10 से 10.04.10 तक पुणे महाराष्ट्र में आयोजित 58वीं अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती प्रतियोगिता--2009	,,	—	—	01	
13	मु0आ0विवेक पाण्डेय, 35वीं वाहिनी पीएसी, लखनऊ	दिनांक 06.04.10 से 10.04.10 तक पुणे महाराष्ट्र में आयोजित 58वीं अखिल भारतीय पुलिस जिम्नास्टिक प्रतियोगिता--2009	,,	—	01	—	
14	आरक्षी प्रभाश श्रीवास्तव, 12वीं वाहिनी पीएसी, फतेहपुर	दिनांक 06.04.10 से 10.04.10 तक पुणे महाराष्ट्र में आयोजित 58वीं अखिल भारतीय पुलिस जिम्नास्टिक प्रतियोगिता--2009	,,	01	—	—	
15	आरक्षी विकान्त सिंह, 37वीं वाहिनी पीएसी, कानपुर	दिनांक 06.04.10 से 10.04.10 तक पुणे महाराष्ट्र में आयोजित 58वीं अखिल	,,	—	—	01	

		भारतीय पुलिस जिम्नास्टिक प्रतियोगिता–2009					
16	आरक्षी मनोहर सिंह, 38वीं वाहिनी पीएसी, अलीगढ़	दिनांक 06.04.10 से 10.04.10 तक पुणे महाराष्ट्र में आयोजित 58वीं अखिल भारतीय पुलिस जिम्नास्टिक प्रतियोगिता–2009	"	–	–	01	
17	मु0 आरक्षी अमित कुमार, 11वीं वाहिनी पीएसी, सीतापुर	दिनांक 17.02.10 से 21.02.10 तक थाणें मुम्बई में में आयोजित 57वीं सीनियर नेशनल कबड्डी चैम्पियनशिप–2009	राष्ट्रीय स्तर	–	–	01	01
18	मु0 आरक्षी गजेन्द्र प्रताप सिंह, द्वितीय वाहिनी पीएसी, सीतापुर						
19	पीसी0 श्री राम आसरे यादव, 32वीं वाहिनी पीएसी, लखनऊ	दिनांक 08.01.2010 से 13.01.2010 तक सिंगापुर में आयोजित कामनवेल्थ जूडो चैम्पियनशिप –09	अन्तर्राष्ट्रीय	01	–	–	01

अध्याय–(18)

मानवाधिकार, लोक शिकायत, जनसूचना

18.1— वर्ष 1993 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुक्रम में प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश पुलिस मुख्यालय पर शासनादेश संख्याः3912/6–पु0से0–2–72/96 दिनांक 25.09.1997 द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक (मानवाधिकार) एवं उनके सहवर्ती स्टाफ का सृजन किया गया है । अपर पुलिस महानिदेशक(मानवाधिकार) के अधीन मानवाधिकार प्रकोष्ठ कार्यरत है, जो उत्तर प्रदेश मानवाधिकार संरक्षण सम्बन्धी मामलों में मानवाधिकार हनन से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों पर जांच की कार्यवही जिलों की जनता का अनुश्रवण करता है ।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली/उ0प्र0 राज्य मानव अधिकार आयोग, लखनऊ सहित अन्य राष्ट्र/प्रदेशीय आयोगों से प्राप्त होने वाली शिकायतों/संदर्भों पर त्वरित गति से कार्यवाही की जाती है तथा जांच निष्कर्षो के आधार पर जांच से दोषी पाये गये पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाती है, इसके साथ ही मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्तर से प्रदेश के जनपदीय पुलिस अधिकारियों यथा आवश्यक निर्देश निर्गत किये जाते है एवं जनपद में नियुक्त पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को मानवाधिकार के प्रति पूर्णतः संवेदनशील बनाने के उददेश्य से सेमिनार/प्रशिक्षण आदि का आयोजन भी कराया जाता है ।

वित्तीय वर्ष 2009–10 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के निर्देशन में प्रदेश पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को मानवाधिकार संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाये जाने एवं उन्हे जागरूक किये जाने के उद्देश्य से सर्व प्रथम जनपद स्तर, परिक्षेत्र स्तर तत्पश्चात दिनांक 10.03.2010 को राज्य स्तर पर वाद–विवाद प्रतियोंगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें प्रदेश स्तर से प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया । उक्त प्रतियोंगिता में वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण, सेवानिवृत्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण एवं अन्य बुद्धिजीवी वर्ग, पत्रकार बन्धुओं, मानवाधिकार क्षेत्र में कार्यरत स्वंयसेवी संस्थाओं के सदस्यों को शामिल किया गया तथा उनके बहुमूल्य विचारों से पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को लाभान्वित किया गया । वित्तीय वर्ष 2010–2011 की वाद–विवाद प्रतियोगिता 16 मार्च 2011 में प्रस्तावित है ।

मानवाधिकार हनन के प्रकरणों पर सतर्क दृष्टि बनाये रखने के उद्देश्य से थानों पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मानवाधिकार के प्रति संवेदनशील बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर अल्प अवधि प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किये जाने के निर्देश प्रदेश के जनपदीय पुलिस अधिकारियों को दिये गये हैं जिसमें जनपद स्तर पर मानवाधिकार क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने का निर्देश भी शामिल है । उक्त वर्कशाप के विषय में समाचार पत्रों, टी0बी0 चैनलों के

माध्यम से प्रचार–प्रसार भी कराने के निर्देश दिये गये है ताकि मानवाधिकार के प्रति अनुकूल वातावरण का सृजन हो सके । प्रदेश के जनपदों में मानवाधिकार हनन की शिकायतों की त्वरित जांच हेतु नोडल अधिकारी भी नामित किये गये है ।

मानवाधिकार संरक्षण के प्रति संवेदनशील एवं जागरूक किये जाने के उद्देश्य से जन सामान्य एवं पुलिस कर्मियों के मध्य व्यापक प्रचार प्रसार भी कराया जाता है ।

वर्ष 2010 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली साहित अन्य आयोगों से प्राप्त शिकायतों/संदर्भो का विवरण निम्नवत है :–

आयोग का नाम	प्राप्त	निस्तारित	जांच से प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण की संख्या
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगः– डीजीपी एसपी	477 3162 कुल–3639	477 1853(जनवरी) 2330	90
राज्य मानवाधिकार आयोग	215	215	14
अनु0जाति/जन जाति आयोग	113	112	0
पिछड़ा वर्ग आयोग	4	4	0
महिला आयोग	44	44	0
अल्पसंख्यक आयोग	8	8	0
राष्ट्रय बालक संरक्षण अधिकार आयोग	4	4	0

वर्ष 2010 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा मानवाधिकार हनन के प्रकरणों में प्रदेश शासन को कुल 161 मामलों में पीड़ित पक्ष के हित में की गई संस्तुति सापेक्ष शासन द्वारा रू0 1,72,32,750/– की धनराशि भुगतान हेतु स्वीकृत की गयी है । जो शासन द्वारा स्वीकृत की गई धनराशि की वसूली प्रकरण में दोषी पाये गये पुलिस कर्मियों द्वारा कराये जाने के निर्देश दिये गये है ।

अध्याय–(19)

सुरक्षा शाखा

(1)– आलोच्य अवधि में सुरक्षा शाखा स्थित प्रशिक्षण विद्यालय में महामहिम श्री राज्यपाल/माननीय मुख्य मंत्री सुरक्षा/स्थानीय अभिसूचना इकाई/जनपदीय पुलिस/आई0बी0 के पुलिस अधीक्षक–12, पुलिस उपाधीक्षक– 08, निरीक्षक–63, उपनिरीक्षक–436, मुख्य आरक्षी–229, आरक्षी–626, सचिवालय सुरक्षा दल–19, कुल–1393 को प्रशिक्षण दिया गया।

(2)– दिनांक 04.12.2011 को श्री रामजन्म भूमि/बाबरी मस्जिद परिसर, अयोध्या, फैजाबाद तथा दिनांक 7.12.2010 को श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर/ज्ञानवापी मस्जिद परिसर, वाराणसी की एवं क्रमशः दिनांक 11.12.2010 तथा 10.12.2010 को ऐतिहासिक स्थल ताजमहल आगरा एवं श्रीकृष्ण जन्मभूमि/शाही ईदगाह मस्जिद, मथुरा की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा हेतु स्थायी समिति की गोष्ठी सम्बन्धित धार्मिक/ऐतिहासिक स्थलों पर की गयी तथा सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा करते हुए सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश जनपदीय अधिकारियों को निर्गत किया गया।

(3)– महामहिम राष्ट्रपति/माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार एवं महामहिम राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री उ0प्र0 तथा अन्य प्रान्तों में अतिविशिष्ट/विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में नियुक्त उ0प्र0 के निवासी सुरक्षा कर्मियों के चरित्र पुर्नसत्यापन (नवनियुक्ति/अवकाश/छमाही) हेतु कुल–3531 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें 3527 प्रकरणों की बाद जॉच सत्यापन आख्या सम्बन्धित को प्रेषित की गयी ।

(4)– अतिमहत्वपूर्ण/महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा में नियुक्त 1080 सुरक्षा कर्मियों को फायरिंग अभ्यास कराया गया।

(5)– सुरक्षा शाखा के भार पर आवंटित 820 शस्त्रों में से 816 शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराया गया तथा सुरक्षा शाखा के भार पर रिजर्व पुलिस लाइन, लखनऊ के शस्त्रागार में रखे कुल–83193 खोखा कारतूस म्यूटीलेट किये जाने हेतु उ0प्र0पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के निर्देशानुसार उप वितरण केन्द्र 35वीं वाहिनी पीएसी, लखनऊ में दाखिल कराया गया।

(6)– उ0प्र0शासन से प्रदत्त जेड प्लस श्रेणी के 09, जेड श्रेणी के 13, वाई श्रेणी के 24 एवं एक्स श्रेणी के 48 श्रेणीबद्व संरक्षित महानुभाव हैं। इनकी सुरक्षा व्यवस्था यलो बुक में दिये गये निर्देशों के अनुरूप जनपदों के माध्यम से सुनिश्चित की गयी।

(7)– वित्तीय वर्ष 2010–11 में आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत सुरक्षा उपकरणों के क्रय हेतु रू0 3102.02 की स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसके सापेक्ष रू0 284.09 के सुरक्षा उपकरण क्रय किये जा चुके हैं। शेष धनराशि रू0 2817.93 के सुरक्षा उपकरण क्रय किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

(8)– महामहिम श्री राज्यपाल/माननीय मुख्य मंत्री सुरक्षा में नियुक्त कर्मियों को वी0आई0पी0 सुरक्षा को व्याप्त खतरे, आतंकवादी, उग्रवादी संगठन, नक्सलवाद, आत्मघाती फिदाईन दस्ते के दृष्टिगत बेसिक इण्डक्सन कोर्स, वीआई सुरक्षा कोर्स, वीआईपी सुरक्षा रिफरेशर कोर्स तथा शैडो रिफरेशर कोर्स कराया गया।

(9)– महामहिम श्री राज्यपाल/माननीय मुख्य मंत्री सुरक्षा में नियुक्त कमाण्डोज को 32वीं वाहिनी पीएसी, लखनऊ में रिफ्रेशन कोर्स कराया गया, जिसमें उन्हें पी0टी0/यू0ए0सी0, फील्डक्राफ्ट टैक्टिस आर्म्स हैण्डलिंग का अभ्यास कराया गया।

अध्याय–(20)

विशेष अनुसंधान शाखा (सहकारिता)

20.1 वर्ष 1971–72 में शासन द्वारा सहकारिता विभाग के अन्तर्गत एक विशेष अनुसंधान शाखा, सहकारिता की स्थापना शासनादेश संख्या–3019/सी–12सीबी–145(16)69 दिनांक 29–6–1971 के तहत की गयी । इसकी स्थापना करते हुए इसे सी0बी0 सीआईडी उत्तर प्रदेश से सम्बद्व किया गया । इस शाखा के वित्तीय वर्ष 1971–72 से अपना कार्य प्रारम्भ किया । विशेष अनुसंधान शाखा,सहकारिता का मुख्यालय न्यू हैदराबाद लखनऊ में राज्य भण्डारागार निगम के नवनिर्मित भवन में किराये पर स्थित है । इसके प्रशासनिक नियन्त्रण को दृष्टि में रखकर जॉच एंव अभियोजन को क्रमशः नौ (9) क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, फैजाबाद, मेरठ, बरेली, कानपुर, गोरखपुर, झॉसी, आगरा व वाराणसी में स्थापना की गयी । यह क्षेत्रीय कार्यालय उप पुलिस अधीक्षक के पद के अधिकारी के अधीन कार्यरत है ।

विशेष अनुसंधान शाखा (सहकारिता) के द्वारा की जाने वाली विवेचनाओं को सुनियोजित करने के लिए शासन द्वारा शासनादेश संख्या– यू0ओ0–7/49–2–108/76 दिनांक 15 जनवरी 2003 निर्गत कर रूपया एक लाख से अधिक गबन के उन मुकदमों का अन्वेषण करने की शक्ति इस शाखा को प्रदत्त की गयी जो सहकारिता विभाग के अधिकारियों, केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारो/सहकारी बैंक के सचिव की पर्सनल्स द्वारा जॉच करने के पश्चात दर्ज कराये जायें या गवन के वे अभियोग, जो विशेष अनुसंधान शाखा, सहकारिता द्वारा दर्ज कराये जायें अथवा जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विशेष अनुसंधान शाखा (सहकारिता) को भेजे गये मामलों की विवेचना की जायेंगी।

विशेष अनुसंधान शाखा, सहकारिता, उ0प्र0 द्वारा किए गए कार्यो का विवरण

क्र0 स0	कार्य का विवरण	प्रारम्भ से 31.12.09 तक	01.01.10 से 30.12.10 तक	कुल योग
1	प्रारम्भ से विवेचना में लिए गए अभियोग	12761	43	12804
2	प्रेषित अभियोगों में आरोप–पत्रों की सं0	11271	30	11301
3	प्रेषित अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट की संख्या.	1467	02	1469
4	बन्दी बनाये गये अभियुक्तों की संख्या	7412	02	7414
5	न्यायालय में आत्मसमर्पण करने वाले अभियुक्तों की संख्या	4086	21	4107
6	अभियुक्तों की सं0 धारा 82/83 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही	1978	06	1984
7	विवेचना में लिए गए अभियोगो की धनराशि	2,83,48,40,797.83	7,33,91,247.24	2,90,82,32,045.07
8	प्रमाणित गबन धनराशि	1,87,37,66,158.00	3,10,98,986.04	1,90,48,65,144.04
9	न्यायालय द्वारा निर्णीत	3862	95	3957
	(अ) सजा	2113	08	2121
	(ब) रिहा	742	11	753
	(स) दाखिल दफ्तर	1007	76	1083
10	न्यायालय द्वारा अभियुक्तों पर किये गये जुर्माने की धनराशि	1,14,72,354.00	75,000.00	1,15,47,354.00

अध्याय–21

खाद्य प्रकोष्ठ

21.1 खाद्य प्रकोष्ठ द्वारा वर्तमान में आयुक्त खाद तथा रसद एवं प्रमुख सचिव खाद्य उ0प्र0 शासन द्वारा संदर्भित शिकायती प्रकरणों की जांच की जाती है । जांचोपरान्त जांच आख्यायें अग्रिम कार्यवाही हेतु शासन/खाद्य आयुक्त को प्रेषित कर दी जाती है ।

वर्ष 1992 से वर्ष 2010 तक खाद्य प्रकोष्ठ द्वारा शासन/खाद्यायुक्त द्वारा संदर्भित जांचों में से 911 जाचें सम्पन्न की गयीं जिसमें जनपद लखीमपुर खीरी में वर्ष 2004–05, सीतापुर में 2001–02 में हुये खाद्यान्न घोटाले की जांचकर शासन के निर्देश पर खाद्य प्रकोष्ठ द्वारा विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों, गोदाम प्रभारियों, उचित दर विक्रेताओं, परिवहन ठेकेदारों, खाद्यान्न माफियाओं आदि के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया । विगत वर्ष मा0 उच्च न्यायालय के आदेश से जनपद बहराइच, श्रावस्ती एवं बलरामपुर में वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 के खाद्यान्न घोटाले की जांच निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर जांच आख्या मा0 उच्च न्यायालय एवं अन्य सम्बन्धित को प्रषित की गयी । मा0 उच्च न्यायालय द्वारा खाद्य प्रकोष्ठ की जांचों की सराहना भी की गयी ।

खाद्य प्रकोष्ठ इकाई द्वारा विगत पांच वर्षों 2006 से 2010 तक निर्धारित जाचों का विवरण निम्नवत् है:–

वर्ष	वर्ष के आरम्भ में लम्बित जांचों की संख्या	वर्ष में प्राप्त जांचों की संख्या	वर्ष में निस्तारित जांचों की संख्या		शेष जांचों की संख्या
			आरोप प्रमाणित	आरोप अप्रमाणित	
2006	116	23	24	32	83
2007	83	25	25	09	74
2008	74	35	32	26	51
2009	51	76	40	14	73
2010	73	42	31	33	51

अध्याय–22

विशेष जांच

22.1– विशेष जॉच मुख्यालय की रूपरेखा

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के उत्पीड़न की रोकथाम के लिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1973 में उ0प्र0 के अन्तर्गत एक पुलिस उपमहानिरीक्षक के अधीन विशेष जांच प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी थी । कार्य के महत्व को देखते हुये प्रकोष्ठ का कार्यभार मई 1983 से पुलिस महानिरीक्षक के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में, वर्ष 1994 से अपर पुलिस महानिदेशक के अधीन कार्यरत है।

22.2– विशेष जॉच मुख्यालय की उपलब्धियां

विशेष जांच मुख्यालय का मुख्य कार्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों से प्राप्त होने वाले शिकायती प्रार्थना पत्रों की जांच पर उत्पीड़ित सदस्यों को न्याय दिलाना है । दिनांक 01.01.2010 से 31.12.2010 तक प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों को विवरण निम्नवत् है:–

कुल शिकायती प्रार्थना पत्रों की संख्या	शिकायती प्रार्थना पत्रों की संख्या जो जांच हेतु जनपद को भेजे गये	शकायती प्रार्थना पत्रों की संख्या जो जनपद जाचोंपरान्त प्राप्त हुये	शकायती प्रार्थना पत्रों की संख्या जो जनपद में जांच हेतु लम्बित है	शिकायती प्रार्थना पत्रों की संख्या जो जनपदों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे गये हैं	प्रकोष्ठ के अधिकारी को सौंपी गयी	कालम छः के निरस्तारित प्रार्थना पत्रों की संख्या
1068	1045	418	72	555	23	17

22.3– निरीक्षण

वर्ष 2010 में 54 जनपदों में विशेष जांच प्रकोष्ठ का निरीक्षण कर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम् 1955 तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम् 1989 एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार–निवारण) नियम 1995 के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोगों की विवेचना तथा समीक्षाकर सम्बन्धित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये गये ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार–निवारण) अधिनियम् 1989 के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम् 1989 जनवरी 1990 से प्रभावी हुआ है । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उत्पीड़न निवारण के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही सम्बन्धी हस्तपुस्तिका–2008 प्रकोष्ठ मुख्यालय से जारी कर तहसील/थाना स्तर तक वितरित की गयी थी । जिसका कियान्वयन वर्ष 2010 में ठीक प्रकार से होना पाया गया है । वर्तमान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उत्पीड़न के मामलों में रोकथाम तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 लखनऊ से प्राप्त धनराशि का उपयोग प्रचार–प्रसार के लिये किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है ।

22.4– **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विरूद्ध किये गये अपराधों की समीक्षा**

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर घटित अपराधों का तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है:–

वर्ष	हत्या	गम्भीर चोट	बलात्कार	आग जनी	भा0द0वि0 के अन्य हस्त0 अपराध	पी0सी0आर0 एक्ट 1955	योग
2008	244	627	412	84	6208	2	7577
2009	222	352	265	32	5065	0	5936
2010	218	299	280	26	4543	0	5367

22.5– **विवेचना:–**

जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है कि शासन ने विशेष जांच मुख्यालय के अधिकारियों को अनवेषण की शक्तियां प्रदान कर दी हैं परन्त विशेष जांच मुख्यालय के लिये विवेचना हेतु पुलिस उपाधीक्षकों की स्वीकृत नियतन 09 की तुलना में मात्र 02 पुलिस उपाधीक्षक ही उपलब्ध होने के कारण विवेचनाओं का कार्य सुचारू रूप से सम्भव नहीं हो पा रहा है । जांच/विवेचनाधिकारियों के अत्याधिक कमी के कारण आलोच्य अवधि में 23 जांच तथा 01 विवेचना प्रकोष्ठ द्वारा ग्रहण की गयी जिसमें से विगत वर्षों की लम्बित जांच/विवेचनाओं को सम्मिलित करते हुये कुल 22 जांचे एवं 03 विवेचनाओं का प्रकोष्ठ स्तर से निस्तारण किया गया । स्टाफ के अभाव में जांच/विवेचनाओं का कार्य त्वरितगति से नही हो पा रहा है ।

अध्याय–23

विशेष अनुसंधान दल (एस0आई0टी)

23.1 सराहनीय कार्य

वर्ष 2004–2005 तथा 2005–06 के मध्यकेन्द्र सरकार द्वारा चलायी गयी योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिये कम दरों पर राशन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न सहर/ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद स्तर पर उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में तहसील/ब्लाक स्तर पर खाद्यान्न गोदाम से ग्राम सभा स्तर पर नियुक्त कोटे दारों के माध्यम् से बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत बनाये गये राशन कार्डों पर बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को 04.59 पैसे की दर से गेंहू व चावल 06.09 पैसे प्रति किग्रा0 की दर से अन्त्योदय कार्ड धारकों को गेंहू 01.94 पैसे प्रति कि0ग्रा0 की दर से तथा चालव 02.94 पैसे प्रति कि0ग्रा0 की दर से उपलब्ध कराये जाने के आदेश निर्गत हैं, इसके अतिरिक्त विभिन्न ग्राम सभाओं में चलने वाले प्राथमिक विद्यालयों में जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिड–डे मिल योजना के तहत सभी छात्र छात्राओं को मुफ्त भोजन दिया जाता है ।

उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बी0पी0एल0 अन्त्योदय एवं मिड–डे मिल योजना का खाद्यान्न लाभार्थियों तक नहीं पहुॅचाकर विभिन्न प्रकार की अनियमितत करते हुये काफी मात्रा में खाद्यान्न उत्तर प्रदेश से तस्करी करके भारत के अन्य राज्यों को तथा बांगलादेश को ले जाया गया ।

विशेष अनुसंधान दल उ0प्र0 लखनऊ द्वारा जनपद लखीमपुर खीरी, सीतापुर, शाहजहांपुर, ललितपुर, सन्त रविदास नगर, बस्ती, रमाबाईनगर (कानपुर देहात), हरदोई, गोण्डा, वाराणसी, लखनऊ तथा इलाहाबाद की जांच करके विभिन्न स्तर के खाद्यान्न के डायवर्जन एवं कालाबाजारी के पाये जाने थाना एस0आई0टी0 पर गोदाम प्रभारियों, वरिष्ठ विपणन निरीक्षक तथा विपणन निरीक्षक तथा परिवहन ठेकेदारों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत करके विवेचना सम्पादित की जा रही है ।

अध्याय–24

उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड

24.1–सीधी भर्ती :–

सीधी भर्ती के अन्तर्गत अब तक पुलिस आरक्षी के 35858 पदों पर चयन की कार्यवाही पूर्ण कर चयनित अभ्यार्थियों की सूची विभागाध्यक्ष को भेजी जा चुकी है ।

24.2–विभागीय प्रोन्नतिः–

(1) रैंकर उप निरीक्षक ना0पु0 की वर्ष 1999 से 2008 तक की 5389 रिक्तियों को विभागीय परीक्षा के आधार पर भरे जाने हेतु पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 से प्राप्त अधियाचन के आधार पर विभागीय लिखित परीक्षा आयोजन की तिथि दिनांक 13–03–2011 निर्धारित है । तद्नुसार चयन की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी ।

(2) आरक्षी स0पु0 से मुख्य आरक्षी स0पु0 के पद पर वरिष्ठता के आधार पर (अनुपयुक्तों को छोड़कर) चयन वर्ष 2006, 2007, एवं 2008 की 505 रिक्तियों को पदोन्नति द्वारा भरे जाने हेतु पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 से प्राप्त अधियाचन तथा ज्येष्ठता/पात्रता सूची के आधार पर अभ्यार्थियों के शारीरिक दक्षता परीक्षण की कार्यवाही दिनांक 20–12–2010 से 29–12–2010 तक पूर्ण की जा चुकी है । शारीरिक दक्षता परीक्षण मे सफल अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों का परीक्षण कर संस्तुति उपलब्ध कराने हेतु चयन समिति का गठन करके अग्रेतर कार्यवाही प्रचलित है ।

(3) आरक्षी पीएसी से मुख्य आरक्षी पीएसी के पद पर वरिष्ठता के आधार पर (अनुपयुक्तों को छोड़कर) चयन वर्ष 2007, 2008, 2009 एवं 2010 की 633 रिक्तियों को पदोन्नति द्वारा भरे जाने हेतु पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 से प्राप्त अधियाचन तथा ज्येष्ठता/पात्रता सूची के आधार पर अभ्यार्थियों के शारीरिक दक्षता परीक्षण की कार्यवाही दिनांक 05–02–2011 से 09–02–2011 तक पूर्ण की जा चुकी है । शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यार्थियों के सेवा अभिलेखों का परीक्षण कर संस्तुति उपलब्ध कराने हेतु चयन समिति गठित कर अग्रेतर कार्यवाही प्रचलित है ।

(4) आरक्षी ना0पु0 से मुख्य आरक्षी ना0पु0 के पद पर वरिष्ठता के आधार पर (अनुपयुक्तों को छोड़कर) चयन वर्ष 2006, 2007 एवं 2008 की 6084 रिक्तियों को पदोन्नति द्वारा भरे जाने हेतु पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 से प्राप्त अधियाचन तथा पात्रता सूची के आधार पर अभ्यार्थियों के शारीरिक दक्षता परीक्षण की कार्यवाही दिनांक 10–02–2011 को प्रारम्भ हुयी थी । अपरिहार्य कारणों से यह शारीरिक दक्षता परीक्षण की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी है। पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के पत्र संख्याः– डीजी–चार–119(105)2009 दिनांक 20–02–2011 प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन से उत्तर प्रदेश आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली–2008 के परिशिष्ठ–6 के प्रस्तर–1 में अंकित उक्त शारीरिक दक्षता परीक्षण को विलोपित करते हुए संशोधित आदेश निर्गत कराने का अनुरोध किया गया है । इस सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही यथोचित निर्देश मिलने पर की जायेगी ।

दिनॉकः 01.01.2010 से 31.12.2010 तक की अवधि में दण्डित किए गये पुलिस कमियों का पदवार विवरणः—

कर्मियों का पद नाम	सेवा से निकाले गये कर्मियों की संख्या	अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर्मियों की संख्या	कुल निलम्बित कर्मियों की संख्या	लाईन हाजिर कर्मियों की संख्या	अन्य रूप से दण्डित कर्मियों की संख्या					
					परिनिन्दा प्रविष्टि / अर्थ दण्ड	सत्यनिष्ठा का रोका जाना	क्षुद्र दण्ड	प्रत्यावर्तित	वेतन वृद्धि का रोका जाना	आदेश कक्ष में दण्डित
निरीक्षक	1	.	29	50	241	11	.	3	9	.
उप निरीक्षक	5	2	565	638	1880	109	1	23	80	1
मुख्य आरक्षी	8	4	246	209	455	18	164	12	12	432
आरक्षी	127	28	2316	1654	1381	142	1957	135	111	3882
लिपिक	1	.	92	1	299	16	1	4	3	.